# राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ८ ] द्वितीय विधान सभा के आठवें सत्र, १९६० का ४५वां दिवस [ संख्या ३०



शुक्रवार, ८ अप्रेल, १९६०

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर १४ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

———

( श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन )

———

## तारांकित प्रश्नोत्तर

[ शिक्षा, उद्योग, भ्रष्टाचार-निरोधक, वाणिज्य, योजना, समाज कल्याण, गृह, विकास, कृषि, सामान्य प्रशासन-विभाग ]

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न, श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

### राजस्थान प्रशासनिक सेवा आदि की परीक्षाओं में हिन्दी का अनिवार्य प्रश्न पत्र

**८९१. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या सरकार ने समस्त राज्य कार्य में हिन्दी भाषा का प्रयोग करने का निश्चय कर लिया है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार यह आवश्यक समझती है कि यहां के समस्त राज्याधिकारी तथा कर्मचारीगण हिन्दी का आवश्यक ज्ञान रखने में समर्थ हों ?

(३) क्या यह सत्य है कि पहले राजस्थान प्रशासनिक सेवा आदि की परीक्षाओं में हिन्दी का प्रश्न-पत्र अनिवार्य होता था ?

(४) क्या यह भी सत्य है कि गत वर्ष से उक्त हिन्दी प्रश्न-पत्र को अनिवार्य नहीं रखा गया है ?

(५) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि हिन्दी प्रश्न पत्र को अनिवार्य रखे बिना अहिन्दी भाषा भाषियों को हिन्दी भाषा का सम्यक् ज्ञान नहीं हो सकता है ?

(६) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त परीक्षा में हिन्दी को फिर से अनिवार्य करने का विचार रखती है ?

**मुख्य मंत्री** ( श्री मोहनलाल सुखाड़िया ) : (१) जी हां, केवल सचिवालय में

Page No.2



( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

स्थित योजना तथा अर्थ विभाग एवं विभागों की अनुसंधान सम्बन्धी शाखाओं में जहां प्रवधिक ( टैक्निकल ) प्रकार का कार्य होता है, तथा उच्च न्यायालय के फैसले जिन्हें संविधान के अनुसार अंग्रेजी में ही लिखा जाना है एवं भारत सरकार तथा महालेखापाल से पत्र-व्यवहार को छोड़ कर।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) जी हां।

(५) जी नहीं। अहिन्दी भाषियों को दिनांक ३१.१२.६० तक मैट्रिक कक्षा के स्तर की हिन्दी परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया है और ऐसा कर लेने पर उन्हें एक वेतन वृद्धि ( एडवान्स इन्क्रीमेंट ) दी जायेगी और ऐसा न करने पर उनकी आयंदा तरक्की ( नोर्मल ग्रेड इन्क्रीमेंट ) परीक्षा पास करने तक रुकी रहेगी।

इसके अतिरिक्त समस्त नवीन कर्मचारियों को छोड़ कर, नियुक्ति के बाद परिविधि काल ( प्रोबेशन पीरियड ) के भीतर हिन्दी में मैट्रिक कक्षा के स्तर की परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया है।

(६) प्रश्न नहीं रह जाता।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** : प्रश्न यह है कि आर. ए. एस. की परीक्षा में हिन्दी का पर्चा पहले अनिवार्य था, वह रहा या नहीं ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मैं इसके लिये निवेदन कर चुका हूं।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** : आपने बताया कि सचिवालय में स्थित कुछ विभागों में संविधान के अनुसार अंग्रेजी में काम करना जरूरी है, तो मैं समझता हूं कि संविधान में अंकों को छोड़ कर जो रोमन लिपि में लिखे जा सकते हैं बाकी के लिये शायद ऐसी बात नहीं है।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : संविधान का हवाला मैंने हाई कोर्ट के फैसलों के बारे में दिया है।

**श्री पी० के० चौधरी** ( फुलेरा ) : The Prime Minister declared in the Parliament that English will be treated as an associate language. So does the State Government also accept it as an anciliary language or not ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : अभी तक इसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट ने कोई फैसला नहीं लिया है।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** : आपने बताया कि कर्मचारियों को भर्ती करने के बाद हिन्दी में मैट्रिक कक्षा के स्तर की परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया है तो, वे जब तक के लिये ही भर्ती किये जावें तब तक हिन्दी जाननेवाले न मिलें।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : भर्ती उनको कर सकते हैं।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** : जब सारा कार्य हिन्दी में होगा तो फिर वे किस भाषा में कार्य करेंगे ?

# Page No.3



**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : वे थोड़ी बहुत तो हिन्दी जानते हुए होते हैं और ऐसा है कि वे तब तक अंग्रेजी में काम कर सकते हैं।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** : आप अपने यहां अप्रेल, सन् १६६० से सारा काम हिन्दी में शुरू कर रहे हैं। यदि वास्तव में में आप कर रहे हैं तो कौनसी ऐसी बात रह जाती है जिसमें विभागों में अंग्रेजी में काम करेंगे ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : अभी बहुत से विभाग ऐसे हैं जिनमें अंग्रेजी रहेगी।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** : मेडिकल और टैक्निकल लाइन्स हैं जिनमें अंग्रेजी रहेगी; बाकी पुलिस या रेवेन्यू या दूसरे विभाग हैं वहां वहां पर सेक्रेटरी आवेंगे तो वे कौनसा काम करेंगे ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : ऐसे प्रश्न ज्यादा आने वाले नहीं। जहां पर इस प्रकार की बातें आवेंगी वहां पर एरेंज किया है। यह प्रावधान इसलिये किया गया है कि कम्पीटिशन में बैठने के लिये भी व्यक्ति को किसी प्रकार की रुकावट न हो। इससे हमारा सिलेक्शन का दायरा बढ़ जाता है और लोगों को जो माइनोरिटी में आने का मौका मिल जाता है।

**श्री पी० के० चौधरी** : क्या यह सही है कि आयन्दा स्टेट गवर्नमेंट....

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

## पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट श्री रामचन्द्र भाटिया के विरुद्ध कार्यवाही

**८६२. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** ( जौहरी बाज़ार, जयपुर ) : क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट श्री रामचन्द्र भाटिया, आई. पी. एस., पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, किशनगढ़ के प्रिन्सीपल के पद पर सन् १६५३ में नियुक्त हुए थे ?

(२) क्या यह सही है कि इन्होंने सवाई-माधोपुर से किशनगढ़ तक का यात्रा-व्यय प्रथम श्रेणी का अपने अलावा अपनी पत्नी, तीन पुत्रियों और तीन पुत्रों के नाम से हासिल किया ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि शिकायत होने पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जांच की गई और उस जांच से यह पाया गया कि प्रथम श्रेणी का किराया जो वसूल किया गया वह गलत था ? क्या यह भी सत्य है कि विवाहिता पत्नी जीवित नहीं है तथा उस विवाहिता पत्नी से सिर्फ चार बच्चे हैं ? यदि हां, तो इनके खिलाफ क्या कार्य-वाही की गई ?

**गृह मंत्री** ( श्री रामकिशोर व्यास ) : (१) श्री भाटिया, प्रिंसिपल, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, किशनगढ़ के पद पर नवम्बर, सन् १६५२ से नियुक्त हुए थे।

(१) श्री भाटिया के खिलाफ इस आशय की शिकायत सरकार द्वारा प्राप्त होने पर भ्रष्टाचार विरोधी विभाग द्वारा उसकी प्राथ-मिक जांच करवाई गई और इस जांच के फलस्वरूप सरकार ने श्री भाटिया के विरुद्ध झूठा यात्रा-व्यय चार्ज करने के आरोप में

Page No.4



( श्री रामकिशोर व्यास )

विभागीय कार्यवाही चालू कर रखी है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : यह कब चालू की ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : यह एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट से आने के बाद चालू की है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : यह जांच कब समाप्त हुई ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : इसकी डेट तो मेरे पास नहीं है। अप्रेल, ५६ में भेजी गई थी।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : क्या प्राथमिक जांच से यह साबित हो गया कि फर्स्ट क्लास का चार्ज किया गया वह गलत था, और सिर्फ उनके चार ही बच्चे थे और वह पत्नि भी जिसका चार्ज किया वह जीवित नहीं है ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : भ्रष्टाचार विभाग की रिपोर्ट यह है कि यह गलत चार्ज किया गया।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : तो उनको सस्पेन्ड क्यों नहीं किया गया ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी चल रही है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री भैरोंसिंह।

**नायलन फैक्ट्री, कोटा**

**८६३. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) सरकार द्वारा नायलन फैक्ट्री, कोटा के सम्बन्ध में किसको कितना लोन तथा कब दिया गया ?

(ख) यह लोन प्राप्त कर सकने की शर्त के अनुसार ऋण प्राप्त कर्त्ताओं ने कितना २ इनवेस्टमेंट या कितनी २ किस २ प्रकार की लाएबिलिटी फैक्ट्री चालू करने के संबंध में incur की है ? कृपया उसका विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ग) इस फैक्ट्री के सम्बन्ध में सरकार से क्या एग्रीमेंट हुआ है ? क्या इस एग्रीमेंट के अनुसार ऋण प्राप्त करने की शर्त पूरी कर दी गई ? यदि हां, तो कृपया उस एग्रीमेंट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(घ) ऋण प्राप्तकर्ताओं ने ऋण प्राप्त करने के लिये जो २ लाइबिलीटीज़ incur की है, क्या उनका प्रतिपालन हो गया है ? यदि हां, तो कितना २ और अगर नहीं, तो कितना २ और यह प्रतिपालन कब तक हो जाना चाहिये था ?

(ङ) क्या यह सही है कि प्रथम बार फाइनेंस डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट तथा एड-वोकेट जनरल ने ऐसा ऋण दिया जाना अनुचित बताया था ? यदि हां, तो किस २ तरह ? कृपया इन तीनों के ऐसे नोट्स की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(गृह मंत्री, श्री रामकिशोर व्यास द्वारा उत्तर देने को लिए खड़े होने पर अध्यक्ष महोदय,

( श्री भैरोंसिंह )

इसका जवाब उद्योग मंत्रीजी ही दें तो अच्छा है। मुझे इसमें सप्लीमेंट्रीज़ करने हैं। ११ तारीख को ले लें।

श्री अध्यक्ष : उनकी टर्न आने पर ले लेंगे।

( विराम )

श्री मूलचंद डागा।

## खानों से वार्षिक आमदनी

८६४. श्री मूलचंद डागा ( पाली ) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) खानों से सरकार को वार्षिक कुल कितनी आमदनी होती है ?

(ख) सन् १६५५ से आज तक प्रत्येक वर्ष में कितनी २ आमदनी हुई ?

मुख्य मंत्री ( श्री मोहनलाल सुखाड़िया ) : (क) खानों से औसतन वार्षिक आमदनी पिछले चार वर्ष के आधार पर ५७ लाख रुपया हुई है।

(ख) सन् १६५५ से आज तक प्रत्येक वर्ष की आमदनी निम्नांकित है :

| | |
|---|---|
| १६५५-५६ | ५३,७८,०५८ |
| १६५६-५७ | ५३,१२,१०२ |
| १६५७-५८ | ६१,५८,४२० |
| १६५८-५६ | ५६,२६,२०८ |
| १६५६-६० की अनुमानित आय | ७०,००,००० |

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

( कृपया परिशिष्ट १ देखिये )

श्री मूलचन्द डागा : जो आमदनी बतायी है इसमें इतना फर्क क्यों है ? ५८-५६ की आदमनी ३३ लाख है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ५६ लाख, २६ हज़ार है। बढ़ी है।

श्री मूलचन्द डागा : इतना फर्क क्यों है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अच्छा है, आमदनी बढ़ी है।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

## भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की सिफारिश का परिपालन

८६५. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ( जौहरी बाजार, जयपुर ) : Will the Chief Minister be pleased to state :-

Is it a fact that the Anti-Corruption Department had recommended suspension and prosecution of the following :-

(1) Shri Chokkanna Iyenger, S.E.,

(2) Shri P. L. Pawa, S. E.,

(3) Shri R. L. Goyal, A. E.; and

(4) Shri Radhakumar, Overseer. but only the last two have been

( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

suspended ? If so, why the other two were not suspended ?

**भ्रष्टाचार निरोधक मंत्री** (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : The Anti-Corruption Department had recommended the suspension and prosecution of only Sarvashri R. L. Goyal, Assistant Engineer and Radhakumar, Overseer of the Irrigation Department. Their recommendation, having been approved by the Government, action was taken accordingly.

Such being the case, the later part of the question does not arise.

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : Was there a complaint against the other two also ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : सस्पेन्शन के लिए रिकमन्डेशन नहीं की ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : एन्टी-करप्शन से जांच की गई थी ? डिपार्ट-मेन्टल भी ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : डिपार्ट-मेन्टल जांच की जा रही है ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री मूलचन्द डागा ।

### आइवरी के कोटे का वितरण

८६६. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या वाणिज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :-

(क) राजस्थान को कितना आइवरी का कोटा किन शर्तों पर केन्द्रीय सरकार से मिलता है ?

(ख) इस आइवरी को किस एजेन्सी द्वारा किस तरीके से वितरित किया जाता है ?

(ग) पाली शहर में आइवरी कोटा पिछली साल व इस साल कितनी कीमत का दिया गया है ?

(घ) क्या यह सत्य है कि पाली में आइवरी का कोटा व्यापारियों को ही दिया जाता है और खरादियों द्वारा बनी हुई कोऑपरेटिव सोसाइटी को नहीं ?

**गृह मन्त्री** ( श्री रामकिशोर व्यास ) : ( वाणिज्य मन्त्री की ओर से ) : (क) राजस्थान का हाथी दांत का २ लाख रुपये का एडहॉक कोटा हाथी दांत के चूड़ा बनानेवालों तथा हाथी दांत की खुदाई करनेवालों के लिए मिलता है ।

(ख) इस आइवरी का राजस्थान आइवरी मेन्युफेक्चरर्स एसोसियेशन द्वारा आयात किया जाता है और एक वितरण समिति द्वारा बांटा जाता है ।

(ग) पाली शहर को पिछली साल १,६२,५३१ रु० का आइवरी का कोटा दिया गया । इस वर्ष कोटे का माल प्राप्त नहीं हुआ है । इसलिए कोई वितरण नहीं किया गया है ।

(घ) जी नहीं ।

**श्री मूलचन्द डागा** : क्या यह कोटा

( श्री मूलचन्द डागा )

व्यापारियों द्वारा वितरित होता है या जो मजदूर काम करते हैं इसका उनके द्वारा ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : समिति द्वारा वितरण होता है ?

**श्री मूलचन्द डागा** : केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार को लिखा कि इम्पोर्टेड आइवरी मजदूरों के लिए होता है ताकि उन मजदूरों को काम मिले और उन्हीं के द्वारा वितरण किया जावे ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : एसोसियेशन बना रखा है उनकी मार्फत यह आता है और समिति इसका वितरण करती है। समिति बना रखी है।

**श्री मूलचन्द डागा** : एसोसियेशन किसका बना रखा है ?

**श्री अध्यक्ष** : आइवरी मेन्युफेक्चरर्स एसोसियेशन।

**श्री मूलचन्द डागा** : उनकी कोई सोसाइटी नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : अगर एसोसियेशन बना हुआ है तो मेन्युफेक्चरर्स होंगे।

**श्री मूलचन्द डागा** : भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को लिखा है, आइवरी का वितरण उनको किया जावे जो हाथ से काम करते हैं और उसके लिए सोसाइटी फॉर्म की है। सोसाइटीज़ बनने के बाद भी उनको कोटा नहीं मिलता है, दूसरे उठा लेते हैं।

**श्री रामकिशोर व्यास** : दोनों को देते हैं।

**श्री जयसिंह राणावत** : दो लाख की बात कही, तो क्या यह वजन है या रुपया ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : रुपया है।

**श्री मूलचन्द डागा** : एसोसियेशन किनका है ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : मेन्युफेक्चरर्स एसोसियेशन।

**श्री मूलचन्द डागा** : सारे राजस्थान के लिए है या अलग अलग जगह के लिए ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : एक ही एसोसियेशन मंगाता है और कमेटी डिस्ट्रि-ब्यूट करती है।

**श्री मूलचन्द डागा** : क्या आप यह जांच करेंगे कि मजदूरों या मेन्युफेक्चरर्स को मिलता है या नहीं ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : स्पेसिफिकेली किसी केस के लिए बतायें कि उनको नहीं मिलता है तो उसके लिए जांच की जा सकती है। जो काम करते हैं उनको कमेटी द्वारा सप्लाई किया जाता है।

**श्री मूलचन्द डागा** : पाली में करीब २०० खरादी हैं उनको आइवरी मिलता ही नहीं है।

**श्री रामकिशोर व्यास** : खरादी का धन्धा इन्डीविजुअल है।

**श्री मूलचन्द डागा** : उन्होंने सोसाइटी बना रखी है। १२० आदमी हैं उनको नाम मात्र का भी दांत नहीं मिलता।

# Page No.8



**श्री रामकिशोर व्यास :** मैंने जैसा कहा, सोसाइटी, जिसको नहीं मिलता है उसकी एप्लीकेशन दिला दे we will consider it.

**श्री अध्यक्ष :** श्री भैरोंसिंह।

## महाराजाज कॉलेज, जयपुर में कुर्सियों की मरम्मत हेतु दिया गया ठेका

८६७. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि इस वर्ष महाराजाज़ कॉलेज, जयपुर, में कुर्सियों की मरम्मत के लिए कोई कॉन्ट्रेक्ट दिया गया था ?

(ख) यदि हां, तो कितनी कुर्सियों का तथा किस दर पर ?

(ग) ठेकेदार से क्या एग्रीमेंट हुआ था ? कृपया एग्रीमेंट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(घ) क्या यह सही है कि ठेकेदार ने एग्रीमेंट के अनुसार कार्य नहीं किया ? यदि हां, तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया ?

**शिक्षा मंत्री** (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**प्रश्न संख्या ८६८.**

**श्री अध्यक्ष :** श्री भैरवलाल 'काला बादल'।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

## अस्थाई कर्मचारियों का सरकारी खर्चे पर प्रान्त से बाहर प्रशिक्षण

८६६. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या योजना मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा सिलेक्शन या एप्रूवल और सरकार द्वारा कन्फर्मेशन न होने तक किसी टेम्पोरेरी तौर पर कार्य करनेवाले गवर्नमेंट सर्वेन्ट् को सरकारी खर्चे पर ट्रेनिंग में नहीं भेजा जा सकता।

(ख) यदि हां, तो किस किस आज्ञा के द्वारा ? कृपया इनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ग) यदि भेजा जा सकता है, तो किन किन स्थितियों में ? यदि इस सम्बन्ध में सरकार के कोई परिपत्र व आदेश हों तो इनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(घ) क्या सरकार के ध्यान में है कि कई टेम्पोरेरी हैन्ड्स इस समय सरकारी खर्च पर राजस्थान के बाहर ट्रेनिंग पा रहे हैं ? यदि हां, तो कौन कौन और क्यों ?

# Page No.9



**योजना मंत्री** ( श्री मोहनलाल सुखाड़िया ) : अध्यक्ष महोदय, अभी इस प्रश्न का जवाब नहीं आया है क्योंकि कई विभागों से इसका उत्तर प्राप्त होना है। इसलिए इसको अगली टर्न पर या पांच रोज बाद रख लिया जाय।

**श्री अध्यक्ष** : श्री पी० के० चौधरी।

**ग्राम–जन शक्ति का उपयोग**

१००. **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : Will the Chief Minister be pleased to state :-

Is it correct that the Planning Commission has addressed a circular to the State Government on the Utilisation of Rural Man Power ? If so, copy of the same may be placed on the Table of the House.

**मुख्य मंत्री** ( श्री मोहनलाल सुखाड़िया ) : Yes. A copy of the letter has been placed on the Table of the House.

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई )

**श्री पी० के० चौधरी** : यह आपको कब प्राप्त हुआ था ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मुझे एग्जेक्ट डेट तो याद नहीं है। दो महीने के करीब हुए हैं आये हुए।

**श्री पी० के० चौधरी** : इस सर्क्युलर में पैरा २ पर उनकी सिफारिश है। गवर्नमेंट ने क्या इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्क्रीट स्टेप लिये ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : प्लानिंग डिपार्टमेंट में एग्ज़ामिन कर रहे हैं। जो २ कमेन्ट्स भेजे हैं, ज्योंही तैयार हो जावेंगे भेजने वाले हैं और किसी न किसी स्टेज पर डिसीज़नकरने वाले हैं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री नाथूराम।

**पंचायत समिति गढ़ी व बागीडोरा को कृषि हेतु बैलों और सिंचाई के कुंओं आदि के लिए सब्सिडी**

१०१. **श्री नाथूराम** (बागीडोरा) : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि इस वर्ष आदिवासी कृषकों को कृषि हेतु बैलों की सब्सिडी एवं सिंचाई के कुंओं की सबसिडी मिलने के लिए जो ऑर्डर्स हुए थे, उनकी समय पर तामील नहीं हुई ?

(२) पंचायत समिति गढ़ी और पंचायत समिति बागीडोरा में कृषि हेतु बैलों की और सिंचाई के कुंओं की सबसिडी के लिए कितने प्रार्थना-पत्र पेन्डिंग हैं ?

**गृह मंत्री** ( श्री रामकिशोर व्यास ) : (१) जी हां। आदेश का पालन समय पर किया गया।

(२) गढ़ी, बागीडोरा में कोई प्रार्थना–पत्र पेन्डिंग नहीं हैं।

**श्री नाथूराम** : जबाब दिया वह असंतोषजनक है। हज़ारों प्रार्थना-पत्र पेन्डिग पड़े हैं इस वर्ष भी, मैं वहीं पर था। सब रकम लैप्स हुई है। वैलफेयर ऑफिसर हैं वे खुद वहां पर रहना नहीं चाहते हैं, अपना ट्रान्सफर चाहते हैं! इतनी अव्यवस्था है कि वहां पर कोई काम नहीं होता। बरसात के समय भी इन्तजार की, लेकिन कुछ इमदाद नहीं मिली और सब रकम लैप्स हो गई। कहा जाता है कि स्वीकृति नहीं आई।

**श्री लक्ष्मण हीरात** : क्या यह माना जाय कि इतनी तहसीलों की कोई भी रकम लैप्स नहीं हुई है ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : पंचायत समितियां बांटेंगी।

**श्री नाथूराम** : क्या इस साल की चुकती रकम बागीडोरा पंचायत समिति को दे दी ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : बागीडोरा को १४ हजार रुपया कृषि कूप के लिए और बैलों के लिए १२ हजार रुपया और गढ़ी में ५००) कूप निर्माण के लिए।

**श्री नाथूराम** : ३१ तारीख को रकम लैप्स हुई वह बताने की कृपा करें ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : मैंने बताया था कि एप्लीकेशन कोई पेन्डिग नहीं है।

**डॉ० चन्द्रकला** : इतनी ही रकम बांटी थी क्या ?

**श्री नाथूराम** : सैकड़ों दर्ख्वास्तें पेन्डिग हैं। जबाब दिया है वह असंतोष जनक है। पैसा मिला ही नहीं।

**श्री अध्यक्ष** : यह सारा काम पंचायत समिति के दायरे का है।

**श्री नाथूराम** : सोशियल वैलफेयर में पड़ी हैं। मंत्री महोदय ने जबाब दिया वह बिल्कुल असत्य है।

## रतनगढ़ में हाईस्कूल की मांग एवं मिडिल स्कूल भवन का विस्तार

६०२. **श्री किशनाराम** ( रतनगढ़ ) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि रतनगढ़ में सब-डिविज़नल हैड क्वार्टर होते हुए भी सरकार की ओर से एक भी हाई स्कूल नहीं है ?

(२) क्या सरकार नगर की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए रतनगढ़ में शीघ्र ही सरकारी हाई स्कूल खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और अगर नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि रतनगढ़ में सरकार की ओर से केवल एक ही मिडिल स्कूल चल रहा है जिसका भवन वर्त्तमान छात्रों की संख्या को देखते हुए बहुत ही छोटा पड़ता है ?

(४) क्या यह सही है कि भवन विस्तार के लिए स्थानीय जनता ने सरकार को अनेक बार प्रार्थना-पत्र दिये? यदि हां, तो उक्त भवन का विस्तार अभी तक क्यों नहीं किया गया ?

**मुख्य मंत्री** (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) जी हां। यहां पर सहायता प्राप्त

# Page No.11



( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

बहुद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला चल रही है जो पर्याप्त है।

(२) राजकीय उच्चतर माध्यमिक शाला की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती और न भवन की ही सुविधा है। राजकीय माध्यमिक शाला के लिये भवन है वह जो माध्यमिक शाला के लिये पर्याप्त नहीं है।

(३) जी हां।

(४) इस वर्ष माध्यमिक शाला भवन विस्तार निमित्त १० हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

**डॉ० चन्द्रकला** : पहले से जो हायर सेकन्डरी स्कूल है वह प्राइवेट है वहां निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है क्या ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : जहां तक मेरी जानकारी है इतनी फीस ज्यादा नहीं लगती है जिसकी वजह से लोग अपने बच्चों को पढ़ा न पायें।

**डॉ० चन्द्रकला** : इतनी ज्यादा लगने का सवाल नहीं, जब कि निःशुल्क शिक्षा की घोषणा की है वैसी हालत में सब डिवीजनल हैडक्वार्टर पर तो एक सरकारी स्कूल होना चाहिये ताकि सरकार निशुल्क शिक्षा दे सके ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : वहां तो प्रश्न इस बात का है कि एक और खोली जाय। फीस के बारे में ठीक नहीं कह सकता कि ली जाती है या नहीं। मेरा ख्याल है राजकीय स्कूलों की जो फीस है उसी स्तर की वहां है।

**डॉ० चन्द्रकला** : वहां सेठों का प्राइवेट स्कूल तो है; ही क्या सरकार वहां एक सरकारी स्कूल खोलने की आवश्यकता नहीं समझती है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : सरकार उसको एड देती है। जब वहां पर एडेड स्कूल हैं तो दूसरी स्कूल की आवश्यकता नहीं और इसके बिना कोई खास दिक्कत भी नहीं कि सरकारी स्कूल होना चाहिये।

**डॉ० चन्द्रकला** : तो क्या सरकार की यह नीति है कि जहां एडेड स्कूल हों वहां सरकारी स्कूल नहीं होना चाहिये ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : अगर आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है और दिक्कत नहीं होती है तो नहीं खोलते हैं।

**श्री किशनाराम** : जब पिछले साल वहां पर स्कूल की फीस बढ़ाई तो वहां के लड़कों ने एजीटेशन किया। उसकी सूचना मुख्य मंत्री महोदय को भी दी गई। वहां तो सेठों का स्कूल है इसलिए वहां के लोगों को बड़ी अड़चन आती है।

**श्री अध्यक्ष** : ये कह रहे हैं कि वहां के छात्रों ने एजीटेशन किया था जिसके लिए तार इत्यादि आपको दिये थे।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : कब ?

**श्री भैरोंसिंह** : ( श्रीमाधोपुर ) पिछले छ-सात महीने पहले।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : उसके बाद वहां फीस बढ़ी नहीं, इस एजीटेशन के बाद जो पुरानी फीस थी उसी पर शायद तय

# Page No.12



( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

हुआ है; फिर भी इस प्रश्न को फिर से एग्ज़ामिन कर लिया जायगा ।

प्रश्न संख्या १०३

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह ।

(अनुपस्थित)

### प्रान्त में अपेक्षित औद्योगिक संस्थान

१०४. श्री शंकरलाल (रायपुर) : क्या मंत्री, उद्योग विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में इन्डस्ट्रियल एस्टेट स्थापित करने की क्या योजना है और यह कहां स्थापित की गई है ?

(२) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कहां कहां इन्डस्ट्रियल एस्टेट कायम हो जावेंगी ?

गृह मंत्री ( श्री रामकिशोर व्यास ) : ( १ ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राजस्थान में १४ इन्डस्ट्रियल एस्टेट निम्न स्थानों पर स्थापित किये जाने की योजना है :—

जयपुर, भीलवाड़ा, मक्खुपुरा (अजमेर), कोटा, जोधपुर, श्री गंगानगर, भरतपुर, उदयपुर, सुमेरपुर, बीकानेर, अलवर, पाली, धौलपुर, गंगापुर। इनमें से जयपुर, भीलवाड़ा, मक्खुपुरा (अजमेर) का कार्य होकर शेड बन चुके हैं और बन रहे हैं । कोटा, जोधपुर, श्री गंगानगर, भरतपुर में एस्टेट का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है ।

(२) उपरोक्त सब ही स्थानों पर स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

### विभिन्न जिलों में सेवा नियोजन की सम्भावनायें

१०५. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): Will the Chief Minister be pleased to state :—

Is it correct that the Planning Commission has asked the State Government to undertake study in a few districts in the State to ascertain the employment potential of the district ? If so, what steps the Government has taken in the matter ?

योजना मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : Yes. A copy of the above communication has been sent to all heads of Development Departments and Collectors with a request to offer their suggestions, if any, as desired by the Planning Cammission. On receipt of comments and suggestions, a pilot study is proposed to be taken up in Rajasthan also.

श्री पी० के० चौधरी : By what time it is expected that the pilot scheme will be taken up ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : It is not possible to give exact time at this stage.

प्रश्न संख्या १०६

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम ।

( अनुपस्थित )

## झालावाड़ जिले के कर्मचारियों को माह अगस्त, सन् ५६ की तनख्वाह मिलने में विलम्ब

६०७. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) माह अगस्त, सन् ५६ की तनख्वाह के झालावाड़ जेलर ने जेल के कर्मचारियों को वितरित करने के लिये कब तथा कितने रुपये बैंक से मंगवाये ?

(ख) यह तनख्वाह किस किस तारीख को किस किस मुलाज़िम को वितरित की गई ? यदि इस वितरण विलम्ब हुआ है तो क्यों ?

(ग) क्या यह सही है कि जेलर ने तनख्वाह की रकम का उपयोग घरू कार्य में कर लिया था इसलिये मुलाजिमान के मांगने पर भी समय पर वेतन नहीं दे सके ?

**गृह मन्त्री** ( श्री रामकिशोर व्यास ) : (क) झालावाड़ जेल के जेलर ने जेल के कर्मचारियों को वितरित करने के लिये माह अगस्त, १९५९ के वेतन के ७८० रु० बैंक से दिनांक ५।९।५९ को मंगवाये थे जो कि कैश बुक में दर्ज किये जाकर उसी रोज ता० ५।९।५९ को पूरे पूरे जेल कर्मचारियों को बांट दिये गये और सब कर्मचारियों की रसीदें एक्वीटेंस रोल में नियमानुसार ले लीं, जो कि मौजूद हैं।

(ख) यह तनख्वाह दिनांक ५।९।५९ को निम्न प्रकार नीचे लिखे कर्मचारियों को उसी तारीख में बांट दी गई, विलम्ब वितरण में नहीं हुआ :—

| | |
|---|---|
| श्री गंगासागर | ११८ |
| श्री गुलाब खां है० वा० | ७२ |
| श्री उदयसिंह | ७१ |
| श्री उसमानखां वार्डर | ६७ |
| श्री प्रभुलाल | ६७ |
| श्री मदनसिंह | ६७ |
| श्री शमशुद्दीन | ७० |
| श्री प्रेमसिंह | ६३ |
| श्री करनसिंह | ५७ |
| श्री कन्हैयालाल | ५६ |
| श्री धनपालसिंह | ५६ |
| श्री दीपचन्द | १० |
| | ७८० रुपया |

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

## उच्च विद्यालय चाकसू, व लालसोट का उच्चतर विद्यालय में परिवर्त्तन

६०८. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार जुलाई, १९६० से उच्च विद्यालय लालसोट व उच्च विद्यालय चाकसू को उच्चतर विद्यालय में परिवर्तित करने का विचार रखती है ?

**शिक्षा मंत्री** ( श्री मोहनलाल सुखाड़िया ) : जी नहीं।

# Page No.14



## पाठ्य पुस्तकें मिलने में देरी

**६०६. श्री सज्जनसिंह** [बून्दी—श्री श्रीमानसिंह (बयाना) द्वारा पूछा गया] : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि अजमेर जिले की सीनियर बेसिक पाठशालाओं में कक्षा ७ में ३१ जनवरी, सन् १६६० तक पाठ्य पुस्तकें नहीं मिलीं ?

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति के लिये कौन जिम्मेदार है ?

(ग) सरकार इस स्थिति का निराकरण करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

(घ) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जुलाई में सत्र प्रारम्भ होते ही पाठ्य पुस्तकें नहीं मिलने का क्या कारण है ?

**शिक्षा मंत्री** (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) कुछ पाठ्य पुस्तकें नहीं मिलीं।

(२) भूतपूर्व अजमेर राज्य की पाठय पुस्तकों के प्रकाशकों ने इस भय से कि कक्षा ७ में समस्त पाठ्य पुस्तकें राष्ट्रीयकृत हो जायेंगी और उनकी पुस्तकें नहीं बिकेंगी, पुस्तकों को पूर्ण संख्या में मुद्रित नहीं करवाया। जहां से इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई वहां पर सम्बन्धित प्रकाशकों से पुस्तकें मंगवा कर भिजवाई गई। इसलिये जिम्मेदारी का प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) जहां जहां पुस्तकों की कमी थी वहां पुस्तकें आवश्यकतानुसार भेज दी गई, इसलिये अब कोई कदम उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) इसका उत्तर भाग २ में दिया जा चुका है।

**डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : ये पुस्तकें कब तक मिल गई, किस तारीख तक ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : भाग (१) के उत्तर से स्पष्ट हो गया है।

**डॉ० चन्द्रकला** : क्या अजमेर जिले में राजस्थान की पाठ्य पुस्तकें नहीं चलती हैं ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : सिवाय बेसिक के।

**डॉ० चन्द्रकला** : आगे तो ऐसी दिक्कत नहीं आयेगी ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : आनी तो नहीं चाहिये।

**श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर): राजस्थान की तरह अजमेर की पाठय पुस्तकों का एकीकरण कब हो जायेगा ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : बहुत कुछ तो कर दिया गया है। यह जो सवाल था वह सातवीं कक्षा के लिये था, जिसका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ।

**प्रश्न संख्या ६१०**

**श्री अध्यक्ष** : श्री मुक्तिलाल मोदी।

(अनुपस्थित)

## संस्कृत शिक्षा का प्रसार

**६११. श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

# Page No.15



( श्री प्रभुलाल पुरोहित )

(१) संस्कृत शिक्षा के प्रसार व विकास के लिये सरकार की क्या योजना है व सरकार ने इसके उत्थान के लिये आज तक क्या क्या किया ?

(२) क्या यह सही है कि गांवों में विद्वान संस्कृत अध्यापकों की कमी है ? यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिये सरकार का क्या विचार है ?

(३) राज्य में संस्कृत के कितने कॉलेज व शालायें हैं ?

(४) प्रत्येक कॉलेज में प्रोफेसर्स व छात्रों की क्या क्या संख्या है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

**मुख्य एवं शिक्षा मंत्री** (श्री मोहनलाल सुखाड़िया ) : (१) संस्कृत शिक्षा के प्रसार एवं विकास के लिये सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी । उस समिति की सिफारिशों के अनुसार जो कार्यवाही अब तक की गई है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) कोई कमी नहीं है ।

(३) सब मिला कर १६ कॉलेज व १०० पाठशालायें हैं ।

(४) प्रोफेसरों के पद केवल संस्कृत कॉलेज, जयपुर में हैं, जहां ८ प्रोफेसर्स व २० छात्र संख्या शास्त्री व आचार्य कक्षाओं में है ।

( कृपया परिशिष्ट २ देखिये )

**श्री पी. के. चौधरी** (फुलेरा): २ प्रोफेसर्स और २० स्टुडेन्ट्स है, तो क्या पर्सेन्टेज़ रहा ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : बहुत आसान है, आप ही अन्दाज लगा लीजिये ।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी**(डीग): क्या इन संस्कृत प्रोफेसरों का वेतन स्तर वही है जो अंग्रेजी के प्रोफेसरों का है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : अब जो रिवाइज़ किया गया है उससे पहले जो स्केल और ग्रेड्स थे वे समान ही थे ।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** : अब क्या होगा ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : विचाराधीन है ।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** : तो क्या उनसे कम होने की उम्मीद है या उसी स्तर पर रहेंगे ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : इस वक्त जो उनके ग्रेड हैं उनमें ही उनको रखा जाय या उनके समकक्ष किया जाय, यह विचाराधीन है ।

**श्री पी० के० चौधरी** : संस्कृत के प्रसार की दृष्टि से ८ प्रोफेसर्स एक ही जगह हैं, उनको अलग अलग जगहों पर भेजना उचित नहीं होगा ?

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट ।

## देसूरी विकास खंड के नाडोल ग्राम में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र की स्थापना

६१२. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या

# Page No.16



( श्री शंकरलाल )

विकास मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि देसूरी विकास खंड के अन्तर्गत स्वीकृत बूसी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र रानी विकास खंड के अधीन आ जाने से देसूरी विकास खंड में नया प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र नाडोल में स्वीकृत करने के लिये सम्बन्धित पंचायत समिति और जिला परिषद् ने प्रस्ताव किया है ?

(२) क्या सरकार द्वारा इस मांग को स्वीकार कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**पंचायत मंत्री** (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (१) इस आशय का प्रस्ताव इस कार्यालय में विधिवत् प्राप्त नहीं हुआ है ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

**श्री शंकरलाल** : विधिवत् कैसे प्राप्त होता है ?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : खबर तो लग गई किन्तु जाब्ते से प्रस्ताव नहीं आया ।

**श्री शंकरलाल** : खबर कैसे लगी है ?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय**: सूचना की तौर पर अग्रिम कॉपी आ गई है, फॉर्मल प्रस्ताव आने पर कार्यवाही हो जायेगी ।

## गंगानगर में कृषि कॉलेज की मांग

**६१३. श्रीमती सतवन्तकौर** [करणपुर-डॉ० चन्द्रकला (जौहरी बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गंगानगर जो जिले का केन्द्रीय स्थान है वहां कृषि कॉलेज न खोला जाकर संगरिया में कृषि कॉलेज खोलने का क्या कारण है ?

**कृषि मंत्री** ( श्री नाथूराम मिर्धा ) : राज्य सरकार ने अब तक सांगरिया में कृषि कॉलेज खोलने का निर्णय नहीं लिया है । यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

**डॉ० चन्द्रकला** : तो क्या विचार करते समय यह भी देखेंगे कि सांगरिया में खोला जावे या गंगानगर में खोला जावे और कब से विचाराधीन है और कब तक निर्णय ले लिया जावेगा ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : चार-छः महीने से ही है एक्चुअली तो । यह कब तक ले लिया जावेगा, यह तीसरी योजना में प्राप्त धनराशि पर डिपेन्ड करता है ।

## प्रश्न संख्या ६१४

**श्री अध्यक्ष** : श्री बी० एन. जोशी ।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

## जिला हैड क्वार्टर पर आयोजित मन्त्रि मण्डल की बैठकें

**६१५. डॉ० चन्द्रकला** ( किशनपोल बाजार, जयपुर): क्या मुख्य मन्त्री वह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) मन्त्रि–मण्डल की बैठकें जिला हैडक्वार्टर पर करने का क्या उद्देश्य है ?

# Page No.17



( डॉ० चन्द्रकला )

क्या यह क्रम निरन्तर चलता रहेगा ?

(२) अब तक किन किन जिला हैड-क्वार्टर्स पर कब कब मन्त्रि मण्डल की बैठकें हुईं ?

मुख्य मन्त्री(श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (१) जिला हैड क्वार्टर्स पर मन्त्रि–मण्डल की बैठकें करने का खास उद्देश्य यह है कि जिला व ब्लॉक स्तर पर जो स्वायत्त शासन की नई संस्थाएं कायम की गई हैं उनके प्रमुखों और प्रधानों से कार्य की प्रगति, उनकी दिक्कतों का हाल मालूम किया जाये और सम्बन्धित सरकारी अधिकारियों से मौके पर ही परामर्श करके जहां तक सम्भव हो उनकी कठिनाइयों का समाधान निकाला जावे ।

इस कार्यक्रम से मन्त्रि–मण्डल को प्रधानों और प्रमुखों से निजी सम्पर्क स्थापित करने का भी अवसर मिलता है जो इन नई संस्थाओं के कामयाब होने में काफी लाभ-दायक होगा ।

मंत्रि–मण्डल की जिला स्तरीय बैठकों से बहुत सी स्थानीय समस्याएं भी मन्त्रि–मण्डल के सामने आती हैं और उनका हल निकलता है । इन बैठकों में ऐसी बातें सामने आईं जो साधारणतया सरकार के सामने नहीं आतीं ।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

( कृपया परिशिष्ट ३ देखिये )

**डॉ० चन्द्रकला** : अध्यक्ष महोदय, एक भाग रह गया है उपभाग (१) में कि 'क्या यह क्रम निरन्तर चलता रहेगा ?'

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : निरन्तर से मैं आपका मतलब नहीं समझा, क्या मतलब है ? पर साल में एक बार अलग अलग जिलों के हैड क्वार्टर्स पर इस प्रकार की बैठकें रखी जावें, इस तरह का हमारा इरादा है ।

**डॉ० बहादुरसिंह ( धौलपुर )** : क्या आप यह भी महसूस करते हैं कि जो पहले छोटे राज्य थे, पर आज डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स नहीं हैं, क्या मन्त्रि–मण्डल की बैठकें वहां भी आपका करने का विचार है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : यही अगर सिलसिला जारी रहा तो काफी होगा ।

**श्री पी० के० चौधरी ( फुलेरा )** : क्या इन मीटिंगों के नोट्स भी रखे जाते हैं ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : जी हां, निर्णय भी रखे जाते हैं ।

**श्री पी० के० चौधरी** : इन मीटिंगों में जो माननीय सदस्य भाग लेते हैं उनको फिर वे मिनिट्स सक्यूलेर क्यों नहीं किये जाते हैं?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : जी नहीं, ये तो सीक्रेट रहते हैं । इसकी आवश्यकता नहीं ।

**डॉ० चन्द्रकला** : तो क्या मन्त्री–मण्डल की इस प्रकार की बैठकों के बाद अलग अलग दौरे करने की मन्त्रियों को जरूरत नहीं रहेगी ?

# Page No.18



**श्री अध्यक्ष** : और ज्यादा बढेगी।

**श्री मोहनलाल सुखाडिया** : रहेगी। पर इससे जोइन्टली सारी बातें सामने आ जाती हैं, यह लाभ होता है। अब अलग अलग दौरा करना मन्त्री विशेष पर और उसकी जरूरत पर निर्भर करता है। वे जरूरी समझें तो कर सकते हैं।

• **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या मुख्य मन्त्रीजी मन्त्रि-मण्डल की बैठकों के बारे में यह भी विश्वास दिलाने की स्थिति में हैं कि डेवलपमेन्ट वर्क के पॉइन्ट ऑफ व्यू के अलावा भी हर प्रकार के पब्लिक के ग्रीवान्सेज को सुनने के पॉइन्ट ऑफ व्यू से भी बैठकें करने का उनका विचार है ?

**श्री मोहनलाल सुखाडिया** : इसमें भी हम कुछ समय तो रखते ही हैं एक घण्टे भर का। इस समय में जो भी बात कहना चाहे आकर अपनी बात रख सकता है और डेवलपमेन्ट के काम के अलावा भी इस तरह घंटे डेढ़ घण्टे में जो लोग आकर बातें रखते हैं उनको सुनते ही हैं आज भी।

**श्री भैरोंसिंह** : यह समय बहुत कम है। पांच, छः आदमियों से ज्यादा इस समय के अन्दर अपने ग्रीवान्सेज़ नहीं रख सकते। लोगों की बहुत भीड़ होती है तो समयाभाव से काफी लोग अपने ग्रीवान्सेज नहीं कह पाते और निराश वापिस लौटते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस तरह आप पर्टीकुलरली डेवलपमेन्ट के वर्क के लिये काफी समय निकाल कर उस पर ध्यान देते हैं उसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी को भी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पॉइन्ट मान कर भी अधिक समय देने का इरादा रखते हैं ?.

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : एम.एल.एज़. से हम बातें करते हैं। वे डेवलपमेन्ट स्कीम के अलावा भी, जैसा कि माननीय सदस्य को भी पता है, सभी एडमिनिस्ट्रेटिव बसों के बारे में और पब्लिक की शिकायतों के बारे में भी बातें रखते हैं। रेवेन्यू की कठिनाइयों के बारे की शिकायतें भी रखते हैं। तो, ये बातें भी काफी चर्चा में आई हैं और हम इन पर चर्चा करते हैं। इसी प्रकार दूसरी अन्य कई प्रकार की बातों पर भी चर्चा की जाती है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनको अपनी सारी बातें रखने का काफी मौका मिल जाता है और हर प्रकार की चर्चा बैठ कर हम कर लेते हैं। दूसरा रहा सवाल लोगों के मिलने के लिये; तो इसमें घंटे भर से ज्यादा समय देना मुश्किल है। आगे के लिये निश्चित तौर से नहीं कह सकता, पर इतना जरूर है कि एक दिन का समय हम रखते हैं इसलिये उसमें समय को एक दिन के बजाय अलग अलग जिलों की आबादी को देख कर अधिक रख सकें तो ज्यादा लाभ होगा, इस प्रकार का विचार जरूर है।

**डॉ० चन्द्रकला** : जयपुर शहर के बारे में भी विचार हुआ ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : जी नहीं, इसके लिये अलग से चर्चा करेंगे।

**श्री पी० के० चौधरी** : मन्त्रि-मण्डल की बैठक होती है तब ज्यादा लोग आते हैं और उन सब को आप सुन नहीं सकते, तो क्या आप यह भी सोच रहे हैं कि उन सब को सुनने के लिये जिस चेम्बर में आप हों उसके बाहर डिक्टाफोन लगा देंगे और लोग आकर

Page No.19



( श्री पी. के. चौधरी )

अपनी शिकायत उसके सामने कह दें और आप उसको खोल कर सुन लेंगे जरूरत होगी तो ?

**श्री अध्यक्ष** : श्री भैरोंसिंह।

**डॉ० चन्द्रकला** : आपने अपने उत्तर में बताया कि इन बैठकों में ऐसी बातें सामने आईं, जो साधारणतया सरकार के सामने नहीं आतीं; तो क्या आप इस स्थिति में हैं कि ऐसी एक-दो बातों का नमूना बता सकेंगे ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : जी नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है।

### डाकुओं से भिड़न्त में मारे गये अथवा घायल पुलिस कर्मचारियों को सहायता

**६१६. श्री भैरोंसिंह** ( श्रीमाधोपुर ) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) १ अप्रैल, १६५२ से लेकर अब तक पुलिस के कौन कौन कर्मचारी डेकोइट्स एन्काउन्टर में मारे गये अथवा घायल हुए और कब कब? कृपया उनकी सूची मय तारीख-मृत्यु के सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) जो कर्मचारी मारे गये अथवा घायल हुए उनमें से किन किनको सरकार की ओर से क्या क्या और कब कब कितनी कितनी सहायता दी गई है, तथा दी जा रही है ?

(३) सहायता दिये जाने में कब कब किन किन नियमों का पालन किया गया ? कृपया इन नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

**गृह मन्त्री** ( श्री रामकिशोर व्यास ) : इसकी सूचना इकट्ठी नहीं हुई है।

**श्री भैरोंसिंह** : यह तो मैं पहले से ही जानता था।

**श्री रामकिशोर व्यास** : ऐसी बात नहीं है, इन्ज्योर्ड वालों का आपने पूछा है न। इसकी लिस्ट पूरी नहीं हो पाई है, वैसे मर गये, की लिस्ट है।

**श्री भैरोंसिंह** : सन् ५७ से लेकर आज तक यह मेरा तीसरा प्रश्न है।

**श्री रामकिशोर व्यास** : ( नहीं समझ सकने के कारण) आपने तो सन् ५२ से पूछा है !

**श्री भैरोंसिंह** : ५२ से तो पूछे हैं फिगर्स, पर सवाल मैं सन् ५७ से लगातार पूछ रहा हूं। अब तक तीन बार पूछ लिया है और तीनों बार यह सूचना मिल रही है, यह जवाब आपका मिल रहा है कि सूचना, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। मैं कहता हूं हजार डेढ़ हजार की तो कोई यह लिस्ट है नहीं; इतना सा पूछा है कि एन्काउन्टर में कितने मारे गये, कितने घायल हुए और कितनों को रिलीफ मिला। सरकार एडमिट करती है कि इतने आदमी मारे गये। वहां इन्फॉर्मेशन क्लेक्ट करके किती भी समय दी जा सकती है। इसमें सरकार को क्या दिक्कत आ रही है, यह समझ में नहीं आती बात।

Page No.20



**श्री रामकिशोर व्यास** : इसमें तो टालने का कोई मोटिव नहीं हो सकता है। यह तो पुलिस के इन्टरेस्ट की ही बात है। पर एनकाउन्टर में इतनी डैथ्स हुई हैं, इसकी तो लिस्ट अवेलेबल है, पर इन्जरी में अलग अलग जगह पूछने की बात आती है। वह लिस्ट हम तैयार कर रहे हैं। बाकी डैथ की लिस्ट तैयार है, वह मैं दे सकता हूं।

**श्री भैरोंसिंह** : मैं यह इन्जरी की, सहायता की यह सारी इन्फॉर्मेशन इसलिये चाहता था कि पुलिस में एक ही काम के लिये एक को इनाम दे दिया जाता है, दूसरे को इग्नोर कर दिया जाता है। इस डिस्क्रिमिनेशन के कारण पुलिस कर्मचारियों में स्वयं में काफी असन्तोष है। एक एनकाउन्टर में एक कॉन्स्टेबल मारा गया, हैड कॉन्सटेबल मारा गया; दूसरे में दूसरा। इनमें एक को कम इनाम मिलता है और दूसरे को ज्यादा। एक को कम इन्जरी आने पर भी अधिक इनाम और दूसरे को अधिक इन्जरी आने पर भी कम इनाम या किसी को दिया गया, किसी को नहीं भी दिया गया, इग्नोर कर दिया, या दोनों के बराबर इन्जरी आने पर भी इनाम में भेदभाव बरता गया। तो, इस भेदभाव की नीति के कारण लोगों में असन्तोष है। इसको जानने और बताने के लिये लिस्ट मैंने सरकार से मांगी है ताकि उस आधार पर मैं सरकार के सामने रिप्रेजेन्ट कर सकूं और यह बता सकूं कि इस प्रकार का इनामों का वितरण नियमों के विपरीत कार्यवाही करके किया गया है और इसी कारण यह सवाल पूछा है।

**श्री रामकिशोर व्यास** : आप अगर इण्डिविजुअल केस में बता सकें तो मैं इन्क्वायरी करके आपको जवाब दे सकता हूं।

**श्री भैरोंसिंह** : वह तो बाद में बता दूंगा। लिस्ट आप पहले मुझे दे दें। अगर सेशन में नहीं देना चाहें तो पांच, सात दिन के बाद में दे दें।

**श्री अध्यक्ष** : मन्त्री महोदय ने कहा है कि जानकारी इकट्ठी की जा रही है।

**श्री भैरोंसिंह** : यही मैं पूछ रहा हूं कि वह जानकारी कब तक इकट्ठी करके दे दी जावेगी ? हाउस एडजोर्न हो जाने के बाद तो दे देंगे कि नहीं ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : जितनी जल्दी होगी दे देंगे।

**श्री भैरोंसिंह** : यह तो सन् ५७ से हो रही है जल्दी !

**श्री अध्यक्ष** : श्रीमती....

**श्री भैरोंसिंह** : यह तो बता दिया जाय कि कब तक दे देंगे ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : यह तो जल्दी दे सकता हूं कि किन किन की डैथ हुई है। नाम भी बता सकूंगा। इन्जोर्ड जो हुए हैं वे कौन कौन हैं और उनको कितना रिलीफ मिला है, यह मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके बता दूंगा। डैथ वाली लिस्ट जल्दी बता सकता हूं।

**श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा)**: जो एनकाउन्टर में इन्जर्ड होते हैं उनका रेकॉर्ड नहीं रखा जाता है क्या अलग अलग का ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : एक जगह कलेक्टेड नहीं है क्योंकि इन्जर्ड वालों के नाम देते नहीं हैं। रूल्स डैथ के लिये है, इन्जर्ड के लिये नहीं है। इन्जर्ड वालों को रिवार्ड देते नहीं हैं।

**श्री भैरोंसिंह** : यदि नहीं है, तो साल में कितना कितना डैथ वालों को मिला है इसके फिगर्स दे दीजिये और इन्जर्ड वालों के लिये कह दीजिये कि उनका रेकॉर्ड नहीं रखा है और न इन्जर्ड को रिवार्ड मिला है।

**श्री रामकिशोर व्यास** : मिल जावेगी यह तो।

**श्री भैरोंसिंह** : पर मिलेगी कब तक ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : After a mouth. जिनकी डैथ हुई है, उनकी तो दे सकता हूं।

**श्री भैरोंसिंह** : वह भी कब दे सकते हैं ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : वह तो नेक्स्ट वीक में दे सकता हूं।

**श्री भैरोंसिंह** : और इन्जर्ड का बाद में दे दीजियेगा, डैथ का जल्दी दे दीजियेगा।

**श्री रामकिशोर व्यास** : That you can have.

### केगंग नाल क्षेत्र में टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल की मांग

६१७. **श्रीमती सतवन्तकौर** [करणपुर-डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया ] : क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान के प्रत्येक जिले में कितने कितने प्राइमरी स्कूल हैं ? उनमें से कितने पंचायत समितियों द्वारा और कितने किसी अन्य संस्था द्वारा इस समय चलाये जा रहे हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि गंगानगर जिले में टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल कोई नहीं है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(ग) क्या सरकार गंगकेनाल क्षेत्र में किसी स्थान पर ऐसा स्कूल खोलने का विचार रखती है ?

**शिक्षा मन्त्री ( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )** : (क) सूची संलग्न है।

(ख) जी नहीं। गंगानगर जिले के सांगरिया ग्राम में एक सहायता प्राप्त स्कूल चल रहा है।

(ग) जी हां।

( कृपया परिशिष्ट ४ देखिये )

**डॉ० चन्द्रकला** : टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल ! ( अल्प विराम के अनन्तर ) क्या जो सांगरिया में खोल रहे हैं वह टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल है ?

### दौलतपुरा ग्राम के राजकीय स्कूल में शिक्षकों का अभाव

६१८. **श्री जयचन्द्र मोहिल** (कपानिस-

# Page No.22



( श्री जयचन्द्र मोहिल )

–सु०) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

चित्तौड़गढ़ तहसील के दौलतपुरा ग्राम के राजकीय स्कूल में कितने समय से कोई भी शिक्षक ड्यूटी पर नहीं है ?

**शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया):** तारीख २ मार्च, सन् १६६० से श्री मिट्ठूलाल दधीच राजकीय स्कूल, दौलतपुरा में कार्य कर रहे हैं। तारीख १६–६–५६ से ता० १–३–६० तक किसी अध्यापक ने कार्य नहीं किया।

**डॉ० चन्द्रकला :** तो जब अध्यापक ने कार्य नहीं किया तो क्या उन दिनों स्कूल बन्द थी ?

**श्री मोहनलाल सुखाडिया :** जी हां, इसका मतलब यही होता है।

**श्री अध्यक्ष :** श्रीभैरवलाल'कालाबादल'

**डॉ० चन्द्रकला :** अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर दे दिया जाये।

**श्री अध्यक्ष :**

**प्राथमिक शाला, सोडाला (जमनाडेरी), जयपुर**

६१६. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** [ अकलेरा–सु––डॉ० चन्द्रकला ( किशनपोल बाजार, जयपुर ) द्वारा पूछा गया ] : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या प्राथमिक स्कूल, सोडाला (जमना डेरी), जयपुर अब तक नगरपालिका की सीमा में चला आ रहा था ? यदि हां, तो अब इसे पंचायत समिति को सौंपने का क्या कारण है ?

(२) क्या यह स्कूल नगरपालिका सीमा से बाहर था ?

(३) इस स्कूल में छात्रों की संख्या कितनी है और क्या उसमें छात्रों को बैठने की पर्याप्त सुविधा है ?

**शिक्षा मन्त्री(श्री मोहनलाल सुखाडिया):** (१) यह स्कूल जयपुर तहसील की सूची में था, अत: पंचायत समिति को सौंप दिया गया था।

(२) यह पाठशाला तहसील की सूची पर थी परन्तु नगरपालिका की सीमा की वृद्धि होने के कारण अब पाठशाला नगरपालिका की सीमा में आ गई है।

(३) छात्रों की संख्या २२३ है तथा बैठने की पर्याप्त सुविधा नहीं है।

**डॉ० चन्द्रकला :** जब बैठने की पर्याप्त सुविधा नहीं है तो उसको पर्याप्त करने की दिशा में सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

**श्री मोहनलाल सुखाडिया :** सहयोग की आकांक्षा करती है।

**डॉ० चन्द्रकला :** सहयोग की आकांक्षा तो करती है, लेकिन जब सरकार सहयोग के लिए हाथ बढ़ायेगी तभी तो होगा। तो क्या सरकार ने कभी ऐसा कोई प्रयत्न किया है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : आम तौर से दूसरी जगह सभी प्रयत्न करते हैं और के प्रयत्न से ही ऐसा होता है। पर हर जगह सरकार ही प्रयत्न करे, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए इसके लिए जनता का भी सहयोग हो। तो सभी माननीय सदस्य जानते हैं वह उसी तरह से हैं, उनके सहयोग से ठीक हो सकता है।

**डॉ० चन्द्रकला** : वहां पर महारानी गायत्री देवी के द्वारा बनाया गया एक भवन है; क्या उसे स्कूल को देने के लिए कभी सरकार ने आवेदन किया है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : वह तो मैं समझता हूँ ले लिया गया है। फिर यह प्रश्न भवन ले लेने के लिए नहीं उठाया गया है। दूसरों के सहयोग की आवश्यकता है।

**डॉ० चन्द्रकला** : जो जयपुर स्टेट है उसकी हर हाईनेस एक भवन देती हैं और जब स्कूल को देती हैं तो यह तो सबसे बड़ा सहयोग है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : हर-हाईनेस का सहयोग तो इसमें मिलेगा। वह एक तरह से सहयोग योग्य हैं, ही पर सरकार माननीय सदस्या के भी सहयोग की आशा करती है।

**डॉ० चन्द्रकला** : जो भवन मिला हुआ है वह तो इस स्कूल को दे दिया जायेगा ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : अगर अन्य किसी कार्य में नहीं आ रहा है तो।

**श्री अध्यक्ष** : श्री भैरवलाल 'काला बादल'।

( अनुपस्थित )

श्री मोहब्बतसिंह।

( अनुपस्थित )

श्री लादूराम।

( अनुपस्थित )

श्री मुक्तिलाल मोदी।

( अनुपस्थित )

श्री बी० एन० जोशी।

## आर्य माध्यमिक कन्या पाठशाला, बांदीकुई को माध्यमिक शाला मानने सम्बन्धी शासकीय कदम

६१४. **श्री बी० एन० जोशी** (बांदीकुई) : Will the Minister for Education be pleased to state :-

(a) When was the application for the recognition as a Girls Middle School first received from the Arya Madhyamik Kanya Pathshala, Bandikui ?

(b) Is it a fact that the Deputy Inspector of Girls Schools and other Officers of the Education Department have since visited the school and have given favourable reports about it ?

(c) Has the Pathshala furnished

( श्री बी. एन. जोशी )

the Constitution etc. of its Committee of Management and other requisite data desired by the Department ?

(d) What were the reasons for the delay in the grant of recognition as a Middle School to this Pathshala?

(e) What is the total number of teachers and students in this institution at present ?

(f) Does the Government intend to grant recognition to this institution as a Middle School in near future ? If so, when it is likely to be done ?

**शिक्षा मंत्री** ( श्री मोहनलाल सुखाड़िया ) : (ए) दिनांक ४ जुलाई, १६५६ को ।

(बी) जी हां ।

(सी) जी हां ।

(डी) नियमानुसार जुलाई, ५६ से मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र अक्टूबर, ५८ में आ जाना चाहिए था जब कि संस्था ने प्रार्थना पत्र ४ जुलाई, ५६ को भेजा; इस कारण देर हुई ।

(ई) ७ अध्यापक व १२६ छात्र ।

(एफ) मान्यता दे दी गई है ।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न समाप्त हुए ।

## प्राक्कलन समिति ( १६६०-६१) के लिये नाम जद उम्मीदवार

**श्री अध्यक्ष** : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि प्राक्कलन समिति, १६६०-६१ के एक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए निम्नांकित उम्मीदवार नामजद किये गये हैं :

(१) श्रीमती आनन्दीदेवी जेलिया,

(२) श्री धन्नालाल हरित,

(३) श्री हरिप्रसाद यादव ।

जो माननीय सदस्य अपना नाम अब वापिस लेना चाहें वे दिनांक ११ अप्रेल, १६६० को प्रश्नोत्तर के तुरन्त पश्चात् सदन में वक्तव्य द्वारा वापिस ले सकते हैं, जिसमें केवल इस तथ्य को ही व्यक्त किया जाना चाहिए ।

( विराम )

लेजिस्लेटिव बिज़नेस

## श्री भैरोंसिंह (१४) का स्थगन प्रस्ताव

**श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर): अध्यक्ष महोदय, मैंने एक एडजोर्नमेन्ट मोशन मूव किया था....

**श्री अध्यक्ष** : अभी उसके ऊपर पूरी जानकारी नहीं आई है, उसके आने के बाद मंत्री महोदय अपना वक्तव्य देंगे ।

**श्री भैरोंसिंह** : एडजोर्नमेंट मोशन दिया था । एक आदमी को मार दिया और उसका इन्वेस्टीगेशन कर रहे हैं और इन्वेस्टीगेशन भी वही करनेवाले हैं और वे उस तफ़तीश को खराब कर रहे हैं । जब तक गवर्नमेंट इसके बारे में इत्तिला देगी तब तक केस सबजुडिस हो जायेगा और जब मामला सबजुडिस हो जायेगा तो आप उसको हाउस

# Page No.25



( श्री भैरोंसिंह )

में वाद-विवाद के हेतु नहीं आने देंगे। इस प्रकार से मेरे एडजोर्नमेंट मोशन मूव करने का कोई मतलब नहीं होता है....

**श्री अध्यक्ष** : कार्यवाही हो रही है।

**श्री भैरोंसिंह** : कार्यवाही वही कर रहे हैं जिन्होंने कि मर्डर किया। सारे को बिगाड़ा जा रहा है और आप कह रहे हैं कि उसके लिए प्रयत्न किया जा रहा है। अगर इसके ऊपर ११ तारीख तक विचार होता है और फिर सदन को सूचित किया जाता है, तो फिर एडजोर्नमेंट मोशन का कोई सेन्स नहीं होगा और मर्डर के लिए जिनको सजा मिलनी चाहिए वह नहीं मिलेगी....

**श्री अध्यक्ष** : जैसा मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर कार्यवाही कर ली गई है, उस पर काफी शख्त कदम उठाया गया है। उनके पास काफी जानकारी आ जायेगी और लेटेस्ट पोज़ीशन आने के बाद में ही ऐसा कर सकेंगे।

## श्री श्रीभानसिंह का विशेषाधिकार प्रस्ताव

**श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : मेरा जो प्रिविलेज मोशन था उसकी सूचना मुझे दी गई है। उसमें आपने जो ग्राउन्ड्स दिये और किसी चीज के लिए माननीय सदस्य ने लिखित में दिया उसको डिसबिलीव किया है, इसका मतलब तो यही है। तो यह मैं नहीं समझता कि ये वैलिड ग्राउन्ड्स हैं कि वे लोग गलत हैं।

**श्री अध्यक्ष** : जो व्यवस्था दे दी गई है उस पर बहस करना ठीक नहीं है।

**श्री श्रीभानसिंह** : मैं व्यवस्था पर कोई बहस नहीं करना चाहता। अगर कोई लिख कर दे और उसको डिसबिलीव किया जाये कि वे लोग गलत हैं तो यह तो आपके अधिकारों के नीचे ही है और प्रिविलेज इश्यू तो आपके सामने ही उठाया जा सकता है।

**श्री अध्यक्ष** : There would be no discussion on this point.

**श्री श्रीभानसिंह** : इस पर डिसकशन नहीं है। मैं यह चाहता ही नहीं, लेकिन कम से कम सदस्यों के साथ यह हरकत नहीं हो, इस पर रोक लगनी चाहिए। मैं डिसकशन करना नहीं चाहता। आपने उसको रिजेक्ट कर दिया लेकिन उनको ऐसा करना नहीं चाहिए। There must be something to prevent the Government to do this thing. That is why, I want the Hon'ble Minister to say something whether this thing happened or not.

**श्री अध्यक्ष** : I think the Government is sufficiently aware...

**श्री श्रीभानसिंह** : I think it is an issue which involves an Hon'ble Member of the House, and I would like the Government to say what is their point of view in the House.

**श्री अध्यक्ष** : We will pass on to the next business.

**श्री पी० के० चौधरी** : The Hon'ble Minister is about to stand. I think

# Page No.26



( श्री पी. के. चौधरी )

he is going to make a statement. The Home Minister has stood up, Sir.

**श्री अध्यक्ष :** We won't take up at this time.

**श्री पी० के०चौधरी :** The Hon'ble Home Minister got up and now he sat down.

**श्री रामकिशोर व्यास :** कहने की बात इतनी है कि जो एक्शन लिया है वह यह है कि उस आदमी को सस्पेन्ड किया है....

**श्री पी० के० चौधरी :** किसको सस्पेन्ड किया ?

**श्री रामकिशोर व्यास :** इनकी शिकायत पर ।

**श्री अध्यक्ष :** जिनके खिलाफ शिकायत थी उनको सस्पेन्ड किया गया ।

**एक माननीय सदस्य :** अध्यक्ष महोदय, माइक तो सुधरवा दीजिए ।

**राजस्थान पंचायत ( संशोधन ) विधेयक, १६६०**

( खण्डश: विचार–विमर्श )

**श्री अध्यक्ष :** क्लॉज़ २

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

( अनुपस्थित )

श्री दयाकृष्ण विजय ।

( अनुपस्थित )

श्री शंकरलाल ।

**श्री शंकरलाल ( रायपुर ) :** अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत ( संशोधन ) वियधेक, १६६० के क्लॉज़ २ पर मेरा एक संशोधन है और इस संशोधन का सम्बन्ध क्लॉज़ ६ से है और इसके साथ यह जो क्लॉज़ है इसके अन्दर लिखा है Part C "In the proposed proviso to clause (6A) of section 2 of the principal Act, insert the words 'or Scheduled Tribes' between the words 'Scheduled Castes' and 'in a Panchayat Circle," अध्यक्ष महोदय, यह जो सेक्शन में प्रोविजो है वह यह है :

"Provided that the population of scheduled Castes in a Panchayat Circle shall be such as may be certified by the Collector of the district in which that Panchayat Circle lies." यानि अनुसूचित जातियों की संख्या जिस प्रकार जिले का कलेक्टर उसकी तसदीक करेगा उसके अनुसार मानी जायेगी । मैं समझता हूं कि यह जो प्रोविजो है इस क्लॉज़ २ के अन्दर वह इसलिए रखा गया है कि जो क्लॉज़ ६ है उसके सब-क्लॉज़ [३] और [४] के अनुसार शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के कोऑप्शन का प्रोविज़न रखा गया है और इस कोऑप्शन के प्रावधान के सम्बन्ध में यह प्रोविजो इस क्लॉज़ में रखा है । अगर क्लॉज़ ६ के प्रावधान को देखते हैं तो जहां तक शिड्यूल्ड कास्ट का प्रश्न है उसके लिए कोई पर्सेन्टेज का

( श्री शंकरलाल )

प्रश्न नहीं रखा गया है और जहां तक शिड्यूल्ड ट्राइब्स का प्रश्न है उसके लिए पर्सेन्टेज का सवाल रखा गया है, जैसे कि "one person belonging to the Scheduled Castes, if no such person has been elected to the Panchayat" तो अनुसूचित जाति का उम्मीदवार है उसके कोऑप्शन की हालत होगी या अनुसूचित जाति का कोई भी उम्मीदवार चुना नहीं गया है तो अनुसूचित जाति के लिए कोई भी पर्सेन्टेज का प्रश्न नहीं रखा गया है, कोऑप्शन के वक्त। जब कोऑप्शन के वक्त पर्सेन्टेज का प्रश्न अनुसूचित जाति के लिए नहीं रखा गया है तो पर्सेन्टेज के लिए कलेक्टर के सार्टीफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कोऑप्शन के लिए पर्सेन्टेज का प्रश्न रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि क्लॉज़ ६ के सब-क्लॉज़ (४) में दिया गया है: "One person belonging to the Scheduled Tribes, if no such person has been so elected and the population of such tribes in the Panchayat Circle exceeds five percent of the total population there of" तो अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवार के कोऑप्शन के लिए प्रावधान क्लॉज़ ६, सब-क्लॉज [४] में रखा गया है कि किसी जन-जाति का उम्मीदवार उस हालत में कोऑप्ट किया जायेगा जब कि कोई उनका उम्मीदवार चुना हुआ नहीं हो और उसके साथ साथ उस एरिया की पोपुलेशन का ५ पर्सेन्ट है जन-जाति की पोपुलेशन एक्ज़िस्ट होती है या ५ पर्सेन्ट से ज्यादा जन-जाति उस एरिया के अन्दर है तो जहां तक यह पर्सेन्टेज का सवाल है कितनी पर्सेन्टेज होनी चाहिए, वह जन-जाति के लिए कोऑप्शन के वक्त तो क्लॉज़ २ के अन्दर प्रोवीजो एड किया जाता है कि पर्सेन्टेज का सवाल केवल शिड्यूल्ड कास्ट के लिए है :

"Provided that the population of Scheduled Castes in Panchayat Circle shall be such as may be certified by the Collector." तो इस प्रावधान के अनुसार सरकार ने यह जरूर महसूस किया है कि शिड्यूल्ड कास्ट यानि अनुसूचित जाति कितनी उस एरिया में रहती है, उसका वेरीफिकेशन कलेक्टर करेगा, लेकिन शिड्यूल्ड ट्राइब्स कितनी है उस एरिया के अन्दर और उसका वेरीफिकेशन कौन करेगा वह इसके अन्दर नहीं है। इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है कि 'शिड्यूल्ड ट्राइब्स' शब्द भी इसके अन्दर जोड़े जायं। क्योंकि कोऑप्शन के वक्त के पर्सेन्टेज का जो हिसाब है वह जन-जाति से संबंधित देखना पड़ता है न कि अनुसूचित जाति के लिए। अनुसूचित जाति के लिए हमने रखा है कि कोई भी पर्सेन्टेज हो, उनका उम्मीदवार नहीं चुना गया है तो हम उसको स्थान देंगे। तो उनके लिए कोई पर्सेन्टेज का सवाल कोऑप्शन के वक्त के लिए नहीं रखा है, तो फिर कलेक्टर से सर्टीफिकेट लेने की क्या आवश्यकता हुई ? हो सकता है कि यह मिस-प्रिन्ट हो गया हो। शिड्यूल्ड ट्राइब्स होना चाहिए था, उसकी जगह शिड्यूल्ड कास्ट्स हो गया है, क्योंकि शिड्यूल्ड कास्ट्स की पर्सेन्टेज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहां पर लिखा है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के पर्सेन्टेज का सर्टीफिकेट कलेक्टर से लेना पड़ेगा। तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किस केस के लिये लेना पड़ेगा ? केवल आप कोऑप्शन के वक्त शिड्यूल्ड कास्ट के उम्मीदवार को कोऑप्ट करते हैं

( श्री शंकरलाल )

और उसके लिए केवल एक कन्डीशन रखते हैं कि अगर वह नहीं चुना गया है तो उसको ले लेंगे। उसके लिए कोई पर्सेन्टेज का सवाल नहीं है; जब कि अनुसूचित जाति के लिए पर्सेन्टेज का सवाल नहीं है तो फिर कलेक्टर के सर्टीफिकेट की आवश्यकता का शिडूल्ड ट्राइब्स के लिए रखा गया है, क्योंकि उनके कोऑप्शन के लिए रखा है कि अगर ५ पर्सेन्ट उस एरिया में अनुसूचित जन जातियों की संख्या हुई तो उस हालत में उम्मीदवार को कोऑप्ट करेंगे। तो क्लॉज़ ६ के अनुसार ५ पर्सेन्ट अनुसूचित जन-जातियों की संख्या है या नहीं, उसके लिए कलेक्टर का सर्टीफिकेट आवश्यक हो सकता है। इसलिए यह जो सब-क्लॉज़, या प्रोविजो है जिसके अन्दर अपने लिखा है कि शिडूल्ड कास्ट्स की पर्सेन्टेज कितनी है, उसके लिए कलेक्टर के सर्टीफिकेट की जरूरत पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि इसके अन्दर 'शिडूल्ड ट्राइब्स' शब्द होने की आवश्यकता है, क्योंकि शिडूल्ड ट्राइब्स के लिए पर्सेन्टेज की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है, और मैं समझता हूं कि इसको सरकार स्वीकार करेगी, क्योंकि इसके अलावा कोई आधार नहीं है कि जिससे जानें कि अनुसूचित जन-जातियों की कितनी संख्या है और ५ पर्सेन्ट उस एरिया में है या नहीं है? उसके लिए सर्टीफिकेट किससे लिया जायगा, उसके लिए, अलावा इसके और कोई प्रावधान इस बिल में नहीं है। इसलिए प्रोवीजो में शिडूल्ड कास्ट्स के आगे 'शिडूल्ड ट्राइब्स' शब्द रखना अनिवार्य है जिससे उसकी जनसंख्या का पता लग सके। इसलिए मैंने संशोधन क्लॉज २ के अन्दर रखा है।

**श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २ में मेरा संशोधन इस प्रकार से है :

"Part (b) : In the newly proposed clause (2B) sought to be inserted, add the words "and includes a Bench thereof" after the word, figures and letter "section 27 B.'

अध्यक्ष महोदय, इस बिल के द्वारा हम २ बी क्लॉज़ इन्सर्ट करने जा रहे हैं, और न्याय पंचायत के साथ साथ उनकी बैन्चेज़ के फॉर्मेशन का प्रावधान कर रहे हैं। बैन्चों के फॉर्मेशन का जहां प्रावधान कर रहे हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि न्याय पंचायत की जहां पर डेफिनिशन करें उसमें बैन्च को भी शामिल करें। इस ख्याल से मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है।

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** (पंचायत मंत्री): माननीय अध्यक्ष, जो संशोधन माननीय श्री शंकरलालजी ने पेश किया है उसमें जरूर उन्होंने यह माना है कि इस क्लॉज़ में शिडूल्ड कास्ट का प्रावधान तो है लेकिन शिडूल्ड ट्राइब्स का नहीं, तो उसको कराना चाहते हैं। लेकिन संविधान में जो व्याख्या की गई है उसमें शिडूल्ड कास्ट्स के अन्तर्गत शिडूल्ड ट्राइब्स भी मानी गई हैं, और जो पंचायत एक्ट मूल में है। उसके क्लॉज़ में इसकी व्याख्या दी गई है तो उसमें परिगणित जातियों की व्याख्या में शिडूल्ड ट्राइब्स को अलग लिखने की जरूरत नहीं है। यह बात नहीं है कि कोई भूल हो गई है। बहुत सोच समझ कर रखा गया है। उसकी आवश्यकता नहीं है। उसका समावेश शिडूल्ड कास्ट्स में हो जाता है। इसलिए ही यह शिडूल्ड कास्ट्स,

( श्री हरिभाऊ उपाध्याय )

रखा है। इसलिए इनके संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

दूसरा, जो संशोधन माननीय भीमसेन ने रखा है वह भी अनावश्यक इसलिए है कि जो चीज यहां डालना चाहते हैं वह आगे के क्लॉज़ २७ डी में उसके लिए आ चुका है। वहां पर कवर हो जाती है वह चीज़। उसमें दिया गया है :

"Formation of Benches of Nyaya Panchayat : (1) Subject to the provisions contained in section 27 F and to the rules made under sub section (2) the chairman of a Nyaya Panchayat shall, for the hearing and disposal of suits and cases coming up before such Nyaya Panchayat under and in pursuance of the provisions of this Chapter form benches, each bench to consist of any three members whether or not inclusive of the chairman himself." चूंकि इस आशय का प्रावधान इसमें आगे कर दिया गया है इसलिए यहां करना रिडन्डेंट है।

मैं मानता हूं कि दोनों संशोधनों के संबंध में जो स्पष्टीकरण मैंने किया है वह काफी है। इसलिए इन संशोधनों की आवश्यकता नहीं रह जाती है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस पर जोर नहीं देंगे।

**श्री शंकरलाल** : अध्यक्ष महोदय, वैसे 'शिड्यूल्ड ट्राइब्स' का शब्द जोड़ दिया जाता तो क्लेरिफिकेशन हो जाता जिससे ग्रामीण जनता को असुविधा नहीं होती और जो अभी कन्फ्यूजन रहता है शेड्यूल्ड कास्ट्स के आगे शिड्यूल्ड ट्राइब्स में जोड़ देने से वह दूर हो जाता। क्योंकि कानून की दृष्टि से कानून प्रिय मंत्री महोदय ने कहा कि 'शड्यूल्ड कास्ट्स' शब्द में 'शिड्यूल्ड ट्राइब्स' आ जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए अगर वह आ जाता है तो 'शिड्यूल्ड ट्राइब्स' शब्द जोड़ने का जो मेरा संशोधन है उसको वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री शंकरलाल ने रखा है उसको उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

( स्वीकृत )

आज्ञा प्रदान की गई।

**श्री शंकरलाल** : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

**श्री भीमसेन** : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि बैंचों को न्याय पंचायत में शामिल किया गया है, तो मैं अपने संशोधन को वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भीमसेन ने प्रस्तुत किया है उसको उन्हें वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

( स्वीकृत )

आज्ञा प्रदान की गई।

**श्री भीमसेन** : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

Page No.30



**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ २ व ३....

**श्री रामप्रसाद लढ्ढा** : I wish to oppose clause 3.

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ विधेयक का अंग बने ।

( स्वीकृत )

क्लॉज २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

( विराम )

क्लॉज ३

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** (शाहपुरा ) : अध्यक्ष महोदय, धारा ३ जो मूल अधिनियम की है वह इस प्रकार है : " The State Government may. by notification in the Rajasthan Gazette, establish a Panchayat for a village or a group of villages not included within the limits of a Municipality." अब जो इसमें तरमीम की जा रही है वह यह है कि विलेज' के बाद or a part of a village, 'और जोड़ दिया जाय । इस प्रस्तावित तरतीम का अर्थ यह होता है कि एक गांव एक से अधिक पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में जा सकता है, एक गांव दो या तीन पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में भी जा सकता है । इस प्रकार से एक गांव के एक से अधिक टुकड़े किये जा सकते हैं । मेरा निवेदन यह है कि एक गांव के एक से अधिक टुकड़े करना असुविधाजनक होगा । हम देखते हैं कि डवेलपमेंट कार्य होता है वह जन सहयोग से होता है और उसमें जनता द्वारा भी रुपये खर्च किये जाते हैं । अब यदि एक गांव दो या तीन हिस्सों में बंट गया तो जो कॉमन डवेलपमेंट वर्क होते हैं उनको कौनसी पंचायत देगी और कौन कितने रुपये देंगे, यह बहुत बड़ी दिक्कत आती है । नतीजा यह होगा कि कोमन डवेलपमेंट वर्क सफर करेंगे ।

दूसरी बात यह है कि पंचायतें पटवारी सर्कल के आधार पर बनी हुई हैं । अब अगर एक गांव दो पंचायतों नीचे के जायगा तो दो पटवारी हल्के बनाने पड़ेंगे या एक गांव में दो पटवारी होंगे, यह भी दिक्कत रहती है ।

तीसरी बात यह है कि वोटर्स लिस्ट पंचायतों के लिये भी वही रहती है जो जनरल इलेक्शन के समय विधान सभा वगैरह के इलेक्शन में काम में आती है । पूरे गांव की एक ही वोटर लिस्ट होती है ; अब यदि किसी गांव को दो या अधिक टुकड़ों में बांटा गया तो वोटर्स लिस्ट किस तरह से बनाई जायेगी ?

इसमें सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि विलेज की युनिटी को इफेक्ट करती है । इसलिये यह आवश्यक है कि ऐसा प्रावधान न रखा जाय जिससे एक ही गांव को अलग अलग पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में जाना पड़े । इस तरह से धीरे धीरे चल कर पोलिटिकल कंसीड्रेशन्स से भी टुकड़े किये जा सकते हैं, यदि इस तरह का प्रोविजन रहता है तो इसलिये हम चाहते हैं कि एक गांव एक ही पंचायत के अधिकार क्षेत्र में रहे ताकि डवेलपमेंट वर्क, पटवारी सर्कल और वोटर्स लिस्ट पर भी उसका उल्टा असर न पड़े । इसलिये मैं इस क्लॉज ३ का विरोध करता हूं और चाहता हूं कि इसको विलोपित किया जाय ।

# Page No.31



**श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल में जो व्यवस्था की गई है कि ' part of avillage ' रखा जाय, यह बिल्कुल ठीक है। हमारे यहां कई गांव इतने बड़े हैं कि जिनकी आबादी दो, तीन हजार से भी अधिक है और कांम्पेक्ट एरिया नहीं है। उन गांवों के साथ लगे हुए मजरा वगैरह दो, तीन मील दूर पड़ जाते हैं और उनके साथ ही दूसरे गांव लगे हुए होते हैं। जब पंचायतों का फॉर्मेशन किया जाता है तब दूसरे मजरों को इनके साथ मिला नहीं सकते क्योंकि सर्वे सेटलमेंट में एक ही गांव में ये मजरे भी सम्मिलित होते हैं इसलिये दूसरी पंचायत का फोर्मेशन नहीं हो सकता और दिक्कत सामने आती है। इसलिये मेरे ख्याल से यह काफी ठीक व्यवस्था है। एक्सेप्शनल केसेज़ में मजरों को पास के गांव में मिलाने से पंचायत की स्थापना हो सकती है। इसलिये यह ठीक प्रोविजन है और रहना चाहिये।

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : इसमें " part of a Village " रखने का अभिप्राय यह है कि छोटी २ ढाणियां हैं उनको मिला कर गांव की परिभाषा में लाकर पंचायत बनाई जाय। बड़े गांवों को काट कर उनमें एक से अधिक पंचायत बनाने की आवश्यकता नहीं है। यदि ५ हजार की आबादी का गांव है तो भी वहां पर एक ही पंचायत रहेगी। एक गांव के टुकड़े करने की कल्पना नहीं है। लेकिन जो छोटी छोटी ढाणियें हैं उनको गांव की श्रेणी में लाना है। इसलिये माननीय सदस्य की आशंका निर्मूल है।

**श्री अध्यक्ष** : ढाणियें तो अब भी गांवों में पाई जाती हैं।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (स्वास्थ्य मंत्री) : राजस्थान में कई बड़े बड़े कस्बे हैं और कई छोटी छोटी ढाणियें उनके आसपास हैं। लेकिन ये ढाणियें भी एक ही गांव के नाम से होने से उनमें अलग अलग पंचायत नहीं बन सकतीं। कई कई ऐसे म्युनिसिपल एरियाज़ हैं जिनके आसपास ढाणियें हैं और उनमें पंचायतें हैं लेकिन उनका फॉर्मेशन लीगल नहीं है। यह प्रावधान इसलिये रखा गया है कि ढाणियों में भी पंचायत बन सके और कस्बों में म्युनिसिपैलिटीज हैं उनको ढाणियों से दूर करने के लिये इसे रखा गया है, वर्ना किसी गांव के दो टुकड़े करने की मन्शा नहीं है।

**डॉ० चन्द्रकला** : मंत्रीजी ने जो बात कही थी उससे आपकी बात भिन्न है।

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : मैंने जो कुछ कहा था उसको आपने ज्यादा साफ कर दिया।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि क्लॉज ३ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ४.

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** (शाहपुरा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत एक्ट की मूल धारा ६ इस प्रकार है :

,,The Election of Panchas shall

( श्री रामप्रसाद लड्ढा )

be held and conducted in the prescribeb manner." इसके अन्दर अमेन्डिंग बिल में जो अमेन्डमेन्ट चाहा गया है वह इस प्रकार है :

" provided that no person shall be deemed to have been elected a panch unless he secures not less than three fourths of the total number of votes cast at the election."

और मैंने इस प्रोवीजो में ३।४ के स्थान पर २।३ की तरमीम करने की इजाजत चाही है। जहां तक यह प्रावधान है कि कोई पंच जब तक १०० में से ७५ मत प्राप्त नहीं कर ले तब तक जीता हुआ घोषित नहीं किया जायगा, इसके पीछे बहुत बड़ा सिद्धान्त है। इसका आशय यह है कि क्योंकि विकेन्द्रीकरण की योजना जन- सहयोग के ऊपर आधारित है और जब तक जन सहयोग पूरा नहीं मिले तब तक योजना सफल नहीं हो सकती और जन-सहयोग तभी मिल सकता है जब कि पंचायत में ऐसे व्यक्ति हों जिनको सहयोग देने के लिये जनता तैयार हो। इन्डाइरेक्टली अधिक से अधिक लोग पंचों को चुनें तभी जन-सहयोग मिल सकता है, और क्योंकि सारा कार्य पंचायत के जरिये चलाया जायगा, इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए यह प्रावधान किया गया है कि तीन-चौथाई मतों से पंच चुने जाने चाहिये क्योंकि जिनके पीछे तीन-चौथाई मत होंगे उनको अधिक से अधिक सहयोग मिलेगा। जहां तक सिद्धान्त का सवाल है इस बात से इन्कारी नहीं की जा सकती कि नियरर टू युनानिमिटी तक पहुंचना बहुत बड़ा सिद्धान्त है। लेकिन उसका दूसरा आस्पेक्ट है प्रेक्टिकेबिलिटी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी जो पंचायतें हैं वे काफी बड़ी बड़ी हैं और उनकी संख्या तीन-चार हजार के करीब है और अब हम उनको और भी छोटा कर रहे हैं। इसका मतलब यह होगा कि सात-आठ हजार पंचायतें नई स्थिति में बनेंगी और उनमें लगभग ७०-८० हजार पंच चुने जायेंगे और जो ७०-८० हजार पंच चुने जायेंगे उनमें से ऐसे पंच कितने होंगे जो तीन-चौथाई मत प्राप्त कर सकेंगे ? हर पंचायत में ऐसे २ पंचों की औसत मानें जो नहीं चुने जा सकेंगे तो ७-८ हजार पंचायतों में १५-१६ हजार के करीब पंच ऐसे होंगे जो तीन-चौथाई मत नहीं प्राप्त करेंगे और चुने हुए घोषित नहीं किये जायेंगे और उनके स्थान रिक्त रहेंगे और वेक्यूम क्रिएट होगा और वेक्यूम तब तक रहेगा जब तक सरकार नोमीनेशन नहीं कर दे या दूसरे इलेक्शन नहीं करा दें। नोमीनेशन की पद्धति को जानते हैं, नोमीनेशन पद्धति के अवगुण जानते हैं, और नोमीनेशन में कितना समय लग जाता है उसको जानते हैं। जब तक कि नोमीनेट नहीं होगा। तब तक वेकेन्सी ज्यों की त्यों रहेगी। उसके बाद नोमीनेट होगा, उसके बाद इलेक्शन होगा, उसमें कितना समय लग जाता है ? इसमें सरकार ने छः महीने का प्रावधान रखा है। लेकिन आमतौर पर देखते हैं कि कितना समय लग जाता है। इससे नुकसान होगा और एक प्रकार का वेक्यूम क्रियेट हो जायेगा और स्थान रिक्त रहेगा। दूसरे, यह कि जितने भी अब तक लेजिस्लेशन बनाये हैं उनमें नोमीनेशन की पद्धति को डिस्कार्ड किया है और इसमें नोमीनेशन की पद्धति का अनुसरण किया

( श्री रामप्रसाद लड्ढा )

है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह का प्रावधान रखनां नोमीनेशन पद्धति को बढ़ावा देना है। अब १,४०० ग्राम पंचायतों के पंचों में अगर तीन-चौथाई मत प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि १,४०० नोमीनेशन करने पड़ते हैं और इस तरह कितना बढ़ावा नोमीनेशन पद्धति को दे रहे हैं, यह बात सभी माननीय सदस्यों के लिए विचारणीय हो सकती है। अब नोमीनेशन की बात नहीं आती है। इलेक्शन के कारण सरकार का और पंचायतों का कितना खर्चा बढ़ जाता है और उसके बाद भी १,४०० आदमियों का इलेक्शन हो, उसमें भी कई व्यक्ति रह जायं, और थ्री-फोर्थ मत प्राप्त न कर सकें, तो उसके बाद नोमीनेशन, री इलेक्शन, वही की वही सारी पद्धति हो जाती है। इस तरह नीअर टू युनेनीमिटी पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं, यह बहुत अच्छा प्रयास है। लेकिन उसके लिए जो एकदम तीन-चौथाई का मार्ग अपनाया है वह प्रेक्टीकेबल नहीं है। उसमें बाधा उपस्थित हो सकती है क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान होने जानेवाला है वह यह है कि इस तरह इलेक्शन, री-इलेक्शन, नोमीनेशन आदि से पंचायतों में अस्थिरता आ जायेगी। इसके साथ ही जिस विकास के काम में पंचायतों को जुट जाना चाहिए उसमें शिथिलता आ जायगी। तो जहां आप लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना को सफल बनाना चाहते हैं, वहां इस किस्म का प्रावधान रख देना, मेरे ख्याल से शिथिलता लाना है। बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अपने प्रस्ताव रखे हैं और अपने अपने विचार व्यक्त किये हैं, उससे यह साफ है कि बहुत सारे माननीय सदस्य इस पक्ष के हैं कि ऐसा प्रावधान बिल्कुल न रहे; क्योंकि मान लीजिये, एक सीट के लिए चार आदमी खड़े होते हैं। उनमें से दो को २२-२२, तीसरे को २३ और चौथे को ३० मत मिलते हैं। तो १०० में से ३० मत प्राप्त किया हुआ व्यक्ति जीता हुआ घोषित किया जायगा, ७० के खिलाफ भी वह जीता हुआ घोषित किया जायगा। इस प्रकार का प्रावधान रख देना चाहते हैं, यह उनकी दलील है। मेरी दलील इससे विभिन्न है। मैं इससे इत्तफाक नहीं करता हूं। मेरा यह सुझाव है कि इस तरह का प्रावधान रखें तो तीन-चौथाई न रख कर दो-तिहाई रखें, तो यह बीच का रास्ता हो सकता है। अगर दो-तिहाई के रास्ते में सफलता मिलती है। तो आगे चल कर तरमीम ला सकते हैं। हमारा पंचायत समिति और जिला परिषद् बिल सदन के सामने जब विचारार्थ था उसमें भी निअरर टू युनेनिमिटी का प्रिन्सिपल मान कर सुझाव दिया गया था कि जहां पंचायत को डेवलपमेंट के वर्क करने हैं उनको तय करने के लिए ३ मतों से निर्णय हो, ऐसा रखा गया था। लेकिन जैसा आज चल रहा है, और जो सिद्धान्त मैं आज रख रहा हूं उसको मानते हुए दो-तिहाई किया था। मैं समझता हूं, यह एक बहुत कठिन प्रश्न है, जिस पर गवर्नमेंट को विचार करना है। बलवन्तराय मेहता कमेटी ने भी इस सिद्धान्त के बारे में बहुत सारी चर्चाएं कीं बाद में उसने भी मध्यस्थ मण्डल की बात कही। उनका कहना यह है कि पंचायतों के इलेक्शन न हों, वहां युनेनिमस डिसीजन हो जायं, जिससे फूट न बढ़े और काम सुगमता से हो सके। लेकिन वह भी कोई राय कायम नहीं कर सकी और उनको भी रिपोर्ट

( श्री रामप्रसाद लड्ढा )

में कहना पड़ा कि अगर मध्यस्थ मण्डल से सफलता न मिले और इलेक्शन हों, तो दो-तिहाई, तीन चौथाई रखा जाय, more than half रखा जाय, मेजोरिटी रखी जाय, यह सारा प्रश्न सरकार पर छोड़ दिया है, स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर छोड़ दिया है। यही प्रश्न हमारे सामने भी है, इसलिए इस पर बहुत गहराई से विचार करना चाहिए और केवल सिद्धान्त और आदर्श के लिए ही जो प्रेक्टीकेबिलिटी का आसपेक्ट है उसको नहीं भूलना चाहिए। एक तरफ प्रिन्सिपल्ज है, दूसरी तरफ प्रेक्टीकेबिलिटी है, और प्रिन्सिपल तक पहुंचने के लिए प्रेक्टीकेबिलिटी को उतना ही महत्व देना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा ही धीरे धीरे प्रिन्सिपल तक पहुंचते हैं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है माननीय मन्त्रीजी से कि तीन-चौथाई के स्थान पर दो-तिहाई की जो तरमीम मैंने प्रस्तुत की है उसको स्वीकार कर लें, जिससे आदर्श भी रख सकेंगे और प्रेक्टीकेबल भी होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

( अनुपस्थित )

श्री सोहनलाल भटनागर।

**श्री सोहनलाल भटनागर** ( सलूम्बर ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें संशोधन है : "Replace the words "three-fourths" by the words "fifty one percent". माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल सही है कि जिस भावना से इसमें यह व्यवस्था रखी है, कि थ्री फोर्थ वोट आने पर पंच घोषित किया जायगा, मेरे ख्याल से, इसमें जो प्रेक्टीकेबल आस्पेक्ट है, उसको मद्देनजर रखें तो इसमें बहुत कामयाबी नहीं होगी। यह बिल्कुल सच है कि आदर्श की दृष्टि से अगर युनेनीमसली कोई चुनाव हो जाय तो ठीक है लेकिन डेमोक्रेसी के अन्दर जो व्यवस्था है और नीचे के, लोअर लेवल तक डेमोक्रेसी को ले जाना चाहते हैं तो यह बिल्कुल ही जरूरी है कि ऊपर और नीचे की व्यवस्था है उसके अन्दर साम्य होना जरूरी है। कई माननीय सदस्यों की राय है, वह ठीक है कि हम ऊपर के केडर में, ऊपर के टायर में जो डेमोक्रेसी पद्धति रख रखी है, उसमें युनेनिमिटी थ्री फोर्थ वोट की बात नहीं रखते। तो मेरे ख्याल से, जो नीचे का टायर है, उसके ऊपर भी इतना बड़ा प्रतिबन्ध लगाना ठीक नहीं है। यह बिल्कुल सही है कि डेमोक्रेसी के अन्दर, जब हम प्रारम्भ में हैं, शैशव काल में हैं, तो हो सकता है कि आपसी मनमुटाव के कारण आपसी व्यवहार खराब हो, उस दृष्टि से डेमोक्रेसी अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन यह अन्तरिम पीरियड धीरे धीरे समाप्त हो जायगा और सुव्यवस्था और शांति के साथ में आगे चुनाव हो सकेंगे। वैसे हम आशा कर रहे हैं, लेकिन यदि व्यवस्था जो है ज्यों की त्यों रहेगी तो बहुत मुश्किल होगी, हजारों पंचायतों के चुनाव नहीं हो सकेंगे और वेक्यूम क्रियेट होगा। इस दृष्टि से मैंने यह संशोधन रखा है कि ५१ प्रतिशत रखा जाय, यह जो तीन-चौथाई या दो तिहाई की बात है, इसका कोई मतलब नहीं है, उसमें विशेष अन्तर नहीं पड़ता। अगर आज ५१ पर्सेन्ट से आ जाते हैं तो आगे आशा हो सकती है कि युनेनिमिटी से चुनाव हो जायं, मगर यह अभी होना बहुत दूर की बात है

( श्री सोहनलाल भटनागर )

और इस आदर्श की पूर्ति दूर की बात है। इसलिए जो वर्त्तमान व्यवस्था है उसमें संशोधन करना चाहते हैं और उसमें गति देना चाहते हैं और अपने गंतव्य स्थान की प्राप्ति की ओर आगे अग्रसर होने का आदर्श जनता के सामने रखना चाहते हैं, तो यह जरूरी हो जाता है कि धीरे धीरे कदम आगे बढ़ायें और उस दृष्टि से ५१ पर्सेन्ट रखने का संशोधन सदन के सामने प्रस्तुत किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे धारा सभा के चुनाव में कोई सदस्य खड़ा होता है, उसकी पार्टी मेजोरिटी न होते हुए भी वह खड़ा होता है और क्लीअर मेजोरिटी न होते हुए भी चुना हुआ घोषित कर दिया जाता है....

इसलिए मेरे ख्याल से यह जो संशोधन है, वह ठीक है और वाकई परिस्थिति को देखते हुए ठीक है, और जिस आदर्श तक पहुंचना चाहते हैं उसके लिए पहली सीढ़ी हो सकती है।

**श्री परसराम मैदारीना** ( आसीन ): अध्यक्ष महोदय ...

**श्री अध्यक्ष** : डॉ० चन्द्रकला। दो और हैं।

**डॉ० चन्द्रकला** ( किशनपोल बाजार, जयपुर ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ में मेरे दो संशोधन इस प्रकार हैं :

1. "In the new proviso sought to be added to section 6 between the words 'number of' and the word 'votes' insert the word 'Valid'.

2. Add the following new clause 4A:-

"4A. Insertion of new section 6A and 6B in Rajasthan Act 21 of 1953 After section 6 of the principal Act, the following new sections shall be inserted, namely:—

"6A. There shall be three Categories of Panchayats with full, limited and curtailed powers as may be prescribed by the Government, namely:
(a) a panchayat elected unanimously shall be a first class Panchayat to be Called "Sreshth Panchayt".

(b) a panchayat elected by three-fourth majority shall be a second class Panchayat be called "Madhayam Panchayat : and

(c) 'a Panchayat elected by 60 % majority shall be a third class Panchayat to be called 'Sadharan Panchayal".

6B. "Every Panchayat shall place before the Gram sabha Six-monthly report and acconnts of income and expenditure of approval for the next six-monthly programme and seek its work within the Panchayat Circle. Such meeting shall be convened by the Sarpanch in his absence by the up-Sarpanch as the case may be after every ix month".

पहला संशोधन मामूली सा है कि 'वोट्स' के पहले 'वेलिड' शब्द जोड़ दिया जाय। मेरा ख्याल है कि इसके विषय में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह भाषा का सुधार मात्र है और माननीय मंत्रीजी भाषा का सुधार समझ कर ही इसे स्वीकार करेंगे।

( डॉ० चन्द्रकला )

लेकिन जो दूसरा संशोधन है वह मैंने बहुत सोच-समझ कर और जो कठिनाइयां और दिक्कतें पंचायतों के चुनाव के सम्बन्ध में आती हैं उनको देखते हुए रखा है। कल भी सामान्य चर्चा जब इस विधेयक के सम्बन्ध में हो रही थी उस समय भी और आज भी जैसा कि अभी शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि पंचायतों के चुनाव का बहुत बड़ा सवाल है और मेहता कमेटी ने भी जो रिपोर्ट पेश की उसमें किसी डिसीज़न पर नहीं पहुँची और स्टेट लेजिस्लेचर पर छोड़ दिया कि आखिर किस प्रतिशत से पंचायतों का चुनाव करना चाहिए। निश्चित रूप से पंचायतों के चुनाव के सम्बन्ध में कितने प्रतिशत पर पंच को चुना हुआ माना जाय, यह एक बहुत गम्भीर प्रश्न है और इसको हम आसानी से, हल्के तरीके से नहीं सोच सकते। हमें इसके फलाफल पर अच्छी तरह से विचार करना पड़ेगा। हम विधान सभा और लोक सभा के चुनावों से पंचायतों के चुनावों की तुलना नहीं कर सकते। पंचायतें छोटी होती हैं। पंचायतों में एक गांव का जन जीवन समन्वित होता है और वे लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। जहां विधान सभाओं और लोक सभा के प्रतिनिधि होते हैं उनका इस तरह का सम्बन्ध नहीं होता जिस तरह पंचों का पंचायतों से या गांवों से होता है। इसलिए लोक सभा और विधान सभाओं के चुनाव के लिए जो नियम हैं वे ही नियम पंचायतों के लिए लागू नहीं कर सकते।

जब किसी चीज़ को मेजोरिटी से तय करते हैं तो पहले कहा जा चुका है कि अल्प-मत किस तरह बहुमत द्वारा उपेक्षित किया जाता है? मैं सदन की जानकारी के लिये बताऊं कि बहुमत का या ५० पर्सेन्ट का सवाल है वह किस तरह वहां के अल्प-मत वाले निवासियों के लिए दुखदाई हो जाता है। हमारे जयपुर में ही एक कच्ची बस्ती जिसे स्लम कहते हैं जालूपुरा क्षेत्र है। उसमें ५८५ घर थे। एक ही जाति के ज्यादा लोग थे और दूसरी अल्प जातियां थीं, गांव जैसे वहां के लोग रह रहे थे। उन्होंने एक समिति बनाई और यह नियम रखा कि ५१ प्रतिशत लोग जो तय करें वही सब पर लागू होगा और उन्होंने, ५१ प्रतिशत ने इकट्ठे होकर अपने पंच, सरपंच, उप-सरपंच चुन लिए और अपना संगठन बना लिया। सरकार से जो सुविधाएं और सहायता मिलनेवाली थी, जिस तरह से ५१ पर्सेन्ट के प्रतिनिधियों ने चाहा वैसे बांटा और ४९ पर्सेन्ट जो लोग थे उनको कुछ नहीं मिला। मैंने कानून की भी शरण लेनी चाही; पर यही जवाब मिला कि आपका जनतन्त्र है, आपका जनतन्त्र का कानून है; आप जानें, आपकी जनता जाने। तो इस तरह हम पंचायतों में ५१ के अगेन्स्ट में ४९ के हितों का बलिदान नहीं कर सकते। ५१ पर्सेन्ट का कर देंगे तो वे लोग ४९ पर्सेन्ट का कितना ख्याल रखेंगे, इसकी कोई गारन्टी नहीं। गांवों का जीवन एक समन्वित जीवन है, एक परिवार का जीवन है। उस परिवार के जीवन में ५१ पर्सेन्ट या २।३ बहुमत की बात करेंगे तो कई प्रकार की दिक्कतें आने वाली हैं।

फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने बताया कि किस तरह आज गांव गांव और

Page No.37



( डॉ० चन्द्रकला )

घर घर में फूट फैली हुई है। जातिवाद और वर्गवाद, वर्गभेद आज गांवों में इस तरह व्याप्त हो रहे हैं, इसका कारण आज-कल की चुनाव पद्धति है। निश्चित रूप से ३।४ का संशोधन सरकार ने इसको रोकने के लिये रखा है। वैसे ३।४ रखा है वह बहुमत की तरफ ले जाता है। आज हमारे देश में सर्वोदय आन्दोलन चल रहा है, जिसके प्रवर्त्तक विनोबाजी हैं, हमारे यहां ग्रामदान भी हुए हैं, १३५ ग्राम राजस्थान में दान हुए हैं। वहां इस प्रकार का प्रयोग किया जा रहा है कि वहां पर सर्व सम्मत चुनाव हों। इसको स्वीकार किया जा चुका है, इसके आदर्श से किसी को विरोध नहीं होता।

हम यह शर्त्त रख देंगे कि पंचायत का चुनाव सर्व-सम्मत होगा तो जो पंच बनना चाहेगा वह गांव के हर व्यक्ति को तैयार करने के लिये राजी करने का प्रयत्न करेगा। आज तो जैसे-तैसे मेजोरिटी प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, एक वोटर को कोई उठा कर ले गया और जीत जायगा। सर्वानुमत होगा तो हर एक को राजी करने की कोशिश करेगा और यहीं तक नहीं, पंच चुन कर आ जायेगा तो भी आयन्दा आने के लिये गांव के सब लोगों का ख्याल रखेगा, ५१ के बजाय सारे गांव की बात सोचेगा। इसलिये युनेनिमस की बात को स्वीकार करना चाहिये।

अभी पहले माननीय सदस्य ने कहा कि कानून की जगह व्यवहारिक बात भी सोचनी होगी कि सर्व सम्मत कर सकेंगे कि नहीं। जैसे उन्हें भय है उसी तरह हमें भी भय है। कि इसीलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि इस तरह की पंचायतों की ३ श्रेणियां बना दी जायं। जो सर्व सम्मति से चुनाव कर सके उसे श्रेष्ठ पंचायत मान लिया जाय, जो ग्रामदानी गांव हैं वे इस श्रेणी में आ सकते हैं। दूसरी श्रेणी की वे पंचायतें रखी जायं जो ३।४ मेजोरिटी से अपना चुनाव करें, इस श्रेणी की पंचायतें मध्यम श्रेणी की पंचायतें मानी जायं और तीसरी श्रेणी की पंचायतें साधारण श्रेणी की पंचायतें मानी जायं।

जो प्रथम श्रेणी की सर्वश्रेष्ठ पंचायतें हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिये जायं और उनको अधिक सुविधाएं व सहायता दी जाय। मध्यम श्रेणी की पंचायतों को उनसे कम अधिकार व सुविधाएं दी जायं और साधारण श्रेणी की पंचायतों को मध्यम श्रेणी की पंचायतों से कम सुविधाएं व कम अधिकार दिये जायं।

इससे यह लाभ होने वाला है कि जन-सहयोग से गांवों की व्यवस्था वे लोग अच्छी तरह कर सकेंगे और मध्यम श्रेणी की पंचायतें होंगी वे धीरे धीरे यह कोशिश करेंगी कि वे भी किसी तरह श्रेष्ठ श्रेणी की पंचायतों में आयें और श्रेष्ठ पंचायतों को जितना फायदा मिलता है वह हम भी उठायें। ग्रामों की जो सुंदर कल्पना, सुंदर भावना है वह इसी तरह सफल हो सकती है।

मेरे संशोधन के द्वारा कानून की रक्षा भी होती है और व्यवहारिक दृष्टि से संभव है, उसका भी सुझाव दिया है। इसलिये मैंने संशोधन रखा है कि 'परन्तु' इसके साथ इतना और जोड़ दिया जाय।

इस संशोधन के द्वारा मेरा दूसरा सुझाव

( डॉ० चन्द्रकला )

है कि हर एक गांव में ग्राम सभा होगी, पंचायत होगी, गांव की असेम्बली होगी, पूरे गांव के सामने सारे पंच, उप-सरपंच और सरपंच अपनी रिपोर्ट, अपना बजट, अपना कार्य-क्रम, अपना ६ महीनों का कार्यक्रम रखें और हर छठे महीने में मीटिंग बुला कर पिछला कार्य-विवरण और आगे का कार्यक्रम बजट आदि सब रखें। इस प्रकार हम अच्छी तरह से काम कर सकेंगे। पंचायतों का काम ऐसा नहीं है कि हम इधर-उधर से पूरा कर सकेंगे। पंचायतों के द्वारा हम हमारा आर्थिक, सामाजिक और नैतिक विकास करके ग्राम स्वराज्य की सुन्दर कल्पना को सफल बनाना चाहते हैं। असली राम-राज्य, ग्राम राज्य स्वराज्य सफल ग्राम राज्य में है।

आज-कल की चुनाव प्रणाली भेदभाव और फूट फैलाती है; इस दृष्टि से मैंने यह संशोधन रखा है। मैं आशा करती हूँ कि सदन इससे सहमत होगा और मन्त्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : श्री पी० के० चौधरी।

**श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, अमेंडमेंट सर्कुलेट हुआ है उसमें थोड़ा रोंग प्रिंटिंग है। क्लॉज ४ का प्रोविजो है उसके एन्ड में लिया जायगा और In the proviso sought to be added to Section 6 between the words 'three-fourths' and 'of the total' insert the words 'or fifty percent' and at the end of the proviso add the words 'whichever is less.'' अध्यक्ष महोदय, मेरे अमेंडमेंट के साथ यह प्रोवीजो इस तरह पढ़ा जायगा : "Provided that no person shall be deemed to have been elected a panch unless he secures not less than three-fourths or fifty percent of the total number of votes cast at the election or whichever is less."

अध्यक्ष महोदय, जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने बताया है कि कुछ लोगों ने यह बताया कि नियर युनेनिमिटी के लिये यह तीन-चौथाई वोट का रखा है। इसके लिये कुछ माननीय सदस्यों के सुझाव हैं कि दो-तिहाई रखा जावे और कुछ के सुझाव हैं कि ५१ पर्सेन्ट होने चाहिये। मैंने जो सुझाव रखा है वह यह है : "three-fourths of the total votes cast or fifty percent of the votes" इससे मैं समझता हूँ कि ५० पर्सेन्ट वोट रखने से ज्यादा सहूलियत इसलिये रहेगी कि यदि पंचायतों का चुनाव होता है और वहां पर किसी वार्ड में ज्यादा आदमी रहते हों और ज्यादा वोट हों और किसी में कम हों तो मैंने जो इस क्लॉज़ पर अमेंडमेंट रखा है उसमें यह भी आ जावेगा २।३ या ५१ पर्सेन्ट की बात रखी है उनकी मंशा भी पूरी हो जावेगी और गवर्नमेंट ने जो तीन-चौथाई बहुमत का रखा है, गवर्नमेंट की भी मंशा का समावेश इसमें आ जाता है।

अब यह कहा गया है कि बलवन्तराय मेहता ने इस पर सोचा है और कोई सोल्यु-शन नहीं निकाला है। हालांकि बलवन्तराय ने साफ कहा है कि चुनावों के इन्ट्रोडक्शन होने के बाद काफी फ्रिक्शन आपस में शुरू हुआ है और यह पंचायतों के सिलसिले में शुरू हुआ। इसका मतलब यह नहीं था कि हम गांवों में फ्रिक्शन फैलावें और पंचायतों का काम डीसेन्ट्रलाइजेशन में है उसके जरिये जो विकास के कार्य होने हैं उनमें गुट

( श्री पी. के. चौधरी )

बन्दियें चालू हों और यदि यह विकास के कार्य गुटबन्दियों या कॉम्युनलिज्म के बेसिस पर चलेंगे तो जितनी प्रगति हम करना चाहते हैं ग्रामों में विकास के कार्यों को करने की, वह नहीं कर पावेंगे। इसलिये बलवन्तराय मेहता कमेटी ने यह सुझाव दिया है। उन्होंने डेफिनिट कोई बात नहीं कही और न बताई है। उन्होंने यह कहा है कि हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिये कि युनेनिमस चुनाव हो जावें और जो लोग खड़े हों उनको समझा-बुझा कर बैठा दिया जावे और युनेनिमस चुनाव करादें। लेकिन आज की परिस्थिति में यह संभव नहीं है कि गवर्नमेंट लेवल पर यह कार्य पूरा हो। कोई इतना बड़ा अधिकारी नहीं जो इस काम को अपने हाथ में ले सके कि जो खड़ा हो उसको समझा बुझा कर बैठा दे और युनेनिमस चुनाव करा दे। यह पोसिबल नहीं हो सकता। लेकिन यह भी देखना है कि इसके साथ साथ सेपरेट टेन्डेन्सी, कॉम्युलिज्म और फ्रेक्शन-लिज्म जो शुरू हो गया है वह भी हमें खतम करना चाहिये और मैं समझता हूं कि हम उस काम में नाकामयाब हुए। विकास और ग्रामोत्थान की बात करते हैं वह सारी अधूरी रह जावेगी।

अब यह कहा जाता है कि पार्लियामेंट या एसेम्बली के चुनाव; तो वे तो इस प्रकार सम्पूर्ण मेजोरिटी से नहीं आते। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट, एसेम्बली और लोकल बोडीज़, सब को हमें मिक्स-अप नहीं करना चाहिये। पार्लियामेंट कुछ अलग लेवल पर काम करती है और लोकल बोडीज़ हैं वे पार्टी बेसिस पर काम करती हैं। हमने यह इसलिये एस्टेब्लिश किया है कि लोगों को काम में इन्ट्रेस्टेड होना चाहिये। We want them to be interested in their own development work, और किसी चीज के लिये नहीं किया है। अब तक क्या था? जहां जहां लोकल बोडीज़ थीं वहां पर लोग नोमिनेटेड होते थे। लेकिन उनके लिये यह शिकायत थी कि सरकार की तरफ से उनको स्पून फीडिंग होता है और इसकी वजह से लोकल टेलेन्ट्स हैं, लोकल प्रतिभा का विकास नहीं होता है। इसलिये हम चाहते हैं कि स्पून फीडिंग बन्द हो जावे। साथ साथ हम यह भी चाहते हैं कि फ्रेक्सनेलिज्म भी बन्द हो जावे। हम डेवलपमेंट के लिये इनको ज्यादा से ज्यादा पॉवर देने जा रहे हैं। सरकार ने पब्लिक सेनिटेशन आदि सारे इकोनोमिक प्रोग्राम इन बॉडीज़ के हाथ में सौंप दिये। हमने इतने सारे पॉवर्स उनको दिये हैं जिनको देखने से ऐसा मालूम होता है कि स्टेट गवर्नमेंट पंचायत लेवल से डिसएपियर होती जा रही है। कोई इर्रिगेशन या इंजीनियरिंग का काम हो या कोई प्रोडक्शन का काम हो, उन सारे कामों से स्टेट गवर्नमेंट अपना इन्टरफियरेन्स बन्द कर रही है और ये सारे काम उनके हाथ में दे रही है। दूसरी ओर उनके लिये फन्ड एवेलेबल कर रही है। आप कहते हैं कि फ्रिक्शन पैदा हो गया तो सम्पूर्ण मेजोरिटी से अगर आवेंगे तो आपके पास क्या गारन्टी है, क्या प्रोविजन है कि उनके विकास के फन्ड हैं, काम हैं वे सिर्फ एक ही सेक्शन के फायदे के लिये नहीं करेंगे? तो इसका एक ही तरीका गवर्नमेंट ने सोच कर इसको किया है कि जो हम तीन–चौथाई मेजोरिटी का प्रोविजन रखेंगे तो जो लोग चुन कर आवेंगे that will be acceptable to a very big majority of the locality. किसी भी वार्ड में इतने भंगी मेजोरिटी के

( श्री पी. के. चौधरी )

एक्सपेक्टेड होंगे तो उस वार्ड से जो व्यक्ति चुन कर आवेगा वह सब लोगों के इन्ट्रेस्ट को देखते हुए काम करेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि यह जो रखा गया है काफी-समझ कर रखा गया है और जो विकास के काम करने चाहिये करेंगे। जब विकास के काम करने के लिये लोग गांवों में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि पंचायतों के सिलसिले में बहुत से गांवों में फ्रिक्शन बढ़ गया है। ऐसा कोई गांव आपको नहीं मिलेगा जिसमें आपको फ्रिक्शन नहीं दिखाई दे। इस फ्रिक्शन से मैं आपको बता दूं कि विधान सभा में जो लोग बैठे हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा। पहले से आपको कोई फायदा नहीं होगा। दो-तिहाई से फायदा होगा।

जब आपस में फ्रिक्शन होते हैं तो आप किसी से एलायन्स कर लें।

**एक माननीय सदस्य** : आपको ऐसा करना चाहिये।

**श्री पी० के० चौधरी** : अगर आप सिम्पल मेजोरिटी बनावेंगे तो आपको इससे कोई फायदा नहीं रहेगा। इससे आप अगले चुनावों में किसी से एलाइनमेंट करके चुनाव जीत सकते हैं। अगर तीन-चौथाई रखेंगे तो....

**डॉ० चन्द्रकला** : फ्रिक्शन नहीं रहना चाहिये।

**श्री पी० के० चौधरी** : इसको रखने से आपको ज्यादा फायदा मिलेगा।

**डॉ० चन्द्रकला** : प्रेक्टिकल दृष्टि से....

**श्रीमती सतवंतकौर (करनपुर)** : आप यह चाहते हैं कि हमें फायदा न हो?

**श्री पी० के० चौधरी** : इस प्रकार का फायदा हम नहीं चाहते। गांवों में ७५ प्रतिशत युनेनिमिटी से या fifty percent of the total number of votes in the ward; वह आप कर दें तो जैसी हमारे माननीय सदस्य की भावना है उसकी भी कद्र हो जाती है और हमारा भी काम हो जाता है। दोनों काम हो जाते हैं और जो चीज़ आप चाहते हैं वह भी होगी और उसकी भावना की कद्र होगी। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा जो एमेन्डमेंट है, it needs both the view points; इसको मंजूर कर लिया जावे।

**एक माननीय सदस्य** : ५० पर्सेन्ट कर दिया जावे।

**श्री पी० के० चौधरी** : 50 percent of the total votes cast; यह डिस्टिंक्शन मैंने किया है। 50 percent of the total votes in the ward. आप मान लें कि एक केन्डीडेट किसी वार्ड से खड़ा हुआ। मान लें की वार्ड में ४०० वोट्स हैं। उसको वोट्स मिल जाते हैं। अब वहां पर ३५० वोट कास्ट होते हैं तो उस हिसाब से तीन-चौथाई नहीं होते हैं। मगर मैंने जो बात रखी है इससे उसको चुना हुआ डिक्लेअर किया जावे तो जो बातें माननीय सदस्यों ने रखी हैं उनकी भी कद्र होती है और तीन-चौथाई का है वह भी रह जाता है। दोनों चीजों का समावेश करदिया है। दोनों चीज़ों का समावेश मैंने उसमें कर दिया और मैं मानता हूँ कि पंचायत विभाग के मंत्री महोदय हैं वे हमेशा समावेश की कद्र करते हैं, कम्प्रोमाइज़ के उसूल को हमेशा

( श्री पी. के. चौधरी )

मान कर चलते हैं, जरूर मेरे इस अमेंडमेंट को स्वीकार करेंगे ।

**श्री परसराम मैदरीना** (आसीन) : अध्यक्ष महोदय, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अमेंडमेंट क्लॉज़ ४ पर रखा है मैं उसका विरोध करता हूं । विरोध इसलिए करता हूं कि उन्होंने कहा कि three fourth of the tatal number of votes and 50 percent of the votes in a ward; अगर इनका ऑल्टरनेटिव रख दें तो दोनों का एक ही मतलब निकलता है । ३।४ of the votes का एक तरह से कम्पलशन रखा जा रहा है, यह उसका सोल्युशन नहीं है, वह तो एक रिजिडिटी है । मैं इसका विरोध करता हूं लेकिन सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अमेंडमेंट रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और समर्थन इसलिए करता हूं कि जिस रामराज्य की कल्पना हमारे आदरणीय मंत्री महोदय ३।४ मेजोरिटी रख कर कर रहे हैं । वह आज इस युग में अव्यवहारिक है और शायद युटोपिया है । बिल का ड्राफ्ट करते वक्त ड्राफ्टर्स को शायद अनुभव नहीं है और न कभी पंचायतों के चुनावों में भाग लेने वाले हैं, और न पंचायतों के चुनाव कराते हैं । जो लोग पंचायतों के चुनाव लड़ते हैं, पंचायतों के नेचुरल इन्स्टीट्यूशनल ग्रोथ के लिए जो लोग रात-दिन पैरोकारी करते हैं, अथवा फील्ड में रहते हैं वे इस बात को निश्चित मानेंगे कि इस तरह का जो चैक लगाया जा रहा है वह अनडेमोक्रेटिक है और इसीलिए आप धारासभा के चुनावों में, पार्लियामेंट के चुनावों में, विधान सभा के चुनावों में, म्युनिसिपैलिटीज़ के चुनावों में इस तरह का प्रतिबन्ध, इस तरह की रोक, इस तरह की पाबन्दी नहीं लगाते हैं । तो वजह क्या है कि आप पंचायतों के चुनावों में इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगावें ? क्योंकि वे डेवलपमेंट में भाग लेने वाले हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि अर्बन एरिया में भी तो ब्लॉक्स खोलने वाले हैं । जो म्युनिसिपैलिटीज़ के सदस्य होंगे तो क्या उनका काम डेवलपमेंट में नहीं है ? क्या एडमिनिस्ट्रेशन्स में है ? युनाइटेड नेशन्स में रिप्रेज़ेन्टेटिव्ज़ जाने वाले हैं ? अर्बन एरिया में ब्लॉक्स खोलते हैं तो उनका भी यही काम होगा । म्युनिसिपैलिटीज़ के साथ में सिस्टर संस्थायें चलती हैं, हो सकता है कि इनका एरिया बड़ा है और उनका छोटा । रूरल एरिया में स्केटर्ड पापुलेशन होने के कारण पंचायतों के एरिया को डिलिमिट किया गया है लेकिन ३।४ मेजोरिटी का प्रावधान रख देने से वहां पर फ्रेक्शनेलिज्म कम होने वाला नहीं है किन्तु वह तो बढ़ने वाला है । मान लीजिये कि ५० वोट्स देंगे । पार्टियां खड़ी हो जावेंगी । वे तीन केन्डीडेट्स खड़े कर देगी । टोटल नम्बर १ भी नहीं आवेगा और ५० पर्सेन्ट रखने वाले हैं तो उसमें भी डिफिकल्टी आने वाली है लेकिन इसमें रिजिडिटी कम है । इसमें यह डिफिकल्टी आने वाली है कि दो केन्डीडेट्स हों. ५० पर्सेन्ट एन्ड हाफ सिक्योर कर लेता है तो डिक्लेयर्ड केन्डीडेट लेते हैं, एक नेट प्रोफिट से तो यह भी फ्रस्टेट हो जाता है । ऐसी स्थिति में मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मुझे इसका एक्सपीरियेन्स है और इसको

( श्री परसराम मैदरीना )

सुनिये, यदि आपने ३।४ रखा तो हजारों पंचायतों के चुनाव रुकेंगे, नोमीनेशन की पद्धति रखेंगे और फिर सरपंच और जो इन्ट्रेस्टेड व्यक्ति होंगे उनकी बन आयेगी। आप एक तरफ तो सत्ता ट्रान्सफर कर रहे हैं और दूसरी तरफ इनको सैल्फ सपोर्टेड बनाने के लिए सब पॉवर्स दे रहे हैं। आज डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन से वार्ड के पंच और सरपंच आपके डेवलपमेन्ट के कामों के एजेन्ट बनने वाले हैं, आज भी हैं क्योंकि गांव का सरपंच पंचायत समिति का सदस्य है और वह दूसरे पंचों से उसको इम्प्लीमेंट करवा रहा है, उसकी मार्फत डेवलपमेन्ट के काम होते हैं, वह पंचों के द्वारा उनको करवाता है। ३।४ मेजोरिटी रखने से फ्रेक्शनेलिज्म गांवों में बढ़ेगा और वह इसलिए बढ़ेगा कि १, २ पार्टीज़ होंगी और केन्डीडेट्स होंगे, यह बढ़ती ही जावेगी, पार्टी बाजी भी गांवों में बढ़ती जावेगी।

अध्यक्ष महोदय, नियरर टू युनानिमिटी का प्रश्न है। स्पेश्येली इलेक्शन्स में, वोट्स के जरिये, जहां वोट्स में यह एक मानी हुई पद्धति है, जहां पर डेमोक्रेसी वर्क कर रही है २००,२५० और ३०० वर्षों से, सिम्पल मेजोरिटी से केन्डीडेट आता है। यहां आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन का, वह बना है और वह एक कामयाबी की चीज हो रही है उससे प्रोत्साहित होकर, जल्दबाजी करके आगे जाकर गलती न कर जाओ, इसका मुझे बहुत बड़ा अन्देशा है। इस प्रकार के ३।४ मेजोरिटी के रखने से बहुत सी पंचायतों के, हजारों पंचायतों के चुनाव रुकेंगे, नायब पंचायत का फोर्मेशन करने वाले हैं वह भी रुकेगा। एक तरफ तो डिसेन्ट्रेलाइज़शन की बात करते हो, दूसरी ओर हजारों पंचायतों के इस तरह से चुनाव रुक जावेंगे, फिर नोमीनेशन के पॉवर्स आपके हाथ में हैं। इसलिए मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ३।४ मेजोरिटी से तो आप बार बार उन पंचायतों के इलेक्शन को रुकवा रहे हो, जो श्रम दान में शक्ति लगने वाली है वह चैक हो जावेगी, यदि वे इसको भलीभांति सोचते तो उनको यह महसूस हो सकता था कि इससे बार बार इलेक्शन्स के पूल बनेंगे, फिर ३।४ मेजोरिटी नहीं होगी, फिर इलेक्शन्स के पूल बनेंगे। इससे हर प्रकार लोगों में फ्रस्ट्रेशन होगा और उन लोगों को चुनावों में ही अपना समय लगाना पड़ेगा, स्वाभाविक तौर पर लगेगा और इससे डेवलपमेन्ट्स के कामों को प्रोत्साहन न मिल कर वे इनसे मुख मोड़ेंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय; यह जो अमेन्डमेंट इस क्लॉज में सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उसको मन्जूर करना चाहिए। वार्डों के लेवल ३।४ मेजोरिटी रख कर यह जो एक्सपेरिमेन्ट करने वाले हैं। पंचायतों के चुनावों में यह एक रिवर्शनल स्टेप है। माननीय मन्त्री महोदय चाहते हैं कि समाज शोषण न हो, ऐसी विचारधारा लेकर चलते हैं, आप देश के विचारक हैं और चिन्ता करने वाले व्यक्ति हैं कुछ मूलभूत सिद्धान्तों के लेकिन नीयरर यूनानिमिटी का आदर्श है वह, अव्यवहारिक है, अनलोजिकल है, अनफिजिबल है, अन-डेमोक्रेटिक है और यह गांवों में फ्रेक्शनेलिज्म को बढ़ायगी और चुनावों की जो दुनियां में मानी हुई पद्धति है उसके खिलाफ है। डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन की पद्धति का, पॉलिसी का नेट

# Page No.43



( श्री परसराम मैदरीया )

रिजल्ट, परिणाम निकलने वाला है वह नोमिनेशन के रूप में, इलेक्शन के रूप में जन-सहयोग का दुरुपयोग होगा और इस दृष्टि से ३।४ मेजोरिटी कास्टिंग वोट का जो प्रोविजन रख रहे हो वह अव्यवहारिक है। इसलिए सलूम्बर से आये माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

**श्री घासीराम यादव** ( तिजारा ) : अध्यक्ष महोदय, मैं कल से इस बिल के सम्बन्ध में और इस क्लॉज के बारे में बहस सुन रहा हूं जो कि जनरल बहस के रूप में थी। बार बार लोगों ने यह राय दी और ६० प्रतिशत सदस्यों की यह राय थी कि यह आदर्श ठीक नहीं है और वर्केबल भी नहीं है। यह आदर्श बहुत गलत है, इलूलोजिकल और अनरीज़नेबल है, सारी दुनियां की डेमोक्रेसी में कहीं भी इस प्रकार का आदर्श नहीं रखा गया है। जो डेमोक्रेसी दो सौ, ढाई सौ साल से चली आ रही है जिसमें सिंगल वोट से लोग जीतते हैं वहां आप इस पंचायत के चुनाव में थ्री फोर्थ का जो प्राव-धान रख रहे हैं वह क्यों रखना चाहते हैं, ऐसी क्या वजह है कि हम पंच और सरपंच के लिये थ्री फोर्थ वोटों की आवश्यकता समझें ? मैं तो इसका कारण समझ नहीं सका, केवल अन्दाज लगाता हूं। जिनके दिमाग से यह बात आयी है उनका कहना है कि पंच-सरपंच डेवलपमेंट का काम करने की वजह से उन पंचों के फोलोअर ज्यादा होने चाहिये। जब इस प्रकार की बात मैं सोचता हूं तो मुझे यह गलत नजर आती है। क्या इस तरह के पंचायत डिपार्टमेंट के पास या राजस्थान सरकार के पास इस प्रकार के आंकड़े हैं क्या जिससे आप यह अन्दाज लगा सकें कि जो लोग कम वोटों से जीतकर आते हैं वे खराब काम करते हैं और जो ज्यादा वोटों से जीत कर आते हैं वे ज्यादा अच्छा काम करते हैं। मैं तो इस थ्योरी को ही गलत समझता हूं। मीअर युनानीमिटी लेना चाहते हैं यह बात भी गलत है चुनाव में युनानीमिटी कोई चीज नहीं होती। कहीं भी युनानीमसली इलेक्शन नहीं होता, हो सकता है कोई बहुत तिकड़मबाज आदमी हो तो वह उसके खिलाफ खड़े होने वालों को किसी तरह से राजी कर युनेनीमसली आ सकता है लेकिन जहां तक मुझे मालूम है इस तरह से एक आदमी के सभी फोलोअर हैं इसलिये वह युनेनीमसली में आ जाता है यह नजर नहीं आता। पं० नेहरू जैसे व्य-क्तियों को भी इलेक्शन लड़कर आना पड़ता है। बैकवर्ड एरियाज़ में हो सकता है कोई अन-अपोज्ड आ जाय जो बहुत अच्छा व्यक्ति हो, जिसके पीछे पब्लिक चलती हो वैसी हालत में वह आ सकता है। मैं तो समझता हूं कि जो इलेक्शन से जीतकर आता है उसके कुछ व्यूज़ होते हैं उसके कुछ पोलिटीकल व्यूज रहते हैं और इस तरह से अपने व्यूज़ लेकर वह आगे चलता है और जो उसके व्यूज़ से एग्री करते हैं वह उसको चुनकर भेजते हैं। मान लीजिये कोई पंच हो जो गांव में यह एलान कर दे कि मैं हरिजनों को जमीन दूंगा शामलात की जमीन में से वैसी हालत में आप देखेंगे कि लोग उसकी खिलाफत करेंगे। ऐसी हालत में यह होगा कि उसके वोट नहीं आ सकेंगे युनेनिमस इलेक्शन से वही आ सकता है जिसके कोई व्यूज़ नहीं हों, सबको बराबर समझे, तुम भी

( श्री घासीराम यादव )

ठीक हो, तुम भी ठीक हो। हरिजन जागीरदार सभी लोगों को एक समान समझता हो वह आदमी आकर क्या करेगा,क्या डेवलपमेंट कर सकेगा, क्या न्याय कर सकेगा ? वह तो एक तरह से मरा हुआ, मुर्दे के समान है जिसके कोई अपने व्यूज़ नहीं; वैसे लोग युनेनिमस आ सकते हैं। जब कि लोगों में जागृति आयी है एक आदमी की खिलाफत होती है तो वह किसी बात पर होती है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि श्री फोर्थ दिमाग में जो बात है और भी लोगों के हो सकती है, मैं इसको सिद्धान्ततया गलत मानता हूं।

दूसरी बात यह है कि जब सारी दुनियां का यह स्वीकृत प्रिन्सिपल है, जो सिंगल वोट की मेजोरिटी से आता है वह चुना हुआ व्यक्ति माना जाता है। वैसी हालत में आप यहां इसको चेन्ज क्यों कर रहे हैं ? आपको इस तरह से इस सिद्धान्त के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिये। कोई भी चीज करें, सब लोग जिसको ठीक मानें, जिसमें सबका फायदा मानें, जो चीज़ बहुत अर्से से मानी हुई है, जो जनतन्त्र की फाउन्डेशन है उसको आप हिलाना चाहते हैं। आखिर क्या वजह है जिससे आप इस प्रकार का चेन्ज इसमें लाना चाहते हैं। आप देखिये हुकूमतें चलाते हैं वे भी तो ५१ प्रतिशत वोट जिनको मिले हैं वे ही चलाते हैं। जिनके हाथ में लोगों का भला-बुरा करने का अधिकार होता है, जमीन को छीन सकते हैं, किसी को दिला सकते हैं इस प्रकार के पॉवर्स हैं। जो ५१ प्रतिशत वोटों से आये हैं, उनको वे जब हुकूमत चला सकते हैं तो जो इनके जिम्मे इन्तजामियां काम दे रहे हैं उन पर यह बन्दिश लगाते हैं। श्री फोर्थ वोट हासिल करे उसी को पंच या सरपंच माना जायगा। यह सिद्धान्तहीन और इल्लोजिकल है और जो डेमोक्रेसी के एस्टेब्लिश्ड प्रिन्सिपल्स हैं उनके खिलाफ हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया कि श्री फोर्थ की जगह ५१ प्रतिशत रख दिया जाय, यह बुराई का दूसरा स्वरूप है। हम कहते हैं कि जहां सिंगल मेजोरिटी वोट पर पार्लियामेंट का चुनाव होता है, लीडर का चुनाव होता है और वे मिनिस्टरी बनाते हैं, चीफ मिनिस्टर सिंगल मैजोरिटी वोट पर बनते हैं वैसी हालत में सिंगल मेजोरिटी वोट पर सभी तरह के चुनाव होते हैं। आप चाहते हैं कि जिस तरह से कॉन्स्टीट्यूशन के चेन्ज करने की आवश्यकता होती है, तो उसके लिये ज्यादा आदमी चाहिए, इसलिये जहां आप एक आदमी की वेल्यू आंकते हैं वहां इस प्रकार का श्री फोर्थ का प्रावधान रखना बिल्कुल गलत है, डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल्स के अनुकूल नहीं है।

एक माननीय सदस्या ने यह भी सुझाव दिया कि दो-तीन तरह की पंचायतें रखी जांय जो युनेनिमसली इलेक्ट होकर आती हैं उसको एक श्रेणी दी जाय और जो कम वोट लेकर जीतते हैं उनको दूसरी श्रेणी, यह उचित नहीं है बैकवर्ड इलाके में इस तरह से हो सकता है कि एक व्यक्ति युनेनिमसली आ सकता है, लेकिन यह मानना कि एक व्यक्ति जो युनेनीमसली आता है वह ज्यादा काम कर सकता है, यह मानना गलत है। इस तरह से पंचायतों को एक को नीचे की स्तर की और दूसरी को ऊपर के स्तर की

( श्री घासीराम यादव )

मानना गलत बात है। यह जो आपका श्री फोर्थ का सुझाव है वह वर्केबल नहीं है। आप इसके लिये निश्चित मानिये कि लोग इसकी मज़ाक उड़ायेंगे। ऐसा कोई भी आदमी नहीं हो सकता जो ७५ प्रतिशत वोट ला सकेगा। मान लीजिये कोई व्यक्ति खड़ा होता है, उससे कुछ लोग दुश्मनी रखते हैं तो वह इस तरह का प्रचार करेगा जिससे वह सोचेगा कि अपन नहीं आये तो इसको भी मत आने दो और वह उसको हराने का हर सम्भव प्रयत्न करेगा। जहां तक आपके इस प्रिन्सिपल के वर्केबल का सवाल है यह कतई वर्केबल नहीं है और जो डेमोक्रेसी के सदियों से प्रिन्सिपल चले आ रहे हैं उसके भी खिलाफ है इसलिये हमें इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिये।

**श्री शंकरलाल** (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक के खण्ड ४ के अन्दर जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है जो चुनाव के सम्बन्ध में है कि कितने मत पड़ने चाहिये, श्री फोर्थ की मेजोरिटी होनी चाहिये; उसके ऊपर विभिन्न सदस्यों ने अलग अलग रूप से प्रकाश डाला है। किसी ने ५१ प्रतिशत का सुझाव दिया है, किसी ने टू–थर्ड का सुझाव दिया; इस तरह से कई प्रकार के संशोधन आये हैं। इसके साथ साथ यह भी सुझाव आया है कि तीन प्रकार की पंचायतें होनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मौजूदा परिस्थितियों में, मौजूदा वातावरण में, मैं, इन सभी संशोधनों का विरोध करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, विरोध इसलिये करना चाहता हूं कि वैसे साधारणतया हमें देखने से प्रतीत होता है, सुनने में तो यह सुझाव अच्छा लगता है, कोई भी चुनाव जो हो वह अधिक से अधिक बहुमत से हो या सर्व सम्मति से हो, इसमें किसी की दो राय नहीं हो सकती। वैसे मौजूदा दुनिया में जो डेमोक्रेसी चल रही है जैसा कि अभी मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा इसमें मेजोरिटी का सवाल होता है। वैसे तो भारतीय परम्परा और ग्रामीण पंचायत की जो परम्परा है वह मौजूदा वातावरण और दुनिया में जो डेमोक्रेसी चल रही है उससे भिन्न है। हम पुरानी परम्परा देखते हैं और चुनाव देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जहां हमें किसी योग्य आदमी को चुनना होता है वहां वह खड़ा नहीं होता बल्कि उसको आगे लाकर खड़ा किया जाता है और बहुत से लोग इकट्ठे होकर जो भला आदमी होता है उसको चाहे वह कितना ही पीछे बैठा हुआ हो आगे लाते हैं और इस तरह से उस व्यक्ति को भी उनका कहना मानना पड़ता है। उसमें वह बनना नहीं चाहता, फिर भी लोग उसको बना लेते हैं। ज्यों ज्यों डेमोक्रेसी का विकास हुआ, हमारे यहां यह चुनाव प्रणाली आरम्भ हुई। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं बच्चा था और जब कभी गांव में पंचायतें होती थीं तो लोग वैसे ही इकट्ठे हो जाते थे और कोई भी भले आदमी को पकड़ कर पंच के आसन पर बैठाते थे....

**एक माननीय सदस्य** : यह परम्परा तो अब भी है।

**श्री शंकरलाल** (जारी) : भारत की जनतन्त्र की परम्परा तो यह है कि लोग आग्रह करके आदमी को उस

( श्री शंकरलाल )

जगह के लिये चुनते थे, और जो मौजूदा वातावरण है वह यह है कि आदमी कहता है कि मुझे चुनो, मुझे वोट दो। तो भारतीय परम्परा जो चली आई है पुरातन से वह आज से मेल नहीं खाती। पर यहां सवाल यह आता है कि आज की भी जो चालू परम्परा है, उसके भी विपरीत जाकर आप कहते हैं कि इतने वोट पड़ने ही चाहिये, ३।४ वोट आने चाहिये तभी चुनाव सम्भव होगा वर्ना नहीं। तुम्हारे यहां पंचायत भी नहीं बनेगी इसके बिना। तो यह आज की परम्परा की डेमोक्रेसी भी नहीं रही। आप ऊपर से हुक्म के द्वारा वोट दिलाना चाहते हैं। अब सर्व सम्मति से चुन लें तो यह तो बहुत अच्छी बात कही जा सकती है। पर आप यह कहें कि ३।४ वोट लाओ, या २।३ वोट लाओ तो यह आज की डेमोक्रेसी के खिलाफ बात है। अब अगर इतने वोट न मिलेंगे तो क्या होगा, इसका कोई प्रावधान इसमें नहीं है। आप कहेंगे कि दुबारा करावेंगे। ठीक है; पर दुबारा, तिबारा या चौबारा करने पर भी अगर ३।४ या २।३ नहीं आये मत तो क्या करोगे आप? मैं समझता हूं, आप एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करोगे। यहां आकर हमारे बेसिक एम से ही टक्कर होती है। हम यहां डेमोक्रेसी को समाप्त करके ओटोक्रेसी की बात करेंगे। यह ऑटोक्रेटिक मैथड होगा और यह डेमोक्रेसी के प्रतिकूल बात होगी। तो हमारा यह संशोधन इस तरह से डेमोक्रेसी के खिलाफ है।

अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात यह है कि इतने वोटों से भी आप यह कहें कि कोई योग्य व्यक्ति मिल सकेगा, यह बात नहीं है। आप इतने पर भी यह नहीं कह सकते कि योग्य व्यक्ति ही आवेगा। इन चुनावों में हमेशा योग्य ही आवें, यह जरूरी नहीं है। तो ऐसी सूरत में ऐसी चीज़ को रखना जो प्रेक्टिकल नहीं हो सकती और जो प्रजातान्त्रिक प्रणाली से भी मेल नहीं खाती, उचित नहीं हो सकता। हमें डेमोक्रेसी को पनपाना है। हम इस सिद्धान्त का प्रचार करें, गांवों में लोगों से यह कहें कि वे अच्छी तरह सब मिल कर रहें और सब मिल कर ऐसा वातावरण बनावें कि अपने आप लोग उसे एक मत से भेजें या चुनें और इस तरह अच्छी परम्पराओं की तरफ जावें, जो हमारे यहां पहले थी।

पर सरकार के आदेशों से लाने की कोशिश अगर आपने की तो इससे डेमोक्रेसी नहीं पनपेगी, अल्टीमेटली इससे ऑटोक्रेसी को आप लीड करेंगे। इससे डेमोक्रेसी का फायदा नहीं होगा।

डेमोक्रेसी की नेचुरल ग्रोथ होनी चाहिये। इस नेचुरल ग्रोथ में आप रुकावट न बनें। इसी से डेमोक्रेसी सफल हो सकेगी। डेमोक्रेसी में जनता पर आप दबाव न डालें, उसे कोई आदेश न दें, आप वातावरण बनावें, जिससे वे स्वयं कुछ अपनी पुरानी परम्पराओं की तरफ जावें और अपने निर्णयों में युनेनिमिटी लावें। इसके अलावा और कोई सिद्धान्त नहीं हो सकता जनता की भलाई के लिये। अब नेचुरल ग्रोथ को लाने के लिये मौजूदा वातावरण उपयुक्त नहीं लगता।

एक माननीय सदस्य ने संशोधन रखा

( श्री शंकरलाल )

कि ६० पर्सेन्ट मत होने चाहिये । यह भी ठीक नहीं है । इसमें सरकार यह कर सकती है कि इस प्रकार का कोई प्रलोभन या पुरस्कार रख सकती है । इससे फोर्स नहीं होगा, आकर्षण होगा । जैसे जिस पंचायत ने सर्व सम्मति से चुनाव किया तो इतनी धन-राशि देंगे या उनके यहां फलां विकास का काम खोला जावेगा, तो यह तो समझ में आ सकता है ।

इसी तरह से जो कम या अधिक वोटों से आये उनको उस तरह से इनाम देकर प्रोत्साहन दिया जा सकता है । यह आप कर सकते हैं पर आप वोटरों के साथ जोर जबर्दस्ती नहीं कर सकते कि इतने वोटों से ही चुनना होगा या कुछ करना होगा । इस तरह की जोर जबर्दस्ती मोस्ट अनडेमोक्रेटिक होगी और यह और भी अनडेमोक्रेटिक होगा कि ३।४ की मेजोरिटी से नहीं आने की स्थिति में आपने अपना एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया ।

पार्लियामेंटरी लेजिस्लेशन तक में इस प्रकार से कहीं नहीं है । अगर आपने इसको स्थान दिया तो यह सिद्धान्ततया गलत चीज़ होगी ।

इसलिये जो प्रावधान रखा गया है ३।४ का और दूसरे भी जितने संशोधन आये हैं जो प्रेस्क्राइब करते हैं लिमिट तो उन सब का मैं विरोध करता हूं । अगर कोई सहायता से आकर्षित करके उनको कुछ कहना चाहें तो इसका मैं समर्थन कर सकता हूं । यह उन पर दबाव नहीं कहलावेगा, उनको आकर्षित करने का तरीका समझा जावेगा । यहां हम युनेनिमिटी को आवाज देख सकते हैं । यहां डेमोक्रेसी को कोई नुकसान नहीं है, वह यहां पनप सकती है । पर इस तरह से कोई बन्धन उन पर लगाना, यह तो गलत तरीका है बल्कि सरकार के इरादों में सन्देह करने के लिये कारण देना है लोगों को कि सरकार यह जानती है कि इस तरह से इतनी मेजोरिटी से चुन कर कोई आने से रहा; तो ऐसी स्थिति में सब जगह नहीं तो काफी जगह अपने आदमी दूसरे तरीकों से सरकार की मार्फत एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नियुक्त करने का अवसर मिलेगा । और इस तरह का सरकार का सोचना और इस नीयत से संशोधन को यहां लाना अनुचित है । अनुचित ही नहीं डेमोक्रेसी के सिद्धान्त के एकदम विरुद्ध है ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ४ में यह जो संशोधन रखा है कि पंच और सरपंच के चुनावों में कितने मतदान से उनका चुनाव हुआ माना जाये, इसमें ३।४ का जो सुझाव दिया है, मैं इसका समर्थन करता हूं । जितने भी भाषण मैंने इस संशोधन के विरोध में सुने उनसे ऐसा मालूम होता है कि हम पंचायतों की कल्पना अपने राजनैतिक दृष्टिकोण से ही कर रहे हैं । हम लोग यहां असेम्बली में बैठे हुए हैं । हमारे बहुत से दूसरे साथी पार्लियामेंट में बैठे हैं, तो जिस प्रकार से हम लोग चुन करके आये हमने अपने मत का प्रचार किया और हमने जिस प्रकार लोगों को अपने पक्ष में मत देने के लिए

# Page No.48



( श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी )

अपनी नीति सम्बन्धी बातें बतलाई वही कल्पना हमारे माननीय सदस्य कर रहे हैं कि शायद पंचायतों में भी उसी प्रकार की चीजें करनी चाहिए....

**श्री मूलचन्द डागा** : और जो ४० वर्ष से उम्र में कम हैं, वे कल्पना कर रहे हैं।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** : मैं समझता हूँ कि पंचायतों के सम्बन्ध में हमें अपना दृष्टिकोण कुछ बदलना पड़ेगा। इसके लिए मैं कह रहा हूं, इसलिए नहीं बल्कि हमारे देश के प्रत्येक छोटे छोटे और बड़े बड़े दल हैं, जो पूर्ण जनतांत्रिक तरीके में विश्वास करते हैं और उन्होंने इस सम्बन्ध में घोषणा भी की है कि पंचायतों के चुनाव दलीय आधार पर नहीं होने चाहिए। जो राजनैतिक विचार-धारा हमारी चलती है उसको गांव गांव में नहीं पहुंचाना है और गांवों में एकता कायम करनी है, यह हमारा निश्चित मत है। आज हम लोग इस विचार के शायद न हों लेकिन मेरा विश्वास है कि वह समय आने वाला है जब हमारे गांवों की पंचायतें एक मत से होंगी और तभी वह सफल हो सकती हैं लेकिन अभी हम उस ओर कदम बढ़ा रहे हैं। आज हम उस आदर्श को पूरा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है; हम केवल कदम उस ओर बढ़ा रहे हैं। और इसलिए इसमें यह प्रावधान रखा है कि पंच और सरपंच वही चुने हुए माने जायें जिनको ३।४ मत प्राप्त हों। मैं समझता हूं कि ३।४ मत के लिए या जैसा सुझाव और दिया गया कि २।३ मत से चुना हुआ माना जाये तो यह कोई निश्चित आधार नहीं है बिल्कुल पत्थर की लकीर नहीं खींच दी गई है बल्कि उसका मतलब यह है कि अधिक से अधिक जिसको मत मिलें वही चुना हुआ माना जावे। इसके पीछे कल्पना यह रखी है कि वहां इस दृष्टि से नहीं कि मैं कांग्रेस का उम्मीदवार हूं मुझे ज्यादा पसन्द करते हैं। एक कोई समाजवादी है, या पी०एस०पी० के लोग मत में आते है उनको ज्यादा पसन्द करते हैं इस आधार पर नहीं चुनेंगे बल्कि इस दृष्टि से वे लोग उनको चुनेंगे कि गांव में लोग जिसको सबसे अधिक ईमानदार समझते हैं, सबसे अधिक जो लोकप्रिय है, भला है, सेवाभावी है और हर तरह से जो लोगों का विश्वासपात्र है। यह दृष्टिकोण नहीं होगा कि अमुक आदमी कांग्रेसी विचारधारा का है। हो सकता है कि कांग्रेसी विचारधारा के लोग कम हों और दूसरे दूसरे ज्यादा हों। लेकिन कांग्रेसी विचारधारा का ही होने की वजह से किसी आदमी को अच्छा समझा जाये या समाजवादी विचारधारा का ही होने की वजह से किसी को अच्छा समझा जाये या कोई साम्यवादी है इसलिए वह सबसे अच्छा है, यह विचार ही लोगों में नहीं है। वह तो इस दृष्टि से देखेंगे कि हमारा जो पंच बनने जा रहा है वह बहुत भला हो, ईमानदार हो और उसके बारे में कोई इस प्रकार की शिकायत नहीं हो कि उसके व्यवहार से लोग असंतुष्ट हों। दूसरी चीज़ इसमें यह भी देखनी है कि एक बड़ा आकर्षण लोगों को सत्ता का रहता है। चुनावों में खड़े होना, बहुत कुछ खर्चा करना, चुनावों के लिए बड़ा प्रयत्न करना, परिश्रम उठाना सबके पीछे एक भावना है सत्ता की और सत्ता आती है चुनकर आने के बाद। असेम्बली के मेम्बरों के लिए, पार्लिया-

( श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी )

मेंट के मेम्बरों के लिए और जो दूसरे चुनाव होते हैं उनको सत्ता का मोह होता है। हमारे पंच और सरपंच का काम जहां तक अब रहता है कि न्याय पंचायतों को अलग करने के बाद उसमें सत्ता का विशेष स्थान नहीं है। यों तो जिस जगह पर आदमी होगा वह सत्ता मान कर चलेंगे लेकिन उसका काम रहता है केवल विकास का। ग्राम पंचायतों के सामने जो काम आयेगा वह केवल ग्राम विकास का आयेगा। वहां अच्छी पाठशालायें चलें, अच्छे औषधालय हों, गांव के रास्ते ठीक हों, गांव में पानी की व्यवस्था हो और जो सफाई और स्वास्थ्य की दृष्टि के काम हैं ऐसे काम करने की भावना से प्रेरित होकर लोग अपनी ग्राम पंचायतें बनायेंगे। वह जो मजिस्ट्रेट का काम था, रोज बुलाना, हुकम देना और किसी के पक्ष में और किसी के खिलाफ में हुकम देना वही एक ऐसी चीज़ थी जो कि लोगों को एक तरफ तो कुछ सत्ता की तरफ आकर्षित भी करती थी और साथ ही साथ जो ईमानदार और योग्य व्यक्ति थे उनको दूर करने की भी प्रेरणा देती थी। वह सिर्फ न्याय के साथ ही था। जो अदालतें बनी हुई थीं और जिनके अन्दर फैसला होता था वह एक चीज थी। अब जब कि हमारी न्याय पंचायतें अलग हो जाती हैं तो हमारी जो छोटी छोटी पंचायतें होंगी, जो कि करीब-करीब एक गांव की होंगी जब तक कि कोई गांव बहुत छोटा न हो, हर आदमी एक दूसरे को पहचानने वाला होगा। मैं समझता हूँ कि गांव के लोग जरूर जानेंगे कि हमारे गांव में सबसे अधिक लोकप्रिय कौन हो सकता है, विश्वासपात्र कौन हो सकता है। आज इकट्ठे होकर हम जो जनतंत्र की दुहाई देते हैं, मैं समझता हूं कि ठीक है, वह भी जनतंत्र का तरीका है। अगर एक मत से होता है, सब लोग हाथ उठा देते हैं, यहां हमारे कई फैसले एक मत से होते हैं, कभी कभी मत विभाजन भी होता है लेकिन उसमें बहुमत भी हो जाता है। तो उसमें यह तो नहीं है कि हम जनतंत्र के सिद्धान्त से दूर जाते हैं। लोगों की राय लेनी चाहिए; 'No taxation without representation'. अमेरिका और दूसरे मुल्कों में चला था वह यह था कि अगर जनता से पैसे लेते हैं तो अगर उनमें प्रतिनिधित्व नहीं है तो आपका रिप्रेजेन्टेशन तो आयेगा ही, लोगों की राय से आयेगा। तो डेमोक्रेसी का हनन तो नहीं होता है। वह तो जनतंत्र का तरीका ही है और मैं कहता हूं कि जनतंत्र का सबसे अधिक सुधरा हुआ तरीका है। आज अगर आधे से एक ज्यादा नम्बर हो गया तो वह दूसरों पर हुकूमत करते हैं। हो सकता है कि यह हमारा पाश्चात्य तरीका रहा हो लेकिन यह जनतंत्र का सर्वोच्च तरीका नहीं है। एक आदमी थोड़े से भी मत से जीत जाता है और दूसरा थोड़े ही मत से हारता है तो हुकूमत वही करते हैं जिनकी कि पार्टी का एक वोट भी ज्यादा है। मैं कहता हूं कि आदर्श की दृष्टि से ही नहीं व्यवहार की दृष्टि से भी उसको सर्वोत्तम तरीका मानना चाहिए। यदि आप आदर्श ही मान कर चलते हैं तो आदर्श मानना कोई बुरी चीज थोड़े ही है। हम रोज कहते हैं कि सत्य बोलना चाहिए तो कोई कहे कि यह तो आप आदर्श की बात करते हैं तो फिर क्या हम यह कह दें कि आदर्श को छोड़ दीजिए ? तो यह कैसे हो सकता है ? हम कहते हैं कि व्यापार में सत्यता बरतनी चाहिए। व्यापारी अक्सर कहते हैं कि व्यापार में

( श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी )

सत्यता नहीं चलती है यह तो ऐसे ही चलती है। तो क्या इसको मानें कि व्यवहार एक है और आदर्श दूसरी चीज है। व्यापारियों को आदर्श लेना है हर जगह पर आदर्श लेना। इसमें कुछ समय लग सकता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसको बिल्कुल ही खारिज कर लें कि नहीं वह तो आदर्श की चीज है। मैं तो कहता हूं कि आदर्श हो और उसकी ओर बढ़ने का यह तरीका है तो मैं पंच और सरपंचों के लिए खास तौर से नहीं कहता। क्योंकि यहां पर तो गवर्नमेंट चलानी होती है और कुछ तरीके से चलानी होती है, कुछ नीतियां निर्धारण करनी पड़ती हैं। हमारे दृष्टिकोण में कोई नीति होती है। कम्युनिस्टों की नीति और हो सकती है, समाजवादी की और हो सकती है, कांग्रेस की और हो सकती है, जन-संघ की और हो सकती है। यह हम गांवों में बतलावें कि अगर आप कांग्रेस वालों को वोट देंगे तो वह किसानों के लिए यह करेंगे, भूमिहीनों के लिए यह करेंगे, बेरोजगार को रोज़गार दिलायेंगे। अगर इस तरह की नीतियों को किसानों के सामने रखें और जनतंत्र की बातें उनको बतायें तो वे इन चुनावों के लिए उपयुक्त हो सकती हैं, लेकिन जिन्हें गांव के छोटे दायरे में रख कर गांव की सफाई का काम करना है, गांव के लिए पानी की व्यवस्था करना है, गांव के लड़कों की पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था करनी है, बत्तियों की व्यवस्था करनी है वहां पर कांग्रेस की नीति, समाजवादी पार्टी की नीति, जनसंघ की नीति में कहां टक्कर होगी, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं समझता हूं कि अगर ऐसी टक्कर लगना है तो हम समझें कि कांग्रेस वाले अपने विचार को छोड़ दें, कम्युनिस्ट अपने विचारों को छोड़ दें, क्योंकि इससे गांव का भला नहीं हो सकता है। कांग्रेस वाले दूसरे हैं, कम्युनिस्ट दूसरे हैं और जनसंघ दूसरे हैं, इससे गांव का भला नहीं होने वाला है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि देश के बड़े बड़े नेताओं ने, कांग्रेसी, समाजवादी आदि नेताओं ने पूर्व निश्चय किया था कि पंचायतों के चुनाव करें तो पार्टी के आधार पर नहीं करें। पिछले जो चुनाव हुए थे उससे पहले यह निश्चय हुआ था। बड़ी बड़ी पार्टियों ने इस बात का निर्णय कर लिया था कि कहीं भी गांव में पंचायतों के चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं करायेंगे, तभी गांव में एकता हो सकती है, और यही सबसे बड़ा ध्येय पंचायत का है कि गांव में एकता कायम करें। जब गांव में एकता कायम करना हमारा उद्देश्य है तो एकता के लिए परमावश्यक है कि जो भी व्यक्ति वहां पर चुना जाय वह अधिक से अधिक वोटों से चुना जाय। यहां पर ३।४ या २।३ उसकी एक निश्चित सीमा की है, बाकी उसका असली उद्देश्य है कि अधिक से अधिक वोट उसको मिलना चाहिए। यह नहीं कि १०, २०, २५, ३०, ३५, ज्यादा हो गये तो वही जीत गया, बल्कि वह तभी हो सकता है कि जब कि ७०, ८० प्रतिशत वोट जिस आदमी को आते हैं वह समझा जाय कि गांव में सबसे अधिक लोकप्रिय है, सबसे अधिक विश्वासपात्र है, सबसे अधिक लोग जिसको सेवाभावी समझते हैं, वही व्यक्ति है। इसलिए जो ३।४ की कल्पना है वही एकमत की है, वही सर्वसम्मति की है। सर्वसम्मति का मतलब यह नहीं है कि घर में बस बैठे रहें और वहां पर वही सर्वसम्मति से

( श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी )

मान लिया जाय। गांव के सारे आदमी एक जगह इकट्ठे होंगे। कोई अधिकारी वहां पर पहुंचेगा भी और वह अधिकारी पूछेगा कि आप लोग किसको सबसे अच्छा समझते हैं ? तो वे लोग अपने हाथ उठा कर या जो भी प्रणाली होगी उससे बतलायेंगे। लेकिन जैसा ग्रामदान के संबंध में रखा है कि ग्राम-दान का भी यही है कि ग्रामदान उसको माना जायगा जहां कि गांव वाले सब के सब मिल कर दें। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कोई न कोई हर गांव में ऐसा होता है जिनके स्वार्थ निहित होते हैं और वे चाहते हैं कि सारे लोग एकमत न हों और ऐसे एक-दो आदमी खड़े कर देते हैं। इसलिए वहां पर उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि ८० प्रतिशत गांव वाले यह कहें कि हम गांव का दान देना चाहते हैं तो वह ग्रामदान मान लिया जाय। तो यहां पर ३।४ की कल्पना इसलिए की है, कुछ न कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो यह नहीं चाहते हैं कि सर्वसम्मति से किसी पंच या सरपंच का चुनाव हो। तो कुछ आदमी ऐसे खड़े हो जायेंगे तो उस वक्त के लिए अगर ऐसे आदमी १०-५ रहते हैं तो रह जायं। अगर ३।४ से अधिक वोट ले लेते हैं तो पंच और सरपंच चुन जाते हैं।

साथ ही साथ मैंने व्यावहारिक दृष्टि से यह भी दे दिया है कि अगर मान लें कि सर्वसम्मति से सब जगह नहीं होता है तो जहां कहीं सर्वसम्मति से होता है तो उनको सर्व-श्रेष्ठ पंचायत का दिया है यानि ३।४ का जहां होता है उसको सर्वश्रेष्ठ पंचायत का नाम दिया है। मध्यम श्रेणी की पंचायत वह होती है जहां उससे कम होता है और साधारण श्रेणी की वह होती है जहां साधारण पंचायत हो। उसमें ऐसा दे दिया है कि कहीं पर ऐसी स्थिति गांव में आ जाय कि पूरे पूरे प्रयत्न किये जायं कि एकमत से चुन कर आयें पंच और सरपंच। यदि यह संभव नहीं है तो कम से कम ३।४ से आयें। लेकिन कहीं पर ३।४ से नहीं आ सकते हैं तो उससे कम मेजोरिटी से भी आ सकते हैं। उसके लिए एक भिन्न प्रावधान रखा है। उनके लिए आकर्षण भी रखा है कि कुछ सहायता यह दी जाय कि लोगों की मनोवृत्ति इस प्रकार की बने उसमें पंच और सरपंच सर्वसम्मति से और एकमत से आयें। अगर कम से कम बहुमत से बनाई जायं तो इसके पीछे वह भावना नहीं है कि जिसको हम कहते हैं कि पंचायतों का विरोध होगा, बल्कि भावना यह है कि गांव के अन्दर एकता कायम करें। पंचायतों को अगर सफल होना है और गांव का विकास करना है तो वह तभी संभव होगा कि लोगों में एकता होगी, प्रेम होगा और भ्रातृत्व भाव होंगे। वह तभी होगा जब कि पंच सर्वसम्मति से चुने जायं और अधिक से अधिक लोगों के विश्वासपात्र हों। इसलिए यह जो संशोधन दिया है, वह मैं बहुत उपयुक्त समझता हूं, और सरकार से इस बात के लिए निवेदन करूंगा कि यहां जो मूल में उन्होंने रखा है या संशोधन के रूप में आया है उसको स्वीकार करें, और हमारी पंचायतों में जो नया संशोधन लाये हैं वह तभी सफल हो सकता है।

**श्री भोगजी भाई** (बांसवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी पंचायत (संशोधन) विधेयक के खण्ड ४ में संशोधन के ऊपर विचार हो रहा है। इसमें काफी माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। मैंने

# Page No.52



श्री मोगजी भाई )

इसी खण्ड के सम्बन्ध में कल से इस सदन में जो विचारधारा सुनी है....

१.३५ म० प०

( श्री निरंजननाथ आचार्य उपाध्यक्ष, पदासीन )

और मैं भी महसूस करता हूं कि यह जो क्लॉज़ ४ में ३।४ का प्रावधान है उसके संबंध में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में सदन की और राज्य सरकार की न्याय व्यवस्था को जो भाषा है उसमें हमें सस्ता न्याय देना है, इसलिए न्याय की व्यवस्था अलग करनी है। इस व्यवस्था पर प्रणाली किस प्रकार की प्रजातन्त्र में चलाई जाय और कैसी व्यवस्था हो, उस पर सदन में विचार हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह इस भाषा के साथ हम जोड़ें कि आज हम न्याय के लिए नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं, उसमें ५–७ पंचायतों के ऊपर एक न्याय पंचायत होगी जिसमें बहुमत के आधार पर चुनाव होगा और उस चुनाव प्रणाली के आधार पर हमें गांवों के अन्दर एक निष्पक्ष, सस्ता न्याय मिल सके, उस आधार पर इस बिल में व्यवस्था है। लेकिन इस बिल में जो मत के आधार पर राज्य सरकार व्यवस्था कर रही है और अधिकार अपने हाथ में ले रही है यह बहुत ही घातक है, क्योंकि जब हम चुनाव में, प्रजातन्त्र और लोकतन्त्र में विश्वास करते हैं, फिर भी न्याय की व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति को इसी आधार पर वोट मिलें तब तो वह चुनाव में चुना हुआ माना जायेगा और जनता में विश्वास प्राप्त कर सका है, यही समझा जायगा। यदि कम वोट मिलें तो उन्हें सरकार घोषित नहीं करेगी और तब एक प्रशासक उसकी व्यवस्था के लिए नियुक्त करे। यह जो इस प्रकार की व्यवस्था सरकार अपने हाथ में रख कर यह गांव और शहर में एक भेद हमेशा के लिए कानून में और व्यवस्था में बनाती आई है इसी आधार पर। यही व्यवस्था गांव में जो ८० प्रतिशत जनता रहती है जिसके लिए एक न्याय व्यवस्था, कर रहे हैं, सस्ती न्याय व्यवस्था कर रहे हैं; यदि प्रजातन्त्र और जनतन्त्र में विश्वास किया जाय तो कोई भी व्यक्ति जब बहुमत प्राप्त करे उसको न मान कर इसमें ३।४ मत प्राप्त करे उसको माना जायगा।

सरकार और आज का मंत्रि-मंडल हमेशा इस प्रकार से समाजवाद में विश्वास करता है और प्रजातंत्र में विश्वास करता है और आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं वे बहुमत के आधार पर हुए हैं। एक वोट भी किसी को ज्यादा मिल गया तो वह चुनाव हुआ घोषित किया जाता है या वह व्यक्ति जनता का प्रतिनिधि माना जाता है। तब फिर गांवों में ऐसी प्रणाली क्यों लागू करना चाहते है? इसमें कोई सिद्धान्त नहीं है। उनकी व्यवस्था में कोई खराबी है या जनता में विश्वास नहीं हो, यह बात नहीं है। यह सिर्फ भाषा इस प्रकार की है। इस प्रकार की व्यवस्था के जो आपने शब्द काम में लिये हैं वे ठीक नहीं हैं। गांवों के साथ आपने ऐसा व्यवहार प्रलोभन में आकर किया है। आप यह चाहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को लाना चाहिये जो एक ही विश्वास के और एक ही पार्टी के लोग रहें जिनमें मतभेद नहीं हो, इसलिये यह व्यवस्था चलाना

# Page No.53



( श्री मोगजी भाई )

चाहते हैं। लेकिन लोगों को प्रजातंत्र और लोकतंत्र में विश्वास है इसलिये हर तरह के लोगों का आना जरूरी है। ऐसी भाषा का उपयोग करके जनता के साथ या गांव की व्यवस्था के साथ प्रजातंत्र का मखौल करना है। जनता को विश्वास न हो, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना और व्यवस्था करना उचित नहीं है। दो प्रकार की भाषा या दो प्रकार के शब्द किसी चीज को प्राप्त करने के लिये, सत्ता प्राप्त करने के लिये, ऐसे शब्द प्रयोग किये जायं तो यह ठीक नहीं है। दूसरा वह जिसमें एक सांप के दो जबान होती हैं जो जहरीली होती हैं। जनता के साथ, प्रजातंत्र में विश्वास करने वालों के साथ इस प्रकार का धोखा न करें। आप ऐसा करें कि जिनको बहुमत प्राप्त हो वह पंच, सरपंच चुना जायगा, ऐसी व्यवस्था दें। ऐसी व्यवस्था नहीं देना गांव वालों के साथ बहुत अनुचित होगा। नहीं तो सरकारी अधिकारियों के इशारे पर या मंत्रियों के इशारे पर इस प्रकार की व्यवस्था करना है जो उनके कहने पर चुनाव में जीत सके और जनता में विश्वास प्राप्त किया हुआ समझा जाय, यह कहना बहुत गलत है। जब कि प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं, बहुमत में विश्वास करते हैं तो ऐसी भाषा रखने की क्या जरूरत है....

**श्री उपाध्यक्ष** : कैसी भाषा हो, उस पर आ जाइयेना।

**श्री मोगजीभाई**: भाषा बिल्कुल सीधी-सादी हो। जब प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं तो ऐसा क्लॉज़ राज्य सरकार को रखने की कोई जरूरत नहीं है। चुनाव में जो व्यक्ति चुना हुआ आयेगा वह सदन ने जो कानून बनाया है उसके अनुसार और उसके अंडर में जो रूल्स बनेंगे उनके अनुसार काम करेगा। यदि वह अच्छा काम नहीं करता है और जनता को उसमें विश्वास नहीं है या राज्य सरकार का आदेश नहीं मानता है तो सरकार उसको खतम कर सकती है। एक तरफ तो इस तरह का कानून और दूसरी तरफ इतने अधिकार सरकार के पास होते हुए यह कहना कि ७५ प्रतिशत मत नहीं मिलें तो प्रतिनिधि नहीं माना जायेगा, यह जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। यह संशोधन जो रखा है उसको मानना भी जरूरी नहीं है। यह जो क्लॉज़ है उसको वापिस ले लें, क्योंकि उसका रखना जरूरी नहीं है....

**श्री उपाध्यक्ष** : आप तो संशोधन से भी परे चले गये।

**श्री मोगजीभाई** : यदि यह क्लॉज़ मंत्रीजी रखेंगे तो यह समझा जायगा कि सरकार ने यह जो सस्ते न्याय की व्यवस्था करने में भाषा काम में ली है वह सिर्फ राज्य सरकार के अधिकारियों की जेब में या मंत्रियों की जेब या परिणाम तक सीमित रहेगी। जनता को सस्ता न्याय कभी मिलने वाला नहीं है। इस प्रकार से विरोध करता हुआ मैं कहूँगा कि इस धारा को मंत्री महोदय हटा लें और ग्रामीण जनता के लिये सस्ते न्याय की व्यवस्था करने जा रहे हैं तो उस पर विश्वास करें, प्रजातंत्र पर विश्वास करें और बहुमत से चुना हुआ मानें।

**डॉ० बहादुरसिंह** ( धौलपुर ) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो चौथे क्लॉज़ में

( डॉ० बहादुरसिंह )

परन्तुक जोड़ने का प्रावधान रखा है उसका मैं विरोध करता हूं....

**श्री उपाध्यक्ष** : आप पर दूसरी तरफ का असर पड़ा है क्या ?

**डॉ० बहादुरसिंह** : मेरे विरोध करने के कुछ कारण हैं वे ये हैं कि आज हम आदर्शवाद की बात करते हैं तो मैं देखता हूँ कि व्यवहारिकता से परे जाते हैं। यह सत्य है कि जहां सर्वोदयवाद में इस बात का विश्वास करते हैं कि बहुमत के बजाय अधिक से अधिक लोगों का मत प्राप्त हो उसको लेकर चलें तो अच्छा होगा, यह सत्य है; लेकिन व्यवहारिकता यह है कि जनतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह वोट दे और चुनाव में खड़ा हो। आज हमें पाकिस्तान की तरह के इलेक्शन यहां पर नहीं कराने हैं जहां वोट पड़ता है हां या ना के लिये। यहां पर हम यह चाहते हैं कि यदि चार आदमी चुनाव में खड़े हों तो जिसके साथ बहुमत हो, मेजोरिटी हो उसको अधिकार हो कि वह पंचायत चलावे। यदि वह अच्छी तरह से चलावेगा तो आगे भी पंच रह सकता है लेकिन यह व्यवस्था नहीं कि ७५ पर्सेन्ट मत नहीं आवे तो चुनाव ही न हो....

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : तीन-चौथाई में भी चुनाव तो होगा ही।

**डॉ० बहादुरसिंह** : आप चाहते हैं कि जितने मत पड़ें, उनमें से तीन-चौथाई मत लाजमी तौर पर किसी व्यक्ति को प्राप्त होने चाहिये। चार व्यक्तियों में से एक ही व्यक्ति विजयी हो तो ७५ प्रतिशत मत प्राप्त करके कोई विजयी हो नहीं सकेगा। आगे आप यह व्यवस्था कर रहे हैं कि वेक्यूम होगा तो प्रशासक नियुक्त कर देंगे। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर से वेक्यूम होगा। आज जो राजनैतिक पार्टियें हैं उनके आधार पर देश का शासन होता है। पार्टियों के आधार पर शासन चलता है न कि आदर्श के आधार पर। आज हो सकता है कि रूलिंग पार्टी यह तय करले कि पंचायतों के इलेक्शन नहीं लड़ेंगे लेकिन दूसरी पार्टियों को बाध्य नहीं कर सकते कि वे चुनाव नहीं लड़ें। आपने विकेन्द्रीकरण कर दिया तो राजनैतिक दल निश्चित तौर से चुनाव लड़ेंगे और जहां पार्टियें अपने उम्मेदवार खड़े करेंगी तो यह बात मानी हुई है कि ७५ पर्सेन्ट वोट कभी भी कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकेगा और ग्राम पंचायतें सफल नहीं हो सकेंगी, यह बात मानी हुई है। मान लीजिये पंच चुने गये और चुने हुए पंच कोई काम करें जैसी व्यवस्था पंचायत समिति और जिला परिषद एक्ट में की है बहुमत से चुनाव होगा लेकिन डेवलपमेन्ट का काम करेंगे वह ७५ पर्सेन्ट मतोंके आधार पर होगा। लेकिन इलेक्शन के लिये यह मुफीद नहीं है। मैं इसका पूर्ण विरोध करता हूं। यदि ग्राम राज्य का उनका विचार होता तो यह अधिक उपयुक्त होता क्योंकि ग्राम राज्य में एक व्यक्ति अपनी संपत्ति-दान करता है। ग्रामदान में यह भावना है कि लोग संपत्ति-दान करेंगे। ८० गांवों के लोग-संपत्ति कुछ दान करते हैं। यही बात विकास में है। जहां शासन चलाना हो वहां ७५ प्रतिशत मत की बात जमती नहीं है। इसलिये मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वे आक्षेपों से बचना चाहें, क्योंकि वेक्यूम का सवाल आपके सामने है, इसकी समस्या आपके

( डॉ० बहादुरसिंह )

सामने है, आप चाहते हैं कि जहां वेक्यूम होगा वहां एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर देंगे, लेकिन इलेक्शन कई स्थानों पर होगा नहीं। इस व्यवस्था से हमें बचना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट के ये स्टेंडिंग ऑर्डर्स हो सकते हैं कि मान लीजिये कि कोई पंचायत इलेक्शन के अन्दर सेन्ट-पर्सेन्ट वोट प्राप्त कर ले तो आपकी तरफ से १० हजार रुपये की अधिक एड मिलेगी। यह बात आप कर सकते हैं प्रचार के लिए। लेकिन इस प्रकार का बन्धन कानून में लगाना उचित नहीं समझता हूं। इसलिए मैं इसका विरोध करते हुए माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस पर विचार करें और विचार करके या तो इस क्लॉज को हटा कर उचित संशोधन कर दें और अगर यह नहीं करना चाहें तो इसको समाप्त कर दें क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था होना उचित नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री मोतीलाल।

**श्री मोतीलाल** ( डीडवाना) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं क्लॉज नम्बर चार का विरोध करता हूं। माननीय उपाध्यक्षजी, इस क्लॉज के सम्बन्ध में कुछ साथियों ने, कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसा कहा कि इसके पीछे बहुत आइडियलिज्म है, आदर्शवादिता है। जहां तक इस क्लॉज की भाषा है, उससे स्पष्ट है कि इस क्लॉज में कोई आदर्श नहीं है। क्लॉज में कहा गया है कि चुनाव में जो वोट पड़ेंगे, उन वोटों में से थ्री-फोर्थ एक आदमी को मिलने चाहिए। अब मान लीजिये कि एक पंचायत की जन-संख्या, कुल वोटर्स दो हजार हैं और दो हजार वोटर वोट देने नहीं आते हैं। उनमें से ३०० वोटर आते हैं, ४०० वोटर आते हैं, उसका थ्री-फोर्थ एक आदमी को मिले तो क्या उसको पूरे वोट का थ्री-फोर्थ मिल गया ? इसलिए इसमें कोई आदर्श की भावना हो, यह स्पष्ट नहीं है। बहुत से चुनावों के अन्दर सारे वोटर्स वोट देने नहीं आते, सेन्ट पर्सेन्ट वोट कहीं नहीं पड़ते, तो क्या एक आदमी का मेजोरिटी ऑफ पर्सन्स की ताकत मिलनी चाहिए ? माननीय उपाध्यक्षजी, मैं कहना चाहता हूं कि पंचायत क्षेत्र में दो हजार वोटर्स हैं। अब वोट देने केवल ३०० आये हैं। उसको चाहे टू-थर्ड वोट मिलते हों, चाहे थ्री-फोर्थ वोट मिलते हों, वह सरपंच जो है, वह तो माइनारिटी का होगा। यह नहीं है कि वह टोटल वोटर्स की मेजोरिटी का है। अगर यह होता कि पंचायत क्षेत्र में जितने वोटर्स हैं उनका ५१ पर्सेन्ट मिले तो मैं मानता कि कुछ नीति इसमें है। इसलिए नीति का दृष्टिकोण तो इसमें है नहीं। इसमें यह है कि चुनाव नहीं हुआ तो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइन्ट हो जायगा, ब्यूरोक्रेसी के दृष्टिकोण से एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइन्ट हो जायगा। माननीय उपाध्यक्षजी, इस क्लॉज की भाषा से यह स्पष्ट है कि इसमें कोई आदर्श नहीं है। हम चाहते हैं कि जहां चुनाव नहीं हो वहां एडमिनिस्ट्रेटर को लाकर बैठायें। लेकिन किसको बैठायें, सवाल यह है। राजस्थान में जो पंचायतें बनेंगी वे सात हजार बनेंगी। आपके पास सात हजार ऑफिसर्स नहीं हैं। मान लीजिये कि एक भी पंचायत का चुनाव नहीं हुआ तो आपके पास सात हजार का स्टाफ तो है नहीं, और अगर नये अपॉइन्ट करते हैं तो खर्चा बहुत बढ़ जाता है। मैं समझता हूं खर्चा बढ़ाने से पहले इसको म्युनिसिपैलिटी के

( श्री मोतीलाल )

ऊपर टेस्ट करना चाहिए। आदर्शवादिता के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पाबन्दी को म्युनिसिपैलिटी में लगा दीजिये, जहां पढ़े लिखे आदमी हैं कि वे तीन-चौथाई से इलेक्शन कर लें। अगर वे नहीं कर सकते हैं तो यह गांवों में नहीं हो सकता। इसके साथ ही मैं कहता हूं कि वर्तमान बिल जो है इसमें कोई पॉवर नहीं है। पहले जो न्याय की पॉवर थी वह न्याय पंचायतों में चली जायगी। अब इसलिए म्युनिसिपैलिटी और पंचायत बराबर है और आगे जाकर विकास की दृष्टि से म्युनिसिपैलिटी को पॉवर देना चाहते हैं विकास करने के लिए, इसलिए सबसे पहले आप म्युनिसिपैलिटी पर टेस्ट कर लें। मैं चाहता हूं कि इस आदर्श की भावना को म्युनिसिपैलिटी में जहां पढ़े-लिखे आदमी होते हैं, टेस्ट कर लें कि वहां पर थ्री-फोर्थ मेजोरिटी से इलेक्शन हो। अगर वहां पर थ्री-फोर्थ मेजोरिटी से इलेक्शन नहीं हो सकता है, किसी म्युनिसिपैलिटी के चेअरमैन का इलेक्शन थ्री-फोर्थ मेजोरिटी से नहीं हो सकता, जहां के लोग पढ़े-लिखे हैं तो जो गांव के लोग हैं जो आदर्शवादिता को समझते नहीं हैं, जो पढ़-लिख नहीं सकते, तो क्या इससे उनके सामने दिक्कत नहीं आयेगी? यह भी होता कि मेजोरिटी उन लोगों की जो वोट देने आते हैं। क्योंकि पंचायत सर्किल के जो लोग हैं वे सब नहीं आने वाले हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि दो हजार वोटर्स हैं, उनमें से ३०० वोट देने के लिए आयेंगे। उन वोट्स को कोई सेन्ट पर्सेन्ट ले, थ्री-फोर्थ ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए निवेदन है कि इसकी लैंग्वेज जो है इसमें आदर्शवादिता नहीं है।

साथ ही साथ मैं निवेदन करूं कि मेरे से पहले बोलनेवाले, डीग से आये हुए माननीय सदस्य ने इसकी काफी तारीफ की और कहा कि आदर्शवाद का दृष्टिकोण है। उन्होंने ग्रामदान का उदाहरण भी दिया। मैं निवेदन करूंगा आप कि ग्रामदान का उदाहरण भी देख लें, वे फैल हुए हैं। उसमें एक बदिश यह थी कि अगर ८० पर्सेन्ट लोग देंगे तो २० पर्सेन्ट अपने आप जायेंगे....

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** : फैल कैसे हुआ, वापिस ले लिए गांव?

**श्री मोतीलाल** : हां, ले लिए। ऐसे गांव लिये गये हैं, और कोर्ट में केस गये हैं। मैं आपस में बात नहीं करना चाहता। मैं उदाहरण दे रहा था कि ग्रामदान का पहला कदम उठाया उसमें यह था कि सेन्ट पर्सेन्ट आदमी जब तक ग्रामदान को नहीं मान जायेंगे वह नहीं माना जायगा। यह कदम चला नहीं। नहीं चलने से दूसरा कदम उठाया कि जितने आदमी उसमें आ जायं उसको ग्रामदान मान लिया जाय। वह भी चला नहीं। उसके बाद एक्ट बनाया गया। उसमें यह फोर्स रखा गया कि अगर ८० पर्सेन्ट राजी हो जायेंगे तो २० पर्सेन्ट मान लेंगे। अब जो २० पर्सेन्ट बचते हैं तो भूदान वाले आदमी हैं, कार्यकर्त्ता हैं, रिटायर्ड पर्सनल्स हैं वे लोगों को समझाते हैं। लेकिन पंचायतों में समझाने वाले कोई आदमी नहीं हैं, क्योंकि पोलिटिकल पार्टीज़ जायेंगी नहीं। पोलिटिकल पार्टीज़ पंचायत लेवर में जाती नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि पोलिटिकल पर्पज़ के लिए पंचायत

( श्री मोतीलाल )

के इलेक्शन नहीं लड़े जायं। इसके साथ ही वहां भूदान और सर्वोदयी नेता जायेंगे नहीं। फिर आखिर कौनसा तरीका होगा जिससे थ्री फोर्थ मेजोरिटी लेने के बाद पंचायत कायम होगी ? क्योंकि वहां पोलिटिकल वर्कर जायें नहीं, न सर्वोदयी नेता जायेंगे, वहां के लोग अपनी नीतियों का निर्माण करेंगे। तो माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा निवेदन था कि जहां तक नीति का सवाल है नीति का इसमें है,लेकिन आदर्शवाद नहीं है, सिम्पली हम थ्री फोर्थ मेजोरिटी से सरपंच का चुनाव चाहते हैं। अब जहां तक इसमें जो भावना है उसका सवाल है, मैं समझता हूं कि यह भावना आहिस्ता आहिस्ता पंचायतों में प्रकट करें,जिससे गांव के लोग आपस में कम लड़ाई करें और आहिस्ता आहिस्ता निर्विरोध चुनाव कर लें। एक तरीका उसमें यह भी हो सकता है, जैसा मैंने निवेदन किया कि पंचायतों के तीन क्लास हों फर्स्ट क्लास पंचायत, सेकिन्ड क्लास पंचायत थर्ड क्लास पंचायत। जहां चुनाव मेजोरिटी से होते हैं, वह थर्ड क्लास पंचायत हो गई, जहां थ्री फोर्थ से चुनाव जीतते हैं वह सेकिंड क्लास पंचायत हो गई और जिस पंचायत में चुनाव निर्विरोध होता है उसको फर्स्ट क्लास पंचायत मानें। इससे लोगों में उत्साह पैदा होगा और यह सोचने लगेंगे कि अगर हमारे गांव में निर्विरोध चुनाव हो जायगा तो फर्स्ट क्लास पंचायत हो जायेगी, अगर थ्री फोर्थ मेजोरिटी से चुनाव हो जायेंगे तो सेकिन्ड क्लास पंचायत हो जायेगी और अगर मेजोरिटी से चुना तो थर्ड क्लास पंचायत हो जायेगी। उसमें सम्भावना नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइन्ट करने की जरूरत पैदा हो और गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़े। अब इसमें एक संवैधानिक दृष्टिकोण रहता है। संविधान बनने के बाद पंचायतों को अलग अलग डिस्टिंक्शन नहीं करना चाहिये। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि संविधान बनने के बाद संविधान में ए क्लास स्टेट, बी क्लास स्टेट और सी क्लास स्टेट, आता है। उस दृष्टिकोण से इससे कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता। अगर फर्स्ट क्लास पंचायत, सैकिन्ड क्लास पंचायत और थर्ड क्लास पंचायत कर देंगे। मंत्री महोदय यह जवाब दे सकते हैं कि जो पॉवर्स पंचायतों को दे चुके हैं वे लें कैसे ? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कोई पॉवर लेने की जरूरत नहीं है। जो पॉवर आप देने वाले हैं उसे फर्स्ट क्लास पंचायत को दें। जैसे रेवेन्यू की पॉवर्स हैं, रेवेन्यू के बजट के समय जब मंत्री-जी जवाब दे रहे थे और गवर्नर महोदय के भाषण में भी था कि जो पंचायतें अच्छा काम करेंगी, डवेलपमेंट का काम करेंगी, उनको आहिस्ता आहिस्ता रेवेन्यू का काम सरकार दे देगी। मैं निवेदन करूंगा गवर्नर महोदय के भाषण का उल्लेख करते हुए कि क्लास एक पंचायत बना दीजिये, और उसको रेवेन्यू का काम सौंप दीजिये होम गार्ड का काम सौंप दीजिये। इसलिए मैं समझता हूं कि पॉवर्स लेने की जरूरत नहीं है। जो पंचायत निर्विरोध चुनाव करेगी, उसको रेवेन्यू कलेक्शन की पॉवर्स दे देंगे, हम गार्ड की व्यवस्था उसके हाथ में दे देंगे। जैसे आपने ब्लॉक के लिए सर्क्युलर निकाला है : जो काम अच्छा करेगा उसको एक लाख की एक्स्ट्रा ग्रान्ट मिलेगी, जो सेकिंड क्लास रहेगा उसको ५०

( श्री मोतीलाल )

हजार की एक्स्ट्रा ग्रान्ट मिलेगी और थर्ड क्लास ब्लॉक को २५ हजार मिलेंगे । इसी दृष्टिकोण को आप पंचायत के लिए लागू कर सकते हैं । जो अच्छा काम करेगी, जहां निर्विरोध चुनाव होगा उसको इतने रुपये देंगे, दूसरी को इतने और तीसरी को इतने । इसमें संवैधानिक अड़चन नहीं है, जो कानून बना हुआ है, उससे बाहर की स्थिति नहीं है । उससे यह भी होगा कि जिस उद्देश्य से इस क्लॉज़ को रखा है हम चाहते हैं कि गांवों के अन्दर निर्विरोध चुनाव हों, लोग ज्यादा काम करें, लोग ज्यादा कर्तव्यपरायण हों, इससे लोगों में भावना आयेगी कि अगर हम निर्विरोध चुनाव करेंगे तो रेवेन्यू का काम हमें मिल जायेगा । हमको होम, एडमिनिस्ट्रेशन का एक्स्ट्रा रुपया मिलेगा जिससे बड़े बड़े काम कर सकेंगे । हमको कुछ प्रायोरिटी भी मिल जायगी । ए क्लास पंचायत में मिडिल स्कूल पहले खोली जायगी, हॉस्पिटल पहले खोला जायगा, हाई स्कूल पहले खोली जायगी, इस तरह की प्रायोरिटी रखी जानी चाहिये : इस तरह के कई काम गवर्नमेंट के हाथ में हैं, इस तरह के कामों के लिये सिलेक्शन करते समय गवर्नमेंट नियम बना दे कि हाई स्कूल पहले वहां खोला जायगा जहां कि ए क्लास पंचायत है, हॉस्पिटल पहले वहां खोला जायगा जिस जगह कि ए क्लास पंचायत है । इसमें किसी तरह की वैधानिक अड़चन नहीं आयेगी ।

दूसरे, मेरा सुझाव यह है कि ३।४ रखने की यदि सरकार जिद्द ही कर ले कि ३।४ रखा है तो ३।४ ही रखा जायगा, पर मैं समझता हूँ सरकार इस प्रकार की जिद्द नहीं करेगी; क्योंकि सरकार की भावना है कि विकास के कामों में लोग ज्यादा से ज्यादा भाग लें....

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : जिद्द का तो सवाल नहीं है ।

**श्री मोतीलाल** : तो मेरा सुझाव है कि पंचायतों के पंचों के लिये मेजोरिटी रख दें और सरपंच के लिये ३।४ रख दें । तो इस तरह करने से यदि सरपंच नहीं भी चुना जाय तो पंचायत में किसी तरह का वेक्यूम नहीं होगा, सरकार को एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने की नौबत नहीं आयेगी, सरकार का खर्चा बचेगा और पंचायत का काम भी अच्छी तरह से चलता रहेगा । इस तरह सरपंच भी हम बैटर मैन को ले सकेंगे । मेरी राय तो यह है कि टोटल वोटर्स का ५१ पर्सेन्ट लें । ३।४ में सारे गांव का प्रतिनिधित्व नहीं करते । जो चुनाव करने के लिये आते हैं उनका ३।४ रखा है उसके स्थान पर यह रखें कि ५१ पर्सेन्ट वोट्स टोटल वोटर्स के मिलते हैं तो सरपंच चुना जायगा । तो इस तरह से आपकी प्रोब्लम सोल्व हो जायगी । सरपंच के लिये ३।४ रखें और पंच के लिये रख लें मेजोरिटी; इससे पंचायत का काम भी नहीं रुकेगा और ३।४ मेजोरिटी से यदि सरपंच न भी चुना जाय तो भी काम चलता रहेगा....

**डॉ० बहादुरसिंह** : जहां ४० पर्सेन्ट वोट पड़ेंगे वहां क्या करेंगे !

**श्री मोतीलाल** : वहां सरपंच के लिये वेक्यूम नहीं होगा । पंच और नायब सरपंच आने से पंचायत का काम चलता रहेगा । जिस तरह किसी सरपंच ने

( श्री मोतीलाल )

गड़बड़ी की और उसको हटा दिया तो उसके हटाने से पंचायत का काम रुकेगा नहीं, पंचायत का काम चलता रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने की नौबत नहीं आयेगी, कोई समस्या पैदा नहीं होगी, वेक्यूम नहीं होगा और खर्चा नहीं आयेगा।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** : ५१ पर्सेन्ट वोटर्स ही नहीं आते हैं वोट देने तब क्या होगा ?

**श्री मोतीलाल** : इसीलिये मैंने कहा है कि ५१ पर्सेन्ट वोटर्स ही नहीं आते तो फिर ३।४ रखने के पीछे कोई आदर्श नहीं।

**श्री मूलचन्द डागा** : The Hon'ble Member is opposing the amendment or supporting the amendment ?

**श्री मोतीलाल** : I am opposing the clause itself ?

**श्री मूलचन्द डागा** : The clause itself ?

**श्री मोतीलाल** : Yes, जब नीति की दृष्टि से जाते हैं, १,००० वोट गांव में हैं तो पंचों और सरपंच को ३।४ मिले, या मेजोरिटी साथ दे। मेजोरिटी तो नहीं आती, १,००० में से ३०० वोटर्स ही वोट देने आते हैं तो ७०० तो निकल ही गये, तो ऐसी सूरत में २।३ और ३।४ रखने के पीछे कोई भावना नहीं, कोई आदर्श नहीं। इसी दृष्टि से मैंने यह सुझाव रखा है कि पंचों का चुनाव मेजोरिटी से और सरपंच का चुनाव टोटल वोट्स के ३।४ वोटों से माना जाय। इससे पंचायत का काम रुकेगा नहीं, न एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करना पड़ेगा, न सरकार को खर्चा आयेगा और न किसी तरह की समस्या ही सामने आयेगी, खर्चा नहीं बढ़ेगा और आपका टेस्ट भी हो जायगा कि ३।४ में कितनी पंचायतों में चुनाव हुआ।

मेरे दो सुझाव हैं। एक तो यह कि इस क्लॉज को बिल्कुल हटा दिया जाय और दूसरा यह कि ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास को पंचायतें रखी जायं। जिनमें यूनेनिमस चुनाव हों उनको ए क्लास की पंचायतें माना जाय, जिनमें ३।४ मेजोरिटी हो उन्हें बी० क्लास की पंचायतें माना जाय और जिनमें मेजोरिटी से हो उनको सी क्लास की पंचायतें माना जाय। इसमें कोई वैधानिक आपत्ति नहीं। जिनका निर्विरोध चुनाव होगा उनको प्रायोरिटी दी जायगी, हाई स्कूल खोलने के मामले में, हॉस्पिटल्स खोलने के मामले में और मिडिल स्कूल्स खोलने के बारे में। ए क्लास की पंचायतों को होम और रेवेन्यू का काम दिया जायगा। बी क्लास की हैं उनको ए क्लास से कम सुविधाएं देंगे, रेवेन्यू का काम दे देंगे, होम का काम नहीं देंगे....

**डॉ० बहादुरसिंह** : फर्स्ट क्लास को फाइनेन्स दे देंगे ?

**श्री मोतीलाल** : हां, फाइनेन्स दे सकते हैं। पंचायतों में चाहते हैं ३।४। न्याय पंचायतों के चुनाव में यह रख सकते हैं क्योंकि वहां वोटर्स कम हैं, ५ पंचायतों की न्याय पंचायत के २५ वोट होंगे, वहां ३।४

# Page No.60



( श्री मोतीलाल )

रख सकते हैं कि न्याय पंचायतों में ३।४ वोटों से आयें। अगर वहां दो मेम्बर नहीं आये तो न्याय पंचायत का काम रुकेगा नहीं। यहां पंचायतों में ३।४ रखते हैं तो वेक्यूम आयेगा और गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव मुकर्रर करना पड़ेगा।

वैसे अगर यह टेस्ट रखना चाहते हैं तो हमें इस टेस्ट को असेम्बली से शुरू करना चाहिये। असेम्बली के चुनाव हों उनमें यह ३।४ का रखा जाय....

**श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** : यह इस सदन का काम नहीं है।

**श्री मोतीलाल** : सदन का काम हमारी गवर्नमेंट को सुझाव देना है और हमारी गवर्नमेंट का काम सेंट्रल गवर्नमेंट को सुझाव देना है।

**श्री श्रीभानसिंह** : पर माननीय उपाध्यक्ष, वे सुझाव प्रेक्टिकेबल हों, इम्प्रेक्टिकेबल सुझाव देना क्या माने रखता है ?

**श्री मोतीलाल** : यही आदर्शवाद का सिद्धान्त है। अपने ऊपर लगाने को तैयार नहीं, असेंबली में ३।४ रखें तो मान सकते हैं कि सिद्धान्त की बात है, आदर्श की बात है। दूसरों के लिये रखते हैं और अपने लिये बात आती है तो इसका विरोध करते हैं, तो इसमें आपका दृष्टिकोण दूसरा है।

मैं यही सुझाव देते हुए सरकार से सिफारिश करूंगा कि फर्स्ट क्लास पंचायतों के लिये युनेनिमस का रखें और सेकिन्ड क्लास पंचायतों के लिये ३।४ रखें। मैं समझता हूं हाउस भी इसके पक्ष में रहेगा और मन्त्री महोदय भी इसे मान लेंगे।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री लादूराम।

**श्री लादूराम सुलाणिया** ( दूदू-सु० ): माननीय उपाध्यक्ष, न्याय पंचायत बिल के खण्ड ४ में संशोधन हो रहा है। वह राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा ६ का संशोधन आज हाउस में रखा गया है। उसके प्रति तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस वक्त हमारा देश आजाद हुआ था उस वक्त से लेकर आज तक के सारे विचारों को एक दृष्टि से देखें तो हमारे गांवों में न्याय पंचायतों की बहुत जरूरत है और जिस वक्त से यह बिल हाउस में पेश हुआ है, इसका दनादन स्वागत हुआ है। पर धारावाइज़ विचार कर देखा जाय तो कुछ धाराएं ऐसी लगती हैं, जिनको चैंज करने की आवश्यकता है।

माननीय उपाध्यक्ष। मैं यह निवेदन करूंगा कि पंचायतें इसलिये स्थापित की जाती हैं कि लोगों को सस्ता न्याय मिल सके, गांवों के रहने वालों को जितनी वे गल्तियें करें या गलत काम करें या कोई कुसूर करें उनको उनका दंड, जुर्माना आदि जो भी मिलना हो वहीं मिल जावे। उनको गांवों से ५० मील दूर अदालतों में न जाना पड़े और उनको यातायात का खर्चा और अन्य किसी प्रकार का खर्चा लगता है उनसे बचाया जावे। इस दृष्टिकोण को रख कर आज न्याय पंचायतों की स्थापना की जा रही है। यह विषय हमारे विचाराधीन है। परन्तु मैं यह

# Page No.61



( श्री लादूराम सुलाणिया )

निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार इस धारा ४ में आपने रखा है कि जो पंच तीन-चौथाई मतों से आवेंगे वे ही न्याय पंचायत में लिये जावेंगे और जो नहीं आवेंगे तो उस पर सरकार का कन्ट्रोल होगा और सरकार उसके लिये नामजद करेगी। यदि कोई व्यक्ति वहां पर जनता की तरफ से खड़ा होगा और उसको अगर तीन-चौथाई वोट नहीं मिले तो वहां का सारा नकशा ही बदल जावेगा और सब उस लहर में बह जावेंगे और वहां पर न्याय पंचायत स्थापित नहीं कर सकेंगे। इसलिये सबसे बड़ा उनके भाग के आड़ा आने वाला यह ब्रेक रखा गया है तो यह क्लॉज़ ४ है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जितनी पंचायतें आप मुकर्रर करना चाहते हैं उनमें आधे में ही ऐसा नहीं हो सकेगा। क्योंकि यह क्लॉज़ चार जो है उसमें साफ यह बताते हैं कि ३।४ जो बहुमत प्राप्त नहीं कर सकेगा वह मेम्बर नहीं हो सकेगा। इसके अलावा एक और बात यह भी है कि अगर किसी पंचायत में १२ सदस्य हैं और ८ का बहुमत एक तरफ हो तो जिसको वे न्याय देना चाहें नहीं दे वह सकेंगे। जब तक १२ सदस्यों में से ९ सदस्य एक मत के न हो जावें तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यह क्लॉज़ है इसलिये मैं यह कहूंगा कि यह क्लॉज़ अवैधानिक है। अगर जनतन्त्र में ऐसी प्रणाली अपनानी होती तो भारत के संविधान में तमाम जगह जहां भी चुनावों के जरिये सदस्य आते जैसे राज्य सभा, विधान सभा, पार्लियामेंट का बहुमत है वहां भी इसी प्रकार तीन-चौथाई मत प्राप्त होने के बाद ही उनका गठन होता और हमारी विधान सभा का भी गठन-तीन चौथाई वोट पर होता। जिस प्रकार आज ५१ में उसको बहुमत बन जाता है तो एक गांव में जब न्याय पंचायत बन जाती है तो गांव वालों को सस्ता न्याय मिलेगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसमें आप ५१ ही रखें। तीन-चौथाई या ७५ प्रतिशत नहीं रखा जावे। इससे यह होगा कि वे लोग अपने यहां पंचायतें न्याय के लिये स्थापित कर सकेंगे और न्याय व्यवस्था में आसानी से हाथ बँटा सकेंगे और उन लोगों को न्याय प्राप्त करने के लिये होने वाला खर्चा बच सकेगा। आप सभी जानते हैं कि ग्राम पंचायतों का चुनाव होता है उसमें कितनी अव्यवस्था होती है। तीन तीन वर्ष तक सरपंचों को शपथ नहीं ग्रहण होती और तीन साल के बाद उनकी अवधि समाप्त हो जाती है।

**श्री उपाध्यक्ष :** यह क्लॉज़ ४ के संशोधन के अन्तर्गत नहीं आता है।

**श्री लादूराम सुलाणिया :** मैं यह अर्ज कर रहा हूँ कि ऐसी न्याय पंचायतों की स्थिति हो न जावे कि जिस दिन चुनाव हो उस दिन से लेकर अन्तिम मयाद तक,न्याय पंचायत बन नहीं सकेगी और पब्लिक को न्याय नहीं मिल सकेगा। और जो आप गांवों को विकास देना चाहते हैं नहीं दे सकेंगे। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस क्लाज ४ में जो ७५ प्रतिशत बहुमत से आने वालों को मान्यता मिले, रखा गया है वह थोड़ा बेकवर्ड है। मैं निवेदन करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे और इसमें अवश्य संशोधन करेंगे। मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान के जितने भी ग्रामीण लोग हैं वे आज इस बात को नहीं समझ पाते हैं, आज उनको इस बात का पता नहीं कि उनके

( श्री लादूराम सुलाणिया )

इस वोट की कीमत कितनी होती है । आज हमारे यहां पर जितने लोग चुन कर आते हैं चाहे लोक सभा के हों चाहे विधान सभा के हों या ग्राम पंचायतों के हों या जिला परिषद के हों वे जितने आदमी आते हैं वे योग्यता पर नहीं आते हैं । वे तभी आ सकते हैं जब गांव वाले लोग लिखे-पढे हों और वे यह सोचें कि हम अपना प्रतिनिधि अच्छा आदमी भेजें जो हमारा अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व कर सके । लेकिन अपनी जाति वालों को वोट देते हैं....

**श्री उपाध्यक्ष** : आप प्रसंग से परे जा रहे हैं ।

**श्री लादूराम सुलाणिया** : और इस प्रकार से वे अपना गठन करते हैं । तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि ऐसी स्थिति में जब लोग अनपढ़ हैं तो इस प्रकार का क्लॉज़ को लगाना थोड़ा सा उन लोगों के लिये बाधक होगा जो देहातों में रहते हैं । आज आप उनको सस्ता न्याय देने के लिये न्याय पंचायतों की स्थापना करना चाहते हैं । आप यह समझें कि उनको सस्ता न्याय मिले, उनको अन्य कई यातायात आदि के खर्चों से बचाया जाए, तो इस प्रकार के अधिकार देकर आप उनको खर्चों से नहीं बचा सकते । इस प्रकार का यह क्लॉज़ है वह बाधक है । इस क्लॉज़ के अनुसार वे तीन-चौथाई मत प्राप्त होने पर न्याय पंचायत में आने के अधिकारी हो सकते हैं अन्यथा नहीं । इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यह तीन-चौथाई आपने वोटों का रखा है उसके बजाय ५१ पर्सेन्ट मत जिनके आवें उनको रखा जावे कर दिया जाना आवश्यक है ।

**श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष, सरकार की तरफ से जो यह ७५ प्रतिशत पर बहुमत माना जाने की बात लाई गई है, मैं इसका विरोध करता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, ...

(अश्रव्य)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप माइक का सदुपयोग करें ।

**श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** : आपने ७५ प्रतिशत का बहुमत रखा है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर न तो कोई राज्य के प्रेसिडेन्ट का चुनाव है, न कोई बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है । यह तो साधारण पंच का चुनाव है जो हर वार्ड से एक व्यक्ति चुना जावेगा और वह एक हजार या दो हजार की आबादी की पंचायत में एक सदस्य पर होगा क्योंकि एक पंचायत में एक हजार या दो हजार से ज्यादा आबादी नहीं होगी । वह सदस्य तो सिर्फ वार्ड से चुन कर आवेगा । तो एक व्यक्ति अगर किसी वार्ड से चुन कर पंचायत में आता है तो वह उस वार्ड की निश्चित रूप से देखरेख करेगा । सदस्य के आपस में कहीं झगड़े हो सकते हैं । मगर जहां पर गांव की पंचायत में १० आदमी बैठ कर काम चलावेंगे कि तो यह सोचना वहां पर ७० या ७५ प्रतिशत बहुमत से आने वाले ही ठीक काम कर सकेंगे और दूसरे नहीं करेंगे, यह उपयुक्त नहीं कहा जा सकता ! अगर आप ऐसा रखते हैं तो आप देखेंगे कि चुनावों में पहले ही या तो पैसे वाले व्यक्ति खड़े हो सकते हैं या बिल्कुल नागे जो वार्ड के व्यक्तियों को डरा कर अपने वोट हासिल कर सकें, वो आ जावेंगे । भले आदमी

( श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा )

तो इस प्रकार के झगड़ों में नहीं पड़ेंगे क्योंकि वे यह सोचेंगे कि उनको ७० या ७५ प्रतिशत वोट मिलें या नहीं मिलें। इस भय से कोई खड़ा ही नहीं होगा।

दूसरी बात यह कही गई है कि गांवों में फिक्शनबाजी पैदा हो जावेगी। इसके लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमारे यहां चुनाव प्रणाली चालू है तो जो कोई भी व्यक्ति सदस्यता के लिये खड़ा होगा और जिसको वोट नहीं देंगे और हार जावेगा वह तो उसके खिलाफ है ही। तो ऐसी हालत में यह सोचना कि इससे फिक्शनबाजी पैदा हो रही है यह उचित नहीं है।

एक बात यह कही गई कि योजनाओं को कार्यान्वित करने में बड़ी दिक्कत होगी। मैंने जैसा अभी बताया कि एक वार्ड का एक सदस्य वार्ड की तरफ से आता है और सब लोग मिल कर पंचायत का कार्यक्रम चलाते हैं और प्रस्ताव पास करते हैं। जो प्रस्ताव पास होता है उसके लिये तो आपने पहले ही प्रतिबन्ध लगा रखा है कि इतने प्रतिशत सदस्यों की राय होनी चाहिये। तो ऐसी स्थिति में यह आपने ७५ प्रतिशत का बहुमत लाने का रखा है; यह उचित नहीं है। अब यह कहा गया है कि पंचायतों में फर्स्ट, सेकिंड और थर्ड क्लास, यानि उत्तम, मध्यम और साधारण श्रेणियां पंचायतों की कर दी जायं। ऐसा संशोधन आया है। मैं उसकी मुखालफत करता हूँ। इस प्रकार की श्रेणियां कायम करेंगे तो यह उपयुक्त नहीं है। क्योंकि आप समझिये कि बहुमत के आधार पर जो सदस्य चुन कर जाते हैं, पंचायत एक्ट काम करने की उनको शक्ति प्रदान करता है, सार्वजनिक काम अच्छे हुए हैं या बुरे हुए हैं, यह तो देखा जा सकता है या कितने और हुए हैं यह तो देखा जा सकता है, यह ठीक है; लेकिन चुनावों से जाते हैं उनको उत्तम, मध्यम और साधारण कह देना यह कतई उपयुक्त नहीं है। इसलिए मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और इसको गलत मानता हूं।

सरपंच का चुनाव होता है उसके बारे में कहा है। कोई व्यक्ति—विशेष के लिये नहीं है, जैसे अमेरिका का प्रेसीडेन्ट है, फ्रांस का प्रेसीडेन्ट है वह अपनी केबिनेट बनाता है लेकिन यहां ऐसा नहीं है। पंच लोग सरपंच को चुनते हैं और सरपंच उस पंचायत का पंचों की राय से काम करता है। इसके लिए यह कह देना कि ७५ प्रतिशत लाये तो ही वो हो, यह उपयुक्त नहीं है। पहले ही से प्रस्ताव पास करने के लिए प्रतिबन्ध पंचायत एक्ट में लगा रखा है। फिर यह कह देना कि सरपंच ७५ प्रतिशत वोट हासिल करे, उसके लिए यह प्रतिबन्ध रखना किसी प्रकार से भी उपयुक्त नहीं है। ५१ प्रतिशत यानि बहुमत से चुनाव दुनिया में चला आ रहा है। आप कहते हैं कि साधारण बहुमत से अच्छे व्यक्ति नहीं आते। आप राजस्थान में ही देख लीजिये, विधान सभा के चुनावों को देख लीजिये पुराने नेता थे वे हार गये। तो क्या वे अच्छे व्यक्ति नहीं थे? यह बात गलत है। अच्छे से अच्छे व्यक्ति भी चुनावों में हार जाते हैं और छोटे से छोटा यानि खराब से खराब व्यक्ति भी चुनावों में जीत जाता है जिसकी अच्छाइयों या बुराई की कोई कीमत नहीं होती। इसलिए क्या ७० प्रतिशत वोट पाने वाला अच्छा आदमी हो गया!

# Page No.64



( श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा )

चुनावों में यह कह देना कि ७० प्रतिशत वोट पाने वाला भला आदमी है और ५१ या साधारण बहुमत वाला नहीं है, यह गलत बात है। मैं आशा करता हूं कि हमारे वयोवृद्ध पंचायत मंत्री इस बात को सोचेंगे। सारी दुनिया में यह है कि जो बहुमत से इलेक्ट होता है वह सदस्य ही चुना जाता है। हम इससे समझते हैं कि गांवों में फ्रिक्शन होगा, यह गलत बात है। गांवों में तो कार्य करने की क्षमता होनी चाहिये! इसके अलावा पहले ही प्रस्तावों में आपने प्रतिबन्ध लगा रखा है और इसलिए इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिये कि फ्रिक्शन आ जावेगा। पांच आदमियों से, दस आदमियों से चुनाव कराइये। पांच खिलाफ होंगे तो वे उसके खिलाफ बोलेंगे। चुनाव होने के बाद गांव के भले की बात सोचते हैं। गांव की उसकी भलाई एक ही व्यक्ति के हाथ में नहीं है; किन्तु पंचायत में दस आदमी वहां बैठते हैं तो दस के ही हाथ में है। वे लोग बैठ कर प्रस्ताव पास करते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं। इसलिए इस क्लॉज़ को हटा देना चाहिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री किशनसिंह।

**श्री किशनसिंह बाटड़** (लक्ष्मणगढ): मैं धारा ४ और ६ का विरोध करना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : क्लॉज ६ तो आया ही नहीं है। अभी ४ पर ही रहिये।

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : क्लॉज ४, पहले का ६।

**श्री किशनसिंह** : मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इससे ग्रामीण जनता को बड़ा कष्ट होगा। अब तक जितनी बातें हम मानते आये हैं, कई सदस्यों के भाषणों को भी सुना, मैं ऐसा समझता हूं कि इससे आप गांवों में चुनाव कराने जावेंगे, आपकी पार्टी जावेगी और एक दफा चुनाव करायें, आप चाहते हैं वे नहीं आयें, तो फिर चुनाव करायेंगे और इस तरह से आपको कई दफा चुनाव कराने पड़ेंगे और आप सफल नहीं होंगे तो आप एडमिनिस्ट्रेटर रख देंगे। इससे आपके राज्य का कितना खर्चा बढ़ जावेगा, यह भी तो जरा सोचिये। इससे गांव वालों को और आप सब लोगों को परेशानी होगी। उसके साथ साथ जो गांव वाले चुन कर जावेंगे, जिनको भेजना चाहते हैं वे दो–तीन दफा इलेक्शन के बाद निराश हो जावेंगे और चुनावों के रास्ते ही नहीं जावेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री हरिप्रसाद, कृपया सद्व्यवहार करें।

**श्री हरिप्रसाद यादव** : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं सुन रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर! ऑर्डर!!

**श्री किशनसिंह बाटड़**: चुनावों में खड़े होने वाले उम्मीदवारों को बड़ा खर्चा करना पड़ता है और खर्च करने के बाद सफल नही होते है तो फिर चुनाव होता है और फिर खर्चा होता हैं। दो–तीन दफा चुनाव होने के बाद हमको पिछला अनुभव बताता है कि कोई केन्डीडेट सफल नहीं होता है तो निराश हो जाता है और यदि सफल होता है तो काम होता है। इस क्लॉज़ से तो किसी को सफलता नहीं मिलेगी और नहीं मिलेगी

( श्री किशनसिंह बाटड़ )

तो खड़े होना ही छोड़ देंगे और वे निराश हो जावेंगे। इस जनतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण में विकास की ओर न बढ़ेगा और वह बैठ जावेगा। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि आप इस पर जरा विचार कीजिये और इस क्लोज को हटा दीजिये और बहुमत से चुनाव का जो सिलसिला आज तक चलता आया है वह ही चलने दीजिये। नहीं तो आपको भी बड़े खर्चे का सामना करना पड़ेगा। अब तक आपने विधान सभा, लोक सभा और म्युनिसिपैलिटीज़ में भी इस तरह की धारायें नहीं लगाई हैं तो गांव की अनपढ़ जनता के लिए इस तरह की धारायें लगाना चाहते हैं इससे उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और इस परीक्षण को करने के बाद फिर आपको संशोधन ला कर इसको वापिस हटाना पड़ेगा और यह होगा कि जिस तरह से आप करना चाहते थे वह नहीं कर सकें और फिर आपको यह धारा हटानी पड़ी और उसी रास्ते पर आना पड़ा जैसे बहुमत से चुनाव होते हैं। इसलिए यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस क्लॉज़ को वापिस कर लें। पास कराते हैं तो करा लीजिये लेकिन वापिस आपको इसी रास्ते पर आना पड़ेगा। यही निवेदन करना है।

**श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा)** : उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ द्वारा जो यह व्यवस्था की गई है मैं उसका विरोध करता हूं। पंचायत एक्ट बनाया वह हिन्दुस्तान में अच्छे से अच्छे पंचायत एक्टस में से था। उसकी एक धारा का आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं और यह प्रावधान करना चाहते हैं कि वह ही पंच अपने वार्ड से चुना हुआ माना जा सकता है जिसको टोटल नम्बर ऑफ वोट्स मिलें, वे ७५ प्रतिशत मिलें। किसी न किसी रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए व्यवस्था रखते हैं। यहां पर इस सम्बन्ध में भाषण हुआ। सरकार की मंशा यह है कि चुनने वाले के ज्यादा से ज्यादा मत हों और जनता एक राय पर पहुँचे, इसलिए यह 'प्रावधान रखना चाहते हैं। लेकिन इसकी दूसरी साइड भी तो देखिये। जो प्रेक्टिकल फील्ड में एक्सपीरियेन्स है, आज तक अपनी पंचायतों के चुनाव हुए क्या कभी पंच और सरपंच को ७५ प्रतिशत वोट्स मिले हैं ? इसका दूसरा रिज़ल्ट रखना चाहता हूं वह यह है कि अगर उस पंच को ७५ प्रतिशत मत न मिले तो उसका ऑलटरनेटिव क्या है ? क्या आप यह सोचते हैं कि ५१ मत से चुना हुआ योग्य नहीं होगा और आपका एडमिनिस्ट्रेटर योग्य होगा ? आखिर पंचायतों का काम चलाना होगा।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : इस स्थान पर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रखा है।

**श्री शिवनाथसिंह** : उसकी कोई न कोई व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी।

जहां ७५ प्रतिशत मत नहीं मिलते हैं वहां पंचायत कायम नहीं होती है और कायम नहीं होती है तो कोई न कोई व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। वहां बन्दोबस्त सरकारी मशीनरी द्वारा होगा। मेरे दिमाग में यह आ रहा है कि इस तरह से आप नौकरशाही की छाप देहातों में लेजाना चाहते हैं। देहाती जनता के लिये पंचायत एक्ट बनाया था उसके अन्दर अधिकार दिये थे अपना काम करने के, अपना विकास करने की जिम्मेदारी दी थी। इस तरह से तो शिवजी की जटा

# Page No.66



( श्री शिवनाथसिंह बाटड़ )

की कहावत चरितार्थ हो जायेगी कि जो अधिकार मिले थे वे इस तरह से समाप्त करने जा रहे हैं। यह तो ठीक है कि इस बिल का जो ड्राफ्टिंग हुआ है वह बहुत सुन्दर ढंग से हुआ है। लेकिन जहां आप युनेनीमिटी चाहते हैं वहां आप देखिये आज बहुमत के आधार पर हिन्दुस्तान का राज चल रहा है पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, केबीनेट आर्गेनाइजेशन, लीडर का चुनाव, सभी बहुमत के आधार पर होते हैं। आपने जिस प्रकार का पर्सेन्टेज रखा है वह अनुपात न किसी जगह है न म्युनिसिपैलिटीज में, न पंचायतों में है तो फिर यहां यह प्रोविजन क्यों लाना चाहते हैं ? इसका देहातों में मिसयूज होगा। २०, २५ आदमी मिल करके जिस तरह से कोई जागीरदार के साथ है, कोई सेठ—साहूकार के साथ तो कोई पंडित के साथ, वे नहीं चाहते कि पंचायत राज कायम हो तो वे इस प्रकार से २०—२५ आदमी मिल कर पंचायतों के चुनाव नहीं होने देंगे। वे देखते हैं, इस प्रकार से पंचायतों को अधिकार मिल जाते हैं तो यह उनको नागवार गुजरता है। और जब यह अमेंडमेंट पास हो जाता है तो इसी प्रकार की दिक्कतें और सामने आने वाली हैं। मान लीजिये किसी वार्ड में १०० वोटर्स हैं। उनमें से २६ को यदि एक तरफ कर लिया गया तो इस वार्ड की पंचायत का चुनाव नहीं हो सकेगा। जहां सरपंच के चुनाव का सवाल है यदि गांव के २० प्रतिशत निवासी एक तरफ हो जाते हैं तो वे सरपंच और पंचायत का चुनाव नहीं होने देंगे। इस तरह से इस अमेन्डिंग एक्ट के अनुसार चुनाव नहीं करा सकेंगे। उन लोगों की मनमानी चलेगी वैसी हालत में लोग भाग भाग कर केबीनेट मिनिस्टर्स के पास आयेंगे और उनसे कहेंगे कि फलां फलां आदमी को एडमिनिस्ट्रेटर बना कर भेजिये। इस तरह से जो कुछ भी हमने देहाती जनता को दिया था वह उनसे छीन रहे हैं। इसलिये या तो आप इस अमेंडमेंट को विथ्ड्रॉ कर लीजिये नहीं तो इससे कोई पर्पज़ सर्व होनेवाला नहीं और आज तक कहीं ऐसा नहीं देखा गया है।

इसके अलावा एक माननीय सदस्य ने यह सुझाव रखा कि पंचायतों को दो, तीन श्रेणियों में विभक्त कर देना चाहिये। मैं उसका भी विरोध करता हूं। हो सकता है, जहां १० वार्ड हों उनमें से पांचमें तो ७५ प्रतिशत से चुनाव हो जाते हैं और पांच वार्ड में चुनाव नही होते है तो जहां चुनाव ही नहीं हुए उनको आप किस केटेगरी में रखेंगे ? इस तरह से कई दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिये मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अब तक जैसा कि प्रावधान रहा है कि १०० में से ५१ वोट जिसके आ जायं या जिस आदमी को मेंजोरिटी ऑफ वोट मिल जायं उसको इलेक्टेड मान लें और वही प्रावधान रहना चाहिये।

**श्री सूबेदारसिंह** (बाड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, जिस क्लॉज ४ पर बहस हो रही है उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जहां हमारी सरकार ने अपने प्रान्त का विकास किया है वहां यह आवश्यक हो गया है कि गांवों का विकास भी किसी प्रकार से किया जाय। इस विकास को दृष्टिगत रखते हुए हमारी सरकार ने पंचायतों की स्थापना गांव गांव में करने की सोची और आज हम जो पंचायतें बनाने जा रहे हैं वे पंचायतें १,८००

( श्री सूबेदारसिंह )

और दो हजार की आबादी पर बनाने जा रहे हैं।

इसमें जो तीन-चौथाई मत लेने की बात रखी गई है उससे झगड़े बढ़ेंगे, यह बात नहीं है। वास्तव में देखा जाय तो गांवों का सुधार मोहल्ले का सुधार उसी हालत में हो सकता है जब कि वहां की जनता एक मत से किसी कार्य को करने के लिये तैयार हो या तीन-चौथाई मत से हो; तभी गांवों का विकास हो सकता है। यह ठीक है कि जहां हमने चुनाव की प्रणाली देश में अंगीकार की है वहां पार्टी बेसिस पर चुनाव होते हैं राजनैतिक दलबन्दियों के आधार पर चुनाव होते है यही लहर हम यदि गांवों में पहुँचाना चाहते हैं तो यह गांवों के लिये दुर्भाग्य होगा। जहां हम तीन-चौथाई मत की बातें करते हैं, जहां गांवों में राजनैतिक दलबन्दी नहीं हैं, वहां पर भी इस तरह से हम गांव गांव में और घर घर में, कुनबे के एक एक आदमी में यह दलबन्दी की गन्दगी फैलाना चाहते हैं। एक कुनबे के लोग जो चौपाल पर बैठ कर यह कह देते थे कि एक मोहल्ले से हमें एक व्यक्ति चाहिये वहां पर एक व्यक्ति का चुनाव बिना किसी मत के सर्व सम्मति से हो जाता था। जहां इस प्रकार की चुनाव प्रणाली की चर्चा हुई तो उपाध्यक्ष महोदय, यह भूलने की बात नहीं। हम देश में चुनाव लड़ते हैं; पार्लियामेंट का, राज्यसभा का, विधान सभा का चुनाव लड़ते हैं। हमें गांव के एक एक व्यक्ति से वोट लेना पड़ता है उसके लिये हमने घर घर बना रखा है, यह हमारे लिये आवश्यक हो जाते हैं। लेकिन जब यह प्रणाली पंचायतों के चुनाव में लागू करना चाहते हैं वहां यह भी आवश्यक हो जाता है कि हम इन पंचायतों को भी अपने हाथ में रखना आवश्यक समझते हैं। हम चाहते हैं कि यह नीचे के स्तर पर जो ये पंचायतें हैं उन पर कब्जा रख सके तो हमारी चुनाव में सक्सेस हो सकती है। हो सकता है, प्रत्यक्ष रूप से कोई भी राजनैतिक दल अपना टिकट पंचायतों के चुनाव के लिये न दे, लेकिन यह बताने की बात नहीं; कोई भी दल मदद करने से रुकेगा नहीं और वे इस प्रकार से चुनाव करवायेंगे।

यह भावना तो सुन्दर है कि थ्री फोर्थ वोट नहीं मिलेंगे तो उनका चुनाव नहीं होगा। लेकिन जब थ्री फोर्थ मत की चर्चा होती है तो मुझे पूर्ण निश्चय है कि राजस्थान के अन्दर एक भी पंचायत ऐसी नहीं होगी जो पूर्ण रूप से चुनकर आ जाय और अपना काम कर सके। जैसा कि अभी मुझसे पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने बताया था कि मान लीजिये १० वार्ड के चुनाव होते हैं उनमें दो-तीन में तीन चौथाई मत प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो उनका क्या हाल होगा? हाल यही होगा कि उस पर एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर देंगे या किसी व्यक्ति को नामजद कर देंगे। मैं यह मानता हूं कि जहां पंचायतों द्वारा गांवों के विकास का लक्ष्य आप रखते हैं तो आप जो यह तीन-चौथाई मतों की बात रखते हैं उससे कतई विकास हो नहीं सकता। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि गांवों को यदि विकास की ओर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो गांवों के अन्दर जो वार्डों के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें आप यह चुनाव शब्द हटा दीजिये। जिस मोहल्ले से या वार्ड से किसी आदमी को लेना है वहां उनसे आप यह मांग कर लें कि इस

( श्री सूबेदारसिंह )

वार्ड से एक आदमी दे दीजिये जैसा कि अक्सर होता आया है। चुनाव प्रणाली आप नहीं रखेंगे तो जिस प्रकार पहले पंचायतें होती थीं, गांव के बड़े बूढे लोग जो बहुत समझदार और निष्पक्ष होते थे गांव और मोहल्ले के लोग उसे पंच बना देते थे। आज हम जहां चुनाव प्रणाली गांवों की पंचायतों में लागू करने जा रहे हैं, उसके कारण जहां गांव में यह राजनैतिक बू नहीं थी वहां भी इस चुनाव प्रणाली से यह गंदगी फैलेगी और इससे गांवों के विकास में अवश्य नुकसान होगा। जहां तक श्री फोर्थ वोट का सवाल है उसके लिये मेरा निवेदन है कि जब एक मत अधिक आने से पार्लियामेंट और विधान सभा का सदस्य हो सकता है वहां हमें यही परिपाटी रखनी है और थ्री फोर्थ की जो धारा है उसको हटा देना चाहिये बहुमत के आधार पर जो जीतकर आये वही पंचायतें कामयाबी से चल सकती हैं। गांवों में अधिक से अधिक मत मिले वहां या तो चुनाव की परिपाटी को हटा देना चाहिये और गांव की जो पुरानी परिपाटी है या तो उसको रखना चाहिये, नहीं तो यह जो थ्री फोर्थ का प्रोवीजन है वह नहीं होना चाहिये और जो बहुमत से चुनकर आता है उसको मान लिया जाना चाहिये। इस तरह से मैं इस क्लॉज का विरोध करता हूं।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर—पूर्व): श्रीमान्, प्रस्तुत विचारधारा में जो चुनाव की प्रणाली प्रस्तुत की गई है मैं उस प्रणाली के बुनियादी सिद्धान्त से किसी हद तक सहमत हो सकूं तो उस बुनियादी सिद्धान्त की रक्षा के लिये यह जरूरी होगा।

समस्या का उद्गम, जहां तक मैं समझ पाया हूं, यह है कि जो हमने खास खास चुनावों में सादे चुनाव की प्रणाली रखी है, यानि बहुमत से चुनाव किये जाने की जो प्रणाली रखी है उससे जो आज उत्पन्न कठिनाइयां हमारे सामने आ रही हैं उनके हल करने के मूल में इस समस्या का उद्गम है। वहां से यह विचारधारा पैदा हुई है। हमने अमेरिकन चुनाव पद्धति के अनुसार सरपंचों की चुनाव प्रणाली भी रखी है और केबिनेट शासन—पद्धति में जैसा होता है वैसा नहीं रखा।

एक पंचायत चुनी हुई है और अगर हमें उसका सरपंच या प्रधान चुनना है तो पंचायत के पंच मिलकर उसे चुन लें, यह केबिनेट प्रणाली का नियम होता है। पर चुनाव प्रणाली का, सादी चुनाव प्रणाली का बुनियादी सिद्धान्त सीधा है। एक प्रधान या सरपंच का सीधा जनता से चुनाव कराया जाय और जनता के बहुमत से चुना जावे तब वह टिकाऊ हो सकता है। अब इसमें एक दिक्कत है जो केबिनेट प्रणाली से चुना जाता है वह बहुमत के आश्रित होकर चलने के लिये मजबूर होता है और इस तरह टिकाऊ नहीं होता उसका चुनाव, पर जनता द्वारा चुना जाता है तो टिकाऊ होता है। अब इसमें भी कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि पंचायतें जिस ढंग की हैं उनका बहुमत नहीं होता है कभी कभी और यह नहीं होने से अविश्वास की स्थिति पैदा होती है, डैड लॉक की स्थिति पैदा होने की सम्भावना हो जाती है तो इस पृष्ठ भूमि में यह सिद्धान्त तो ठीक है और शायद इस पृष्ठभूमि में यह बात दिमाग में आई कि सादे बहुमत से न चुनवाया जाकर सरपंच और प्रधान को

( श्री महेन्द्रसिंह पंवार )

अधिक बहुमत से चुनवाया जावे तो पंचायतों का विश्वास आसानी से आ सकता है। यह शायद बुनियादी विचारधारा थी जिसने सरकार को यह संशोधन लाने के लिये प्रेरित किया।

तो इस भावना की तो मैं कद्र करता हूं कि एक समस्या को हल करने की चेष्टा की गई है। पर सुझाव जो रक्खा गया मोटे तौर से यह खामी इसमें मालूम हुई। ७५ प्रतिशत की बात चल रही है और कुछ ने कुछ और भी आंकड़े दिये हैं।

एक ने कहा कि टोटल वोटर जितने हैं उनका पचास प्रतिशत लें, एक ने कहा कि २।३ लें, इत्यादि इत्यादि कई सुझाव दिये हैं। चुनाव का प्रतिशत गिनना, यह तो केवल एक पहलू है प्रश्न का, एक परिस्थिति है। एक विपरीत परिस्थिति. एक दूसरा पहलू और है। हमें यह भी देखना है कि किस चुनाव में कितने उम्मीदवार खड़े हुए हैं। इस पर अभी तक किसी ने जोर नहीं दिया। यह बड़ी आवश्यक चीज़ है। ठीक है, सौ वोट गिरते हैं और वहां दो उम्मीदवार खड़े होते हैं। उसमें जीतने के लिये साधारण बहुमत की परिपाटी से ५१ वोट बहुत हैं, ५१ वाला जीतेगा। पर आप चाहते हैं वहां कि इस तरह के अल्प बहुमत से, कुछ ऊंचे बहुमत से जीते, ऐसा सिद्धान्त आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। आप यहां कह सकते हैं कि पचास से अधिक इक्कावन नहीं, बल्कि ७५ वोट उसे लेने चाहिये। पर यह सिद्धान्त आप केवल उस परिस्थिति में लागू करेंगे जब कि दो उम्मीदवार खड़े होंगे। यदि चार खड़े हो जाते हैं तो वहां यह सिद्धान्त लागू करना उल्टी परिपाटी हो जावेगी। जिसमें सौ मत गिरते हैं और चार उम्मीदवार खड़े होते हैं वहां जीतने की न्यूनतम संख्या क्या रख सकते हैं ? इसमें जीतने के लिये साधारण बहुमत की परिपाटी से २६ वोट की जरूरत होती है। अब यहां ऊंचे बहुमत से जीतने का सिद्धान्त आप लागू करना चाहें तो २६ से उठाकर ड्योढ़ा कर दें। यह तो समझ में आ सकता है। पर एक रिजिड सिद्धान्त बना दिया कि ३।४ वोट लाओ। यह आपकी उम्मीद पूरी हो नहीं सकती। चुनाव में आठ आदमी खड़े हो गये। वहां ७५ प्रतिशत की बात करने का मतलब यह होगा कि ऐसे अधिक जबर्दस्त बहुमत से उम्मीदवार जीते कि खुद तो अकेला ७५ प्रतिशत वोट ले आवे और बाकी २५ प्रतिशत में सात उम्मीदवार हों। ऐसे जबर्दस्त जन—नेता गांव गांव में आप देखना चाहते हैं, तो गांव गांव में ऐसे जन—नेता मिलना मुश्किल होता है। ऐसे जन—नेता युगों में, देश में भी कभी कभी पैदा होते हैं और होते हैं तो एकाध पैदा होते हैं। तो ऐसे जबर्दस्त नेतृत्व की बात गांव गांव में मिलने की उम्मीद करना बेकार है, अव्यवहारिक है यह। ऐसी परिस्थिति तो मेरे ख्याल से बहुत कम नेताओं की होती है। ताज्जुब नहीं, सारे देश में ऐसे लोग एकाध ही मिल सकें। आज भारतवर्ष में मिसाल पैदा करने वाले, दुनिया में मिसाल पैदा करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू मेरे ख्याल से, जब से हमारे यहां राज—काज का संचालन कर रहे हैं तब से ऐसा कोई दूसरा देश नहीं होगा जहां नेतृत्व नहीं बदला हो, पर उनको इतनी जन मान्यता है कि कोई बदलने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि वह भी

( श्री महेन्द्रसिंह पंवार )

अगर किसी इस तरह की पंचायत के चुनाव में खड़े हों और दस आदमी खड़े हों तो ७५ प्रतिशत वोट वे भी नहीं ला सकते। तो ऐसी परिस्थिति में इस तरह इसको लागू करना गलत बात मानता हूं। हां, आपको अगर साधारण से अधिक बहुमत पर चुनाव कराना हैं उस समस्या को हल करने के लिये जो सीधे चुनाव से पैदा हो गई है तो ऐसा आप कर सकते हैं कि न्यूनतम वोट जिनको हासिल करने से साधारणतया व्यक्ति जीत जाता है, उससे डेढ़ गुना वोट वह लाए वहां आपकी ७५ प्रतिशत वाली बात आ जावेगी और वह वैज्ञानिक ढंग से आ जावेगी।

तो ऐसी परिस्थिति में आपके उम्मीद-वार कितने खड़े होते हैं इसका ध्यान रखना होगा। अब या तो इस वैज्ञानिक ढंग से आप काम लो या फिर कोई ऐसा रास्ता निकालो कि दो से अधिक खड़े न हों अगर आप इसको ही लागू करना चाहते हों तो। अगर यह विधि आप नहीं निकाल सकते तो कोई चुनाव आपके इस सिद्धान्त के आधार पर तो नहीं हो सकेंगे और सब जगह डैड लॉक उत्पन्न हो जावेगा। यह आप भविष्य-वाणी समझ लें। आप ऐसा राजनैतिक जोर भी नहीं लगा सकते कि उससे आप इस सिद्धान्त के आधार पर चुनाव जीत लो।

इसलिये मैं समझता हूं कि वैज्ञानिक ढंग इसका यही होगा, अगर आप साधारण बहुमत के सिद्धान्त से उत्पन्न कठिनाइयों के लिये रास्ता ढूंढना चाहते हैं तो। आप उम्मीदवारों के हिसाब से डेढ़ गुने बहुमत के सिद्धान्त पर ही चलकर इस समस्या का वैज्ञानिक समाधान कर सकते हैं।

एक सदस्य ने कहा कि बहुमत के चुनाव सिद्धान्त को गलत समझ कर साधारण सिद्धान्त ५१ प्रतिशत पर जीतने का है, इसलिये ५१ प्रतिशत की बात रख दी जावे। यह भी गलत है। जहां दो से अधिक उम्मीद-वार खड़े होंगे वहां यह ५१ प्रतिशत भी नहीं चल सकेगा। वहां तो बहुमत का सिद्धान्त चल सकता है या अधिक बहुमत का सिद्धान्त चल सकेगा। यह वैज्ञानिक चीज़ होगी और सफल भी हो सकेगी। इसमें डेडे लॉक नहीं आवेगा। इसके अलावा तो आवेगा ही। आप उसको दूसरे चुनाव की व्यवस्था करके भी टाल नहीं सकते और सदा के लिये उस डैडलॉक को मानकर संस्था को खत्म करना चाहते हों, ऐसी बात मैं समझता हूं कि सर-कार के ध्यान में नहीं है।

मैं तो कहता हूं कि ७५ प्रतिशत हटाकर ५१ प्रतिशत भी कर देंगे आप, तो भी डैड लॉक हो जावेगा क्योंकि जहां दो से अधिक खड़े हुए नहीं कि वहां भी ५१ प्रतिशत वोट लाना भी मुश्किल की चीज हो जावेगी। इतने वोट आने भी असम्भव हो जावेंगे। तो मेम्बर किस चुनाव में कितने खड़े होते हैं इस बात को ध्यान में रखकर फिर उनके न्यूनतम वोटों को ऊंचा करने का वैज्ञानिक फॉर्मूला आप लागू करिये, तब तो पार पड़ने वाला है। नहीं तो केवल एक आंकड़ा बांध देने से कानून वैज्ञानिक बन जाता हो ऐसी बात नहीं है। वह वैज्ञानिक तो होगा ही नहीं, बल्कि व्यवहारिक भी नहीं हो सकेगा। डैड लॉक उल्टे अलग हो जावेगा। तो मैं आशा करता हूं कि जो बुनियादी सिद्धान्त क्लॉज़ चार के पीछे है उससे समस्या का हल नहीं होगा,

( श्री महेन्द्रसिंह पंवार )

समस्या का समाधान अगर करना है तो इस तरीके को थोड़ा वैज्ञानिक रूप दे दीजिये जैसा मैंने निवेदन किया है। मैं समझता हूं कि मेरी दो–चार बातों को ध्यान में रख कर इस पर सदन विचार करेगा।

**श्री मुक्तिलाल मोदी** (बैराठ) : क्लॉज़ ४ के अन्दर जो ३।४ मेजोरिटी की बात रखी है तो राजस्थान में थर्ड फाइव ईयर प्लान में ६ वर्ष से ११ वर्ष तक के बालकों के लिये यही नहीं सारे हिन्दुस्तान में अनिवार्य शिक्षा लागू हो रही है तब तो यह मान भी लें कि सारे लोग पढ़े–लिखे हो जावेंगे तो यह क्लॉज़ लागू करना ठीक होगा। परन्तु अभी ज्यादा पढ़े–लिखे लोग हैं नहीं। उस हालत में इसे लागू करना ठीक नहीं होगा। लोग इन चुनावों ही से इतने परेशान हैं कि सुबह से लेकर शाम तक माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, सुबह से लेकर शाम तक चुनाव ही चुनाव होते हैं। इसलिए जनता आज चुनावों में कम भाग लेने लग गई है....

**श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** : चुनाव के माहिर हो गए हैं!

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : वे इसलिए कम भाग लेने लगे हैं कि हर आदमी के ऊपर सरकार की तरफ से और रिश्तेदारों की तरफ से और हर तरफ से दबाव डाला जाता है और उस दबाव के आगे हर मनुष्य यह समझने लग गया है कि इस चुनाव का क्या तरीका हो गया जिससे कि इतनी परेशानी बढ़ गई है कि हम इस चुनाव में भाग नहीं लें तो आज हमारे ऊपर न रिश्तेदार नाराज होगा न सरकार की तरफ से जो भी कोई एम० एल० ए०....

**श्री उपाध्यक्ष** : आप क्लॉज़ ४ के संशोधन पर बोल रहे हैं।

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : तो ऐसी हालत में वह नहीं होना चाहिए। परन्तु मैंने कल भी इस बात का सुझाव दिया था कि ३।४ के बजाय जितने भी वोट इकट्ठे हों उसका ५० पर्सेन्ट अगर सरपंच मत ले लेता है तो उसको सरपंच माना जाये क्योंकि यह शुरू शुरू की सीढ़ी है....

**श्री शंकरलाल** : यह क्लॉज़ पंच और सरपंच दोनों के लिए है।

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : दोनों के लिए है तो जब सरपंच के लिए हो जायेगा तो पंच के लिए भी हो जायेगा।

[ हंसी ]

**श्री उपाध्यक्ष** : आप तो आरम्भ रखिये।

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : तो माननीय उपाध्यक्षजी, आजकल जो चुनाव का तरीका है तो जब तक हिन्दुस्तान के अन्दर डिक्टेटर-शिप नहीं होगी तब तक चुनाव का तरीका नहीं बदला जायेगा। यह जो चुनाव का तरीका है वही सारे हिन्दुस्तान में गलत है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप पर तो विदेश का असर पड़ गया है।

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : जब कि यह चुनाव का तरीका है....

# Page No.72



**श्री शंकरलाल :** आप रूस का तरीका बतला दीजिए।

**श्री मुक्तिलाल मोदी :** रूस का तरीका तो दूसरी तरह का है। उसके माननीय मन्त्री जी पक्ष में नहीं हैं इसलिए बताने में फायदा नहीं है।

**श्री शंकरलाल :** आप तो पक्ष में हैं....

**श्री मुक्तिलाल मोदी :** मेरे अकेले से क्या होता है ? तो माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि जितने टोटल वोट्स इकट्ठे हों अगर ५० वोट्स किसी पंच या सर पंच के आ जायें तो उसको चुना हुआ माना जाये। वैसे इसके अन्दर साल भर बाद में या दो साल बाद में अमेन्डमेन्ट जरूर होगा लेकिन अभी फिलहाल टोटल वोट जो इकट्ठे हों उनमें ५० पर्सेन्ट वोट जिसके आयें उसको सरपंच और पंच मान लिया जाये तो भी काफी होगा। क्योंकि उससे भी मैजोरिटी बन जायेगी। पर माननीय सदस्य इसको नहीं चाहते हैं और वह इसलिए नहीं चाहते हैं कि कहीं कहीं तो क्या होता है, माननीय उपाध्यक्षजी, मैं मेरी कॉन्स्टीटुएन्सी की बात कह रहा हूं कि हमने २५ आदमियों से सरपंच चुना हुआ देखा है और वहां वोटों की संख्या दो हजार या ढाई हजार के करीब है। तो जहां दो हजार वोटों की संख्या हो और वहां २५ आदमी आकर सरपंच को चुन लें तो आप देखिये कि कैसे पार पड़ेगी ? तो मेरा सुझाव है कि ५० पर्सेन्ट का कर दिया जाये ३।४ के बजाय। जितने टोटल वोट्स होंगे उनमें से ५० पर्सेन्ट जैसे ही पंच को या सरपंच को वोट मिलेंगे उसी को सरपंच और पंच माना जायेगा, अगर यह रख देंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो उसमें अंकुश जरूर रखना चाहिए, इसके पक्ष में मैं जरूर हूं परन्तु इसको बिल्कुल ही हटा दिया जाये जैसा कि मेरे कुछ माननीय सदस्य कहते हैं वह मैं बिलकुल नहीं चाहता हूं और उस क्लॉज़ में मेरा यह सुझाव है उसको माननीय मंत्रीजी मान लें कि ५० पर्सेन्ट जिसके टोटल वोट इकट्ठे हों वह पंच और सरपंच माना जायेगा। अगर इस सुझाव को मान लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

**श्री गोकुलचन्द जाटव (लछमणगढ़) :** अगर दो को ५०-५० वोट मिल गए तो क्या लॉटरी डाली जायेगी।

**श्री मुक्तिलाल मोदी :** आपने लॉटरी का सिस्टम तो सब जगह कर लिया है तो इसमें भी लॉटरी लगा दो। लॉटरी तो अब रुपयों के लिए भी चला दी है तो इसके लिए भी लॉटरी हो जाये तो कोई बात नहीं है। जिसकी तकदीर साथ देगी वह हो जायेगा, इसमें क्या है।

**श्री गोकुलचन्द जाटव :** ५० के बजाय ५१ कर लो।

**श्री मुक्तिलाल मोदी :** ५१ कर लो, एक ज्यादा बढ़ा लो। तो ऐसा मेरा सुझाव है और इसमें अगर अंकुश नहीं रखा गया तो यह आज जैसे पंचायतों के अन्दर रोज सुबह से लेकर शाम तक परेशानी होती है और दिक्कत होती है और पंचायतों के चुनाव हो जाते हैं परन्तु उनकी शिकायतें चलती रहती हैं उससे सरकार को बहुत नुकसान होता है और जो यह करते हैं उनको भी नुकसान होता है। इसलिए मेरी माननीय मंत्रीजी से प्रार्थना है कि जो इस

( श्री मुक्तिलाल मोदी )

क्लॉज़ को यहां रखा गया है इसका तो मैं स्वागत करता हूँ लेकिन यह जो मेरा सुझाव है उसके लिए आशा है माननीय मंत्रीजी स्वीकार करेंगे। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि माननीय मंत्रीजी इस सुझाव को मानते हुए इस क्लॉज़ को पास करायेंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री राणावत।

**श्री जयसिंह राणावत** ( आसिन्द ) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत (संशोधन) बिल, सन् हाल के क्लाज़ ६ में जो....

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : क्लॉज़ ४ है।

**श्री उपाध्यक्ष** : हां, आप तो सन् हाल बोलिये।

(हंसी)

**श्री जयसिंह राणावत** : जो इस बिल में आयोजित किया गया है और उस पर जो विचार आये हैं, उनका मैं विरोध करता हूं। मैं बहुत हैरत में इसलिए पड़ गया कि एक वक्त था जब हमारे यहां किंवदंती थी कि 'यथा राजा तथा प्रजा'; आज स्थिति यह है कि जैसी प्रजा है वैसा राजा है और प्रजा के चाल-चलन और प्रजा के प्रतिबिम्ब रूप हमारे चुनाव राज्य विधान सभा के और लोकसभा के होते हैं और हम प्रतिनिधि रूप में या प्रतिबिम्ब रूप में यहां तब आते हैं। जहां जब नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने की बात कभी चलती है तब माननीय सदस्य ज्यादातर अपोज़ीशन से इस बात के लिए सुझाव लाते हैं या क्रिटिसिज्म करते हैं कि गवर्नमेंट को थोड़ा इस बारे में सख्त होना चाहिए तो जब जड़ को सुधारने की बात आती है तो इस प्रकार का सुझाव आना बहुत ही हैरतअंगेज बात है। मैं यह चाहता हूं और राज्य सरकार को इसके लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने 'टू निप इन दी बड', जड़ में जहां कहीं खराबी है उसको सुधारने का एक सुझाव रखा है और चुनावों के जो विषम परिणाम या दिल दहलाने वाले आंकड़े माननीय सदस्यों ने रखे हैं उन्हीं को प्रकट करने के लिए यह पहला कदम है ताकि हम शुरूआत से ठीक होते जायें और उसके लिए मेरा नम्र निवेदन है कि मंत्री महोदय हिम्मत के साथ इस क्लॉज़ को पास करवायें और माननीय सदस्यों से कहूंगा कि उनके क्रिटिसिज्म से देश का सुधार नहीं होता है। सुधार करने के लिए किसी न किसी को लोहे के चने चबाने पड़ते हैं और आपको इस क्लॉज़ का विरोध नहीं करना चाहिए, इसके सफल परिणाम आयेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ।

**श्री रामचन्द्र** ( डग-सु० ) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत (एमेंडमेंट) बिल, १९६०, के क्लॉज ४ में जो एक प्रोविजो लगाया है उसका विरोध करता हूं। उसका कारण यह है कि डेमोक्रेसी का मूल सिद्धान्त मेजोरिटी रखा गया है। जब कभी डेमोक्रेसी के किसी मामले को तय करना होता है तो हमेशा मेजोरिटी की तरफ ध्यान दिया जाता है, चाहे मेजोरिटी एक की हो या दो की हो। यह मूल सिद्धान्त है, लेकिन इस विधेयक में मूल सिद्धान्त को छोड़ कर उस पर वेटेज लगाया है। जैसे रिज़र्वेशन दिये जाते हैं उसी तरह से इसमें रिज़र्वेशन दिया गया है कि इस तरह से न्याय पंचायतों के पंच चुने जायेंगे। ऑर्डिनरी मेजोरिटी के अनुसार न

# Page No.74



( श्री रामचन्द्र )

रखकर एक विशेष ढंग से चुने जायं जो कि बिल्कुल डेमोक्रेसी के सिद्धान्त के विरुद्ध हैं।

इसके साथ साथ इस प्रकार का प्रोविज़ो रखने से यह भी प्रकट होता है कि डेमोक्रेसी में जो मेजोरिटी का सिद्धान्त रखा गया है उसके आधार पर अच्छे पंच नहीं आते हैं, इसलिए असंतुष्ट होकर राजस्थान सरकार ने इन पंचायतों में एक विशेषता लाने के लिए ३।४ मेजोरिटी का नया प्रतिबन्ध लगाया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना डेमोक्रेसी के मूल सिद्धान्तों के खिलाफ है। उसको एक तरह का चैलेन्ज है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का प्रोविज़ो नहीं जोड़ा जाय।

साथ के साथ इसमें यह प्रोविज़न रखा गया है कि ३।४ नम्बर ऑफ वोट्स से वह इलेक्टेड हो। यदि नम्बर ऑफ केन्डीडेट्स ज्यादा खड़े हो जायं तो यह किसी भी हालत में पोसिबल नहीं हो सकता कि किसी को भी ७५ पर्सेन्ट ऑफ दी वोट्स मिलेंगे। यह उसी हालत में पोसिबल हो सकता है जब कि केवल २ केन्डीडेट्स की आपस में टक्कर हो। यह कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। आप कितनी बार चुनाव कराने का प्रयत्न करेंगे। जब ७५ पर्सेन्ट का प्रोवीज़ो रखा गया है तो हर जगह पंचायतों के इलेक्शन विफल होंगे, और कभी भी चुनाव नहीं हो सकता। इसलिए मेरा निवेदन तो यह है कि इस प्रोविज़ो को बिल्कुल ही हटा दिया जाय। डेमोक्रेसी का मूल सिद्धान्त है कि मेजोरिटी के ऊपर पंचों का चुनाव होना चाहिए, यही मेरा निवेदन है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मंत्री महोदय।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** ( जौहरी बाजार, जयपुर ) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ४ के सम्बन्ध में आज वाद-विवाद सदन में चल रहा है और जिस पर कई एक माननीय सदस्यों ने अपने संशोधन के प्रस्ताव रखे हैं। जो मूल विधेयक है उसकी धारा ६ के अन्तर्गत चुनावों के सम्बन्ध में प्रावधान है :—

"The election of the Panchas shall be held and conducted in the prescribed manner." उसमें प्रोविज़ो जोड़ने के लिए यह एक क्लॉज़ और इस प्रोविज़ो के द्वारा यह व्यवस्था करने जा रहे हैं कि पंच वे चुने हुए माने जायेंगे न्याय पंचायत में जिनको ३।४....

**श्री शंकरलाल** (रायपुर): न्याय पंचायत नहीं पंचायत में।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : पंचायत में कि जिसको ३।४ से मेजोरिटी मिले। उपाध्यक्ष महोदय इसमें यह प्रावधान कर दिया। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा और वे इसका स्पष्टीकरण कर दें कि कोई चुनाव में यदि किसी भी पंच को ३।४ मत प्राप्त नहीं हुए तो कानूनन क्या स्थिति होगी? क्या दुबारा इलेक्शन होंगे? और यदि दुबारा हुआ और यदि फिर भी ३।४ मत प्राप्त नहीं हुए तो फिर क्या होगा? क्या फिर इलेक्शन सरकार करायेगी? या फिर मंत्रीजी कह दें कि जब तक ३।४ मत कोई भी पंच को नहीं मिले तो वह नहीं चुना जायगा और राजस्थान सरकार चुनाव या निर्वाचन कराती चली जायगी चाहे, ५ साल ही क्यों

( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

न लगें। मंत्रीजी सदन में साफ कह दें जो आपके मन में बात हो कि यदि ३।४ मत नहीं आते हैं तो राजस्थान सरकार उस स्थान पर प्रशासक की नियुक्ति कर देगी। अगर यह मन में आपके भाव हैं तो साफ सदन में कह दें। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, समझता हूं कि इस कानून में कहीं पर भी यह व्यवस्था नहीं है कि यदि ३।४ मत पंचों को प्राप्त नहीं हुए तो उसके बाद में फिर इलेक्शन कराया जायगा। मैं तो समझता हूं कि यह हो सकता है कि कोई लीगल डिफेक्ट, लेकिन कानून में उनकी नजर में रह गया और दिल में इस प्रकार की मन्शा नहीं है तो उसका स्पष्टीकरण करेंगे अपने उत्तर के समय में। लेकिन जिस प्रकार का प्रावधान अभी तक इस कानून में है और उस प्रोविज़न को देखें तो निश्चित रूप से यह दुर्गन्ध इसमें आती है कि किसी भी अवस्था में जैसी कि अवस्था मैं समझता हूं कि राजस्थान में कोई कम नहीं हो सकेगी, ३।४ मत से जीतना कोई साधारण बात नहीं है। स्थान स्थान पर चुनाव की जो व्यवस्था होगी उसके लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ३।४ इस प्रकार के स्थान होंगे, ३।४ निर्वाचन के कार्यक्रम इस प्रकार के होंगे कि जिनमें कोई भी ३।४ मत से जीतकर नहीं आयेगा। नतीजा यह होगा कि राजस्थान सरकार को बाद में या तो संशोधन लाना पड़ेगा या दुबारा चुनाव की तिथियां निश्चित करनी पड़ेंगी। यह तय करना पड़ेगा कि ३।४ मत प्राप्त नहीं होते हैं तब तक कितनी ही बार हो कितना ही समय लगे वे बराबर चुनाव की व्यवस्था करायेंगे। परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार के मन में यह बात हो, जैसा कि हमेशा होता है कि ३।४ मत आते नहीं हैं। पंचायतों में जितने व्यक्ति हैं या मतदाता हैं, जैसा कि मेरा अनुभव है, सदन के माननीय सदस्यों का अनुभव है कि तीन चौथाई व्यक्ति आते नहीं हैं तो पंच नहीं चुन सकते हैं इसलिए राजस्थान सरकार एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त कर दे। उसका प्रावधान आगे आने वाली धारा में है। एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने की भावना आपके मन में है और इसी कारण से प्रावधान रखा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, एडमिनिस्ट्रेटर तो मुकर्रर करेंगे और एडमिनिस्ट्रेटर आपका आदमी होगा। उस पंचायत क्षेत्र में आपने प्रशासक नियुक्त कर दिया और प्रशासक नियुक्त करने के बाद चुनाव की व्यवस्था करेंगे लेकिन इन्टेरिम पीरियड होगा उसमें व्यवस्था करने के लिए प्रशासक नियुक्त करेंगे। तो मैं समझता हूं कि वह एडमिनिस्ट्रेटर आप नहीं करके किसी प्रकार की एडहॉक कमेटी का निर्माण करते हैं। तो एडहॉक कमेटी का निर्माण किस तरह से होगा, इसका मतलब है कि जिस प्रकार की संस्था है, जिस प्रकार की व्यवस्था है और जिस प्रकार की एडहॉक कमेटी का निर्माण राज्य सरकार करती है कि सत्तारूढ़ दल के लोगों को एडहॉक कमेटी में रख कर गांव में उसके बाद चुनाव व्यवस्था की जाय ताकि चुनावों में उनको बहुमत प्राप्त हो सके और तीन चौथाई मत उनको प्राप्त हो सके इस प्रकार का षडयन्त्र मानता हूं। तीन चौथाई मत प्राप्त करना है इसलिए प्रशासक की नियुक्ति और एडहॉक कमेटी के निर्माण की व्यवस्था है। इस प्रकार की मन में भावना है। आज इस प्रकार से इस मामले में हमारे मन में शंका पैदा होती है! इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, समझ नहीं पाया हूं कि

( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

यह प्रावधान किस आधार पर रखा है ? कोई लोजिक, जस्टीफिकेशन नहीं है। कौन सी धारा है ? कौन सी इसके सम्बन्ध में धारा है? यू० पी० का पंचायत राज्य एक्ट मेरे पास है। कौन सी धारा है ? उत्तर प्रदेश की अदालतों का कानून मेरे पास है, पंचायतों के निर्माण का कानून मेरे पास है। उसमें पंचों के चुनाव की व्यवस्था है उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ३।४ मत प्राप्त नहीं होंगे तो वे,वहां पर चुने हुए पंच नहीं माने जायेंगे। मैं समझता हूं कि यू० पी० हिन्दुस्तान का अगुआ और प्रगतिशील पुराने बड़े प्रान्तों में से है जहां कि पंचायत राज्य का कानून, हमारे यहां तो बनाया है १९५३ में और आज इस प्रकार का संशोधन ला रहे हैं १९६०में, वहां उत्तर प्रदेश में ४७ में इस प्रकार का कानून पास किया और आज तक किसी संशोधन की व्यवस्था नहीं होती है कि ३।४ मत प्राप्त करने पर पंच निर्वाचित समझा जायगा। इतना ही नहीं, यू० पी० के बाद मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान का दूसरा बड़ा प्रान्त जो एजुकेशन के हिसाब से,पोलिटिकल कॉन्शसनेस के हिसाब से एडवान्स्ड प्रोविन्स हैं; बम्बई, मद्रास, कलकत्ता (बंगाल)। तो मैं समझता हूं कि बम्बई विलेज पंचायत का कानून बना तो वह विलेज पंचायत का कानून सन् ३३ में बना और उसके बाद मैं समझता हूं कि ४७ में पहला संशोधन हुआ। बम्बई के पंचायत कानून की किताब मेरे पास में है। मैंने उसके सारे प्रावधानों को देखा है। तो इस कानून में कहीं भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई बम्बई के इस कानून में कि पंच वे ही चुने हुए माने जायेगे जिनको ३।४ मत प्राप्त हों। जब कि बम्बई के कानून में नहीं है, उत्तर प्रदेश के कानून में नहीं है तो समझ में नहीं आता कि यह कहां से आ गया है ? जहां तक मेरी जानकारी है,उपाध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान के कौन से प्रान्त और राज्य में इस प्रकार की व्यवस्था है जहां यह जरूरत समझी गई या आवश्यकता समझी गई कि विशेष कारणों से तीन–चौथाई मतों के बिना पंचायतें अच्छी तरह से चल नहीं सकेंगी। ऐसा कोई सवाल नहीं है कि पंचायत के काम में इसके बिना कोई बाधा आयेगी। जब काम में बाधा नहीं आवे, गड़बड़ नहीं हो तो फिर कौनसी धारणा है, या कौनसी मौलिक धारणा है जिसके कारण यह कहा जाय कि हमने नवीन प्रावधान नहीं रखा; तो राजस्थान का हिन्दुस्तान में नाम कैसे होगा या राजस्थान के बारे में कौन कहेगा कि बम्बई और उत्तर प्रदेश से भी आगे है। यदि ऐसी बात है जिसका मैं यहां पर नाम नहीं लेना चाहता, दिमाग यदि इस प्रकार की उलझन या स्वप्न या कल्पना है तो चाहे इसका अच्छा परिणाम हो या बुरा हो, परन्तु रहना चाहिये तो बात दूसरी है। लेकिन मैं यह समझता हूं कि हमारे यहां डेमोक्रेटिक के सारे सिस्टम में चुनाव पद्धति है, तो मैं समझता हूँ जहां तक विधान सभा, लोक सभा या संसद के लिये जो चुनाव का तरीका है उनके लिये आज तक यह नहीं हुआ कि निर्वाचित सदस्यों के लिये इस तरह की बाधा लगाई हो। तीन चौथाई से चुनाव नहीं हुआ है इसलिये झगड़ा उठाया हो।

इस क्लॉज पर संशोधन आता है दो तिहाई का, संशोधन आता है ५१ प्रतिशत का और मंत्रीजी कहते हैं ७५ प्रतिशत की बात और कोई कहते हैं इन दोनों के बीच की

( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

बात रहनी चाहिये। मैं समझता हूं सीधा सादा तरीका है, केलकुलेशन का झगड़ा नहीं है। नहीं तो कई स्थानों पर फ्रेक्शन का झगड़ा आयेगा। वोट कास्ट होंगे उनके हिसाब से ७५ पर्सेन्ट का झगड़ा होगा। कहीं ७६ का झगड़ा होगा। इलेक्शन पिटीशन्स होंगी। नतीजा यह होगा कि रिटर्निंग ऑफिसर जिस पक्ष का होगा उसके अनुकूल वह कहेगा; आधा छोड़ दिया जाय या पूरा गिन लिया जाय, मैं नहीं मानता। एग्ज़ामिनेशन में मार्क्स का हिसाब होता है, ३२।। पर्सेन्ट होते हैं तो ३३ पर्सेन्ट मान कर पास कर देते हैं। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर कहेगा कि कानून में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। पूरे वोट आये नहीं हैं तीन चौथाई के हिसाब से, इसलिये या तो दुबारा चुनाव होगा या एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त होगा। इस प्रकार की आज्ञाएं जारी होंगी। राजस्थान सरकार की हुकूमत के ऐसे उदाहरण हैं, इन्स्टान्सेज़ की कमी नहीं है, व्यवस्था के बारे में दो राय हो सकती हैं। मैं उदाहरण के लिये और मंत्रीजी की जानकारी के लिये व सदन की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं। एक म्युनिसिपैलिटी के बारे में सवाल खड़ा हुआ। एक नगरपालिका का चुनाव हुआ। राज्य सरकार ने उसे अवैध घोषित किया। फिर सवाल खड़ा हुआ कि राज्य सरकार उसको अवैध घोषित नहीं कर सकती, राज्य सरकार के हाथ में नहीं है, इलेक्शन पिटीशन कोर्ट में जानी चाहिये। सरवाड़ म्युनिसिपैलिटी का मामला था। सरकार का लॉ डिपार्टमेंट राय देता है कि राजस्थान सरकार इस इलेक्शन को सैट असाइड नहीं कर सकती, सैट एसाइड करने की आज्ञा, गलत है, इलेक्शन पिटीशन होनी चाहिये। इसी तरह से फुलेरा म्युनिसिपैलिटी का मामला खड़ा हुआ। वहां पर पुराने एक्ट के अनुसार चुनाव हुए। सरकार ने एग्ज़ीक्युटिव आज्ञा जारी कर दी कि नया कानून लागू हो गया है उसके अनुसार यह चुनाव अवैध है। एक्स मिनिस्टर फोर लोकल सैल्फ गवर्नमेंट ने यह आज्ञा निकाली। उन्होंने इतने दिनों तक वकालत की है, एडवोकेट रहे हैं, कानून के माहिर हैं, म्युनिसिपैलिटी को इतने दिनों तक डील किया है और खुद म्युनिसिपल अध्यक्ष रहे हैं, बड़ा आश्चर्य हुआ उनकी आज्ञा को देख कर। यदि वित्त मन्त्रीजी होते और वे कहते कि कानून की बात समझ में नहीं आती तब तो समझ सकते थे। लेकिन जिन्होंने जिन्दगी भर वकालत की, अच्छे एड्वोकेट रहे, म्युनिसिपैलिटी के प्रधान रहे, उन्होंने फुलेरा म्युनिसिपैलिटी के चुनाव को इनवेलिड करार दे दिया ....

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री):** ऐसी आज्ञा जारी नहीं की गई कि जिससे इलेक्शन सेट असाइड कर दिया हो।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : वह आज्ञा मेरे पास है।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : मेरे नोटिस में कोई ऐसी बात नहीं है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आप ऐसी बात भूल जाते हैं।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : यह बिल्कुल गलत बात है कि फुलेरा म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन को सेट असाइड कर दिया।

# Page No.78



**श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) :** स्टे कर दिया।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता :** कोई स्टे नहीं किया।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** इस मामले में ऑर्डर दिया कि फुलेरा के चुनाव नये कानून के लागू होने के बाद हुए हैं इसलिये इन्वैलिड हैं। नये स्वायत्त शासन मन्त्रीजी को जब यह दिखाया गया तो दुबारा लॉ डिपार्टमेंट में भेजा। ऐसा किया गया या नहीं ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता :** यह बात मैं नहीं कहता, लेकिन इस इलेक्शन के बारे में यह बात नहीं कही गई कि इलेक्शन सैट असाइड कर दिया जाय।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** 'फोर' करके किसी ने कर दिया होगा।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता :** कोई 'फोर' का सवाल नहीं है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** आपके यहां से यह आज्ञा जारी हुई है कि फुलेरा म्युनिसिपैलिटी का चुनाव नये कानून के लागू होने के बाद हुआ है, इसलिये इन्वैलिड है। इसका इलेक्शन पिटीशन कोर्ट में पड़ा है। 'आप' से मतलब आपके महकमे से है, आपके असिस्टेन्ट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी या सेक्रेटरी ने दस्तखत किये होंगे। मैं यह नहीं कहता कि आपने किये हैं, लेकिन आपके महकमे से आज्ञा हुई है।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता :** मेरे नोटिस में आये बिना मैं नहीं कह सकता, आप मुझे बताइये।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** इसका तो उपाध्यक्ष महोदय, एक ही उत्तर है। यदि मैं बतला दूं तो आप इस्तीफा दे दीजिये और यदि मैं नहीं बतला सका तो मैं इस्तीफा देता हूं। मेरे पास जब तक सुबूत नहीं होता है तब तक मैं नहीं कहता हूं ....

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता :** आप मुझे सुबूत बता दीजिये।

**श्री पी० के० चौधरी :** I have seen that order. नये कानून का एन्फोर्समेंट हुआ १७ अक्टूबर को ....

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता :** हमने जनरल सर्क्युलर जारी किया है कि नया एक्ट आ गया है इसलिये कोई इलेक्शन नहीं कराये जांय पंचायतों के ....

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** पंचायत का सवाल नहीं है, म्युनिसिपैलिटी का है।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता :** म्युनिसिपैलिटी की ही बात कहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष :** Shri Agarwal to continue.

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जारी) :** अब ऐसा है कि आपके सामने और बातें कही जायेंगी तो आप ना कहेंगे। मैं समझता था कि हां कर लेंगे क्योंकि यह विषय खड़ा हुआ, इसलिये सवाल नहीं है कि किसी आदमी को यह कह कर दबा दिया जाय कि गलत है। मैं फिर स्पष्ट कहना चाहता हूँ

( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

कि फुलेरा म्युनिसिपैलिटी का चुनाव रद्द होने के बाद छगनलाल ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में इलेक्शन पिटीशन की। रिटर्निंग ऑफिसर तहसीलदार जो आपका सरकारी कर्मचारी है उसको नोटिस जारी किया गया। इस मामले में यह आज्ञा जारी की गई थी कि नया कानून लागू होने के बाद चुनाव हुआ है इसलिये इन्वैलिड है। यदि यह आज्ञा जारी नहीं की गई हो और मैं गलत होऊं तो यह मेरा रेज़िग्नेशन है, सदन में मुझे इस प्रकार की बात करने का अधिकार नहीं होगा, मैं अपना त्याग पत्र देने को तैयार हूं और यदि मन्त्रीजी ने ऐसा ऑर्डर दिया है तो वे अपना त्याग पत्र दें। यह तरीका नहीं है कि मन्त्रीजी यह कह कर दबा दें कि गलत बात है। सदन में इसका फैसला होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : त्यागपत्र के बुनियाद पर कोई फैसला नहीं करेंगे।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : एक बार फैसला हो जाय तो नजीर हो जाय कि सदस्य सही बोलते हैं या गलत ...

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : मैं पूरे एहसास के साथ कहता हूं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : यदि एहसास के साथ कहते हैं तो आप भी इस्तीफा दे दीजिये, मैं भी देता हूं ...

**श्री भैरोंसिंह** ( श्री माधोपुर ) : मैं चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, अभी टेलीफोन कर लें कि ऑर्डर किया या नहीं, अभी मालूम हो जायगा।

**श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : टेलीफोन का क्या तरीका है ?

श्री उपाध्यक्ष : The House is reluctant to have it on the floor.

**श्री भैरोंसिंह** : मैं आपके सामने पेश करता हूं।

( श्री भैरोंसिंह ने स्वयं आकर त्याग-पत्र प्रस्तुत किया )

श्री उपाध्यक्ष : You will please not place it on the Table of the House. I am not recognising it. It is just a paper. I am not taking a note of it.

**श्री सोहनलाल भटनागर** : It is a Jan Sangha stunt.

**श्री भैरोंसिंह** : एक शब्द माननीय सदस्य, जो सलूम्बर से आये हैं, उन्होंने कहा, 'जनसंघ स्टन्ट', It is a 'Jana Sangha stunt.' माननीय सदस्य को इसे विथड्रॉ करना चाहिए। अगर विथड्रा नहीं करते हैं....

**श्री सोहनलाल भटनागर** : 'Stunt' is not unparliamentary.

**श्री भैरोंसिंह** :'स्टन्ट' शब्द कह कर अनपार्लियामेंटरी शब्द यूज़ किया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य को आदेश दें कि इस सम्बन्ध में जो शब्द कहा है, उसको वापिस ले लें और अगर वे शब्द कार्यवाही में आ गये हैं, जो उन्होंने कहे हैं, तो उनको एक्सपंज करें।

**श्री सोहनलाल भटनागर** : मैंने कोई ऐसा शब्द नहीं कहा जो अनपार्लियामेंटरी है।

# Page No.80



**श्री भैरोंसिंह** : 'It is a Jana Sangha stunt' this is most unparliamentary. This is not a stunt, but truth.

**श्री उपाध्यक्ष** : Order ! Order please !!

**श्री भैरोंसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, इसका निर्णय होना चाहिए ।

**श्री उपाध्यक्ष** - I think we have become a little over sensitive.

**श्री भैरोंसिंह** : सेन्टीमेन्ट्स का सवाल नहीं हैं ।

**श्री उपाध्यक्ष** : At the same time I would request Mr. Bhairon Singh not to be over-sensitive.

**श्री भैरोंसिंह** : I am not over-sensitive.

**श्री उपाध्यक्ष** : I will consider the matter whether it is parliamentary or un-parliamentary.

**श्री पी० के० चौधरी** : It is apparently parliamentary.

**श्री भैरोंसिंह** : The word may not be unparliamentary, but in the sense in which it has been used, it is apparently un-parliamentary.

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं इसको निर्णय के लिए रख देता हूं ।

**श्री पी० के० चौधरी** : I can quote from the Lok Sabha proceedings that the word 'stunt' has got a place there. So it cannot be declared unparliamentary.

**श्री उपाध्यक्ष** : I have heard both the sides and I defer the decision; whether the word 'stunt' is parliamentary or un-parliamentary.

**श्री पी० के० चौधरी** : It is not un-parliamentary.

**श्री भैरोंसिंह** : The word 'stunt' may not be unparliamentary, but in the sense in which it has been said here it is quite un-parliamentary.

**श्री उपाध्यक्ष** : मैंने माननीय सदस्यों....

**श्री भैरोंसिंह** : He said it in a most irresponsible way.

**श्री उपाध्यक्ष** : मैंने भावनाओं को बहुत अच्छी तरह समझ लिया है, उसके कान्टेक्स्ट को समझ लिया है । इसका डिसीजन मैं डेफर कर देता हूं ।

**श्री पी. के. चौधरी** : डिसीज़न का सवाल नहीं है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : I am considering it.

**श्री पी० के० चौधरी** : So many senses and non-senses are coming up.

**श्री उपाध्यक्ष** : Yes, I am considering it.

**श्री भैरोंसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, आपने सारा सेन्स समझ लिया है, इसका डिसीज़न इसी समय हो जाय ।

# Page No.81



**श्री उपाध्यक्ष** : I want to be supported by some more decisions on the point.

Yes, Mr. Agarwal to continue.

**श्री भैरोंसिंह** : हम ज्यादा यूज़ करेंगे इस तरह के शब्द ।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं यह व्यवस्था जरूर दे देता हूँ कि ऐसे शब्द, जिनसे माननीय सदस्यों की भावनाओं में उभार आये, प्रयोग न किये जायं, मसलन 'स्टन्ट' आदि ।

( करतल ध्वनि )

**श्री भैरोंसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, जब आपने इस तरह की व्यवस्था दे दी है कि इस तरह के शब्द प्रयोग न किये जायं, तो स्थिति यह होती है कि इस शब्द का प्रयोग करना आपत्तिजनक है, और जो आपत्तिजनक शब्द है....

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्यों की भावना समझ गया हूँ, मैंने सुझाव दिया है, संकेत दिया है. व्यवस्था नहीं दी है ।

**श्री भैरोंसिंह** : इस प्रसंग पर दी है जो हाउस में चल रहा है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : It would be advisable that such expressions should not be used. This is my suggestion. But whether the word 'stunt' as used in the present context is un—parliamentary or not, this is another question which has to be decided by me and I have accordingly deferred the decision. I only wanted to be supported by some more decisions of our own House as well as of the others.

**श्री भैरोंसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, इस शब्द से ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के व्हिप में कॉमन सेन्स नहीं है ।

**श्री सोहनलाल भटनागर** : I object to this, Sir. I take it very seriously.

**श्री भैरोंसिंह** : I also take the word 'stunt' very seriously.

**श्री पी. के. चौधरी** : The word 'commonsense' is...

( व्यवधान )

**श्री उपाध्यक्ष** : Order ! order please !! I call the House to order. मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जब एक व्यवस्था अभी, उस आधार पर कि जिससे हमारी परम्परायें बन पायें, मैंने दी है । ऐसी स्थिति में मेरा यह विश्वास है कि यह सदन ख्वामख्वाह भावनाओं के अन्दर नहीं उभरेगा । मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि छोटे और मोटे प्रश्नों को लेकर हम सदन के समय का दुरूपयोग करें, यह उचित नहीं है । मैं पुन: उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को छोड़ दिया जाय और श्री अग्रवाल अपना भाषण, वे अपना भाषण समाप्त कर चुके हैं या समाप्त करने वाले हैं, जैसा उचित समझें, वैसे करें, आरम्भ रखें या वाइन्ड अप करें ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, sometimes 'commonsense' is uncommon. मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार की आज्ञायें जारी की जाती हैं

# Page No.82



( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

और उस सम्बन्ध में जो हाइएस्ट जुडिशियल ऑथोरिटी ऑफ दी स्टेट है, उसको हम लॉ डिपार्टमेंट कहते हैं। उस लॉ डिपार्टमेंट में एक ही तरह के मामले में, एक ही फेक्ट के सम्बन्ध में सरवाड़ म्युनिसिपैलिटी के लिए कहा कि सरकार को कोई अधिकार नहीं है और फुलेरा की म्युनिसिपैलिटी के लिए कहा कि सरकार को अधिकार है। ये दोनों केस मंत्री महोदय के पास आये तो लॉ डिपार्टमेंट को रेफरेन्स किया कि ये कॉन्ट्राडिक्ट्री ओपिनियन, एक ही फैक्ट पर, एक ही तरह के मामले में दो म्युनीसिपैलिटी के मामलात पर लॉ डिपार्टमेंट कैसे देता है और वह मामला लॉ डिपार्टमेंट के पास भेज दिया। मैं समझता हूँ कि जहां ऐसा ग्लेयरिंग इन्स्टान्स लॉ डिपार्टमेंट के डिस्क्रिशन का, लॉ डिपार्टमेंट के नोटिस का, लॉ डिपार्टमेंट के डिसीज़न का सदन के सामने है। तो इस कानून में जो क्लॉज़ चार में व्यवस्था की है, उसके आधार पर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति होगी और एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति के कारण, सदन को इस बात से सावधान हो जाना चाहिए कि प्रशासक की नियुक्ति के कारण जो कानून की मन्शा है, जो लोकतंत्र की आधारशिला है, वह समाप्त हो जायगी....( श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, मंत्री सदन से बाहर जा रहे थे। )....स्वायत्त शासन मंत्री जी चले जा रहे हैं, मेरे पास एक फोटो और है....

**श्री उपाध्यक्ष** : Please continue.

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : वह कागज तो नहीं था, एक तस्वीर और है।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : आप खूब दिखायें, मैं जवाब दे दूंगा।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : खैर, हाउस के बाहर सही।

**श्री उपाध्यक्ष** : Please continue.

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : फोटो तो यह रही, यह रही, यह स्टन्ट नहीं है, यह फोटो है, उपाध्यक्ष महोदय, मुश्किल तो यह है कि कोई सही बात कही जाय, उसके लिए हरएक के लिए जो व्यवस्था दी है, उसको लाइटली लेकर ऐसे शब्दों के साथ हम उस चीज को रख कर हाउस के डिकोरम को समाप्त करें, यह ठीक नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि ये सारी चीजें हम सही रूप से और सही ढंग से रखें, इसलिए ही माननीय वित्त मंत्री जी गर्दन हिलाते रहते हैं जिस बात से, लेकिन, डरते हैं कि शब्दों के उपयोग से हम दबा लेंगे या ऐसे शब्दों के उपयोग से हम हाउस में बात कहने से डर जायेंगे, यह नहीं हो सकता। आप जनसंघ स्टन्ट कहिए, पोलिटिकल स्टन्ट कहिये, कुछ भी कहिये, हम पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिक्स के अन्दर काम करते हैं, आखिर हम सदन के सामने सही बात रखेंगे। अगर आप में ताकत है, अगर मन्त्री महोदय में नहीं, व्हिप महोदय में है, तो वे मेरे चेलेंज को स्वीकार करें। मन्त्री महोदय रिस्क नहीं ले सकते, अगर लेते तो वेकेन्सी क्रियेट हो सकती थी, जगह खाली हो सकती थी, लेकिन अब नहीं, खैर।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस क्लॉज़ के सम्बन्ध में निवेदन कर रहा था कि क्लॉज़ ४ में जो प्रावधान रखा है, वह दुनिया के

( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

किसी कानून में नहीं है, हिन्दुस्तान के किसी कौने में नहीं है और यह प्रिन्सिपल किसी भी इलेक्शन के लिए नहीं है, किसी भी चुनाव, किसी भी व्यवस्था के लिए यह नहीं हो सकता। अलबत्ता कांग्रेस में जो पी. आर. ओ. होता है,उसके लिए थ्री फोर्थ मेजोरिटी की व्यवस्था जरूर है। शायद वित्त मंत्रीजी को उसका ध्यान रहा हो कि पी. आर. ओ. के लिए यह व्यवस्था है, थ्री फोर्थ की व्यवस्था है तो उसे ही क्यों न रख दें ? लेकिन आप देखें उसका अनुभव क्या होता है, जिस व्यक्ति को चुना जाता है, वह कैसा होता है। जिस प्रकार का व्यक्ति पी. आर. ओ. की जगह पर पार्टी मेग्नीट्यूड के कारण आता है, मैं समझता हूं कि सर्वांगीण रूप से, सामान्य रूप से प्रभाव रखने वाला आदमी चुन कर नहीं आ सकता, जो स्टफ़, पी. आर. ओ. का स्टफ थ्री फोर्थ मेजोरिटी के कारण आ सकता है, वैसे ही आदमी इसमें आने लगेंगे। इसलिए इसमें, जो धारा में प्रावधान रखा है उस प्रावधान का मैं सख्त विरोध करता हूं और माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो उलझन पैदा दिमाग में हुई, सदन में विचारों के कारण उलझन पैदा हुई है; अगर आप स्वयं बिना परामर्श के निर्णय नहीं ले सकते, अगर आपको अधिकार नहीं है, तो मैं निवेदन करता हूं कि आप इसको डेफर कर दें, इस पर विचार कर लें, विचार करने के बाद ऊपर से अनुमति ले लें, वैसे तो आप पाइलट कर रहे हैं, आपको सम्पूर्ण अधिकार होने चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इसको आप डेफर कर दें और उसके बाद इस पर गम्भीरता से विचार कर लें, परिणामों पर विचार कर लें और उसके बाद इसको स्वीकार करने के लिए सदन में रखें तो ज्यादा अच्छी बात होगी। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**श्री हरिप्रसाद यादव** ( बल्लभनगर-सु० ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत संशोधन विधेयक, १६६०, के क्लॉज़ ४ का मैं विरोध करता हूं। क्लॉज़ ४ में पंचायतों के सरपंच और न्याय पंचायत और उन पंचायतों के चुनाव के विषय में वर्णन है। वह इतना गलत है, जब कि एक तरफ हमारी भारत सरकार ने एवं राजस्थान सरकार ने हरिजन आदिवासियों के लिये १० वर्ष का रिज़र्वेशन दिया है, तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने उदाहरण पेश करूं कि हजारों वर्षों से दबे हुए हरिजन आदिवासियों के हित के लिये यदि हमारे वित्त मंत्रीजी यह सोच लें कि यह ३।४ का प्रश्न खड़ा हो गया है...

**श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : उनके लिये कोऑप्शन रखा है।

**श्री हरिप्रसाद यादव** : सुनिये, कान लगा कर सुनिये।

( हंसी )

तो उन अभागे पिछड़ी जाति के लोगों की वकालत कर रहा हूँ तो हमारे भाइयों के कलेजे में कुलकुलाहट पैदा हो रही है। हजारों वर्षों से कुचली हुई कौमें हैं उनके ऊपर ३।४ का प्रतिबन्ध लगाना अन्याय है। जो रिज़र्वेशन १० वर्ष के लिये मिला है, एक तरफ तो कहा जाता है १० वर्ष हरिजन

( श्री हरिप्रसाद यादव )

आदिवासियों के लिये सुरक्षित स्थान रखे हैं, तुम आजाद हो, तुम्हारी आजादी सुरक्षित है, इधर राजस्थान में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की शुरूआत होती है और यह विभाग हमारे गांधी वादी वित्त मंत्री, हरिभाऊ उपाध्याय, के पास आता है। एक तरफ गांधीवादी वित्त मंत्री हैं और दूसरी तरफ गांधीवादी हम हरिजन आदिवासी हैं....

( हंसी )

यदि ३।४ का हरिजन आदिवासियों के लिये अड़ंगा लगा दिया तो निश्चित मान कर चलिये कि राजस्थान में हरिजन आदिवासियों का सुधार तो हो चुका।

तो मैं निवेदन करूंगा कि एक अमेंडमेंट और कर दें कि चाहे कोई कितने ही वोटों से जीते हम चुनाव की पद्धति को कितनी बार बदलेंगे, पंचायत अधिनियम में कितनी बार संशोधन लायेंगे। यदि हम राजस्थान का सुधार चाहते हैं तो इस भारत भूमि के लिए रेवेन्यू एक्ट बना दिया और जब जब भी हमारा बजट अधिवेशन आता है तो यहां सुनने में मिलता है कि यह अमेंटमेंट आ गया और हमारे उन गरीबों की गाढ़ी कमाई का गाढ़ा पैसा टी. ए., डी. ए. में जाता है।

जब हमारे नागौर में पण्डित जवाहर लालजी नेहरू की स्पीच सुनी, पंचायत अधिनियम भी बना, उसमें यह एक नया अभियान शुरू हुआ है और क्लॉज़ ४ में ७५ प्रतिशत, ३।४ का अड़ंगा लगाया जा रहा है, वह ठीक नहीं है। एक तरफ हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय के पास समाज कल्याणकारी बोर्ड का काम था, हरिजनों के विकास के कार्यों के लिये सोचा वह आज पूरा करने के लिये संशोधन आया है तो मैं इस संशोधन का विरोध करता हूँ। ३।४ के बजाय ५१ प्रतिशत रखा जाय तो हरिजन आदिवासियों के सुधार में बल मिलेगा।

( अनेक सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए )

**श्री उपाध्यक्ष** : रावल श्री नरेन्द्रसिंह।

**रावल श्री नरेन्द्रसिंह** ( दूदू ) : इस बारे में काफी कहा जा चुका है, क्लॉज़ ४ के बारे में विशेष अर्ज करने की जरूरत नहीं है, सदन के दोनों ओर की विचारधारा सुन ली है। मेरा तो निवेदन है कि ऐसे मामले में इधर-उधर के प्रत्येक माननीय सदस्य ने इसका विरोध किया है और ऐसी दशा में मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे विषय को यहां पार्टी के हिसाब से पारित कर दिया गया तो ठीक नहीं होगा। मैं निवेदन करूंगा मन्त्री महोदय से कि ऐसे मामले को या तो डेफर करें या वापिस ले लें। यह सदन की परम्परा के लिये अच्छा रहेगा, बनिस्बत इसके कि पार्टी के बेसिस पर इसे पास किया जाय।

[ अनेक माननीय सदस्यों के बोलने को खड़े होने पर ]

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री भैरोंसिंह।

**श्री भैरोंसिंह** ( श्री माधोपुर ) : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ...

**श्री जयसिंह राणावत** (आसिन्द) : जयपुर से तो कई आये हैं।

# Page No.85



श्री भैरोंसिंह : एक ही आये हैं।

.... ने जब इस क्लॉज का विरोध किया और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये तो इससे कुछ ऐसा लगता है कि यदि इस क्लॉज़ पर गम्भीरता से विचार नहीं किया गया तो जिस पर्पज़ के लिये हम पंचायतों की स्थापना कर रहे हैं उस पर्पज़ से हम कहीं दूर निकल जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन किया जा रहा है पंचायत एक्ट की धारा ६ में और धारा ६ में लिखा है :

" The election of the Panchas shall be held and conducted in the prescribed manner. " इलेक्शन कैसे होगा, इस सम्बन्ध में नियम बनाये जायेंगे, फिर उन नियमों के अनुसार इलेक्शन होंगे। अब इस क्लॉज़ में एक प्रोवीज़ो एड किया जाता है और यह व्यवस्था की जाती है इस क्लॉज़ में कि यदि ३।४ मत किसी पंच को नहीं मिलें तो वह चुना हुआ नहीं। अभी तक कई माननीय सदस्यों ने इस बात पर शंका प्रकट की है कि चुनाव न होने की स्थिति में सरकार दुबारा चुनाव करायेगी, कोई एड-हॉक कमेटी बनेगी या कोई एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया जायगा। इस प्रकार की कई शंकाएं प्रकट की गई हैं। मैं समझता हूं शंकाएं प्रकट करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि इस कानून की धारा ८ को पढ़ लिया जाय, जिसमें लिखा है : " 8. Appointment of Panchas on failure to election: If on the date fixed for election, the electors of a Panchayat Circle or of any ward thereof fail to elect the requisite number of Panchas, the Chief Panchayat Officer shall appoint a person or persons as prescribed to complete such number and every person so appointed shall be deemed to be a duly elected panch : '

provided that the person so appointed shall not hold Office for a period exceeding six months, unless duly elected. " तो यहां अब इस प्रकार की कोई शंका रखना कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या करने जा रही है, इसकी कोई गुंजायश नहीं रह रही है। सरकार अपने मन्तव्य में बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि किसी को ३।४ वोट नहीं मिलेंगे तो वहां सरकार नोमिनेट करेगी; सरकार नहीं बल्कि चीफ पंचायत ऑफिसर शैल नोमिनेट। करे या नहीं करे, ऐसी बात नहीं, लाजिमी तौर पर नोमिनेट करना पड़ेगा। इसमें कोई डिस्क्रिशन नहीं है, उनको करना पड़ेगा।

अभी पंचायतों की स्थिति क्या होती है, इस बारे में सदन की कोई दो राय नहीं। पंचायतों के इलेक्शन होते हैं तो मामूली इलेक्शन नहीं होते, बड़े टफ इलेक्शन होते हैं। एक, दो वोट से हार जीत होती है। कई जगह तो झगड़े भी हो जाते हैं, बड़ा खर्चा पड़ता है। कहना चाहिये कि इलेक्शन पॉइन्ट ऑफ व्यू से जनता इतनी कॉन्शियस हुई है या कॉन्शियस होने की चेष्टा कर रही है कि वहां इलेक्शन में काफी मतों का भेद रहेगा, यह बात नहीं है, बहुत कम भेद रहता है और ऐसी स्थिति में आज हम यह नहीं कह सकते कि पंच तीन-चौथाई मेजोरिटी से आवेंगे वे न्यायोचित पंच मान लिये जावेंगे। अगर ऐसा हुआ तो यह होगा कि यदि किसी पंचायत में ९ पंच हैं और उनमें से तीन पंचों को तीन-चौथाई वोट मिल गये और

( श्री भैरोंसिंह )

तीन पंचों को तीन-चौथाई वोट नहीं मिले तो सरकार उस पंचायत में तीन पंच नोमिनेट करेगी। सरकार से मेरा मतलब चीफ पंचायत ऑफिसर से है। उनको चीफ पंचायत ऑफिसर नामजद करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन के बेसिक इन्स्टीट्यूशन में हमने जनता को इलेक्शन का राइट दिया है और हमने यह राइट दिया है कि वे अपने पंच खुद चुनें, उस अधिकार को हम बैक डोर से छीनना चाहते हैं, उन अधिकारों को हम बैक डोर से छीनने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम खुल्लमखुल्ला यह कहें कि हम इलेक्शन नहीं कराना चाहते और स्पष्ट रूप से कहना चाहें तो इसके लिये हमारे माननीय सदस्य इसका विरोध करेंगे। इसलिये अब आप इस चीज़ को इस प्रकार से लाये हैं कि पंचायत एक्ट में इस प्रकार की तरमीम कर दी जावे जिससे सरकार अपने लोगों को नामजद करके भेजे और अपने बहुमत के आधार पर अपना इन्स्टीट्यूशन बनावे और इस प्रकार से जो न्याय पंचायतें बनती हों, उनके वोट जहां जहां काम आते हैं उनका उपयोग करे। तो मैं यह कहूंगा कि सरकार अपने लोगों को जो मेजोरिटी से जीत कर नहीं आ सकते हैं ऐसे लोगों को लाकर पंचायत में रखना चाहती है। मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री इस बात को गलत नहीं मानेंगे कि यदि इस प्रकार के प्रावधान रखे गये और इसका उपयोग किया गया, तो जैसा माननीय मन्त्री महोदय सोचते हैं कि १० प्रतिशत या २० प्रतिशत ही नोमिनेशन होगा, उचित नहीं है। ज्योंही आपने एक दफा इस क्लॉज़ का प्रयोग किया, लोगों के सामने इलेक्शन जीतने की व्यवस्था नहीं रहेगी। हर कोई व्यक्ति यही सोचेगा कि मैं तो हारूंगा ही। इसलिये यह कोशिश करेगा कि दूसरे को भी तीन-चौथाई वोट नहीं मिलें ताकि उसको भी चुना हुआ पंच नहीं माना जावे। जब तीन-चौथाई वोट से लोग नहीं आ पाएंगे तो सरकार कोई भी आदमी को नामजद कर सकती है, किया जावेगा। अब नोमिनेशन उन्हीं लोगों का किया जावेगा जो सरकारी दल के समर्थक होंगे या उनका किया जावेगा जिनके सिफारिश होगी और उन्हीं के नाम सरकार के सामने पेश किये जावेंगे जो या तो सरकार के दल के होंगे या जिनके सिफारिश होगी। तो ऐसी स्थिति में यह क्लॉज़, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि केवल कन्ट्रोवर्सियल ही नहीं है बल्कि महा कॉम्पलीकेटेड है। इसमें बिल्कुल क्लिअर प्रोविज़न है कि जितने भी सत्तारूढ़ दल के लोग इसमें हार जावेंगे उनको लाने के लिये यह रखा गया है। प्रजातन्त्र में आपने चुनावों के अधिकार आम जनता को दिये हैं, उनको स्पष्ट रूप से नहीं छीन कर अप्रत्यक्ष रूप से छीनने का प्रयास है। इसका साफ मतलब यही है कि डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन में सत्ता चुने हुए लोगों के हाथ में न रह कर नोमिनेटेड लोगों के हाथ में जावे और वही लोग वहां पर रखे जावें जो सरकार के मोस्ट ओबीडियेन्ट सर्वेन्ट की नीति का पालन करते हों। इसलिये यह जानबूझ कर प्रोविजन रखा गया है। इसमें न तो ओपीनियन की आवश्यकता है, न किसी दूसरी बात की। यही कहा जा सकता है कि सरकार ने अपने लोगों को लाने के लिये यह प्रावधान रखा है। इसके अलावा और भी कई बातें रखी जा सकती थीं। इस बात का कोई उल्लेख

( श्री भैरोंसिंह )

नहीं कि दुबारा चुनाव होंगे, अगर एक दफे नहीं आए। आपको चाहिये कि आप ऐसा करते; अगर एक दफे नहीं आवेंगे तो दूसरी दफे फिर उनको मौका मिलेगा।

इसके अलावा आपने पंचायतों के रिटर्निंग ऑफिसर को शपथ-ग्रहण कराने का अधिकार दिया है। वह सब को शपथ दिलाएगा। मैं समझता हूं कि इसमें प्रावधान है या नहीं, मगर आगे चल कर कई झगड़े चलते रहेंगे। यह होगा कि एक पंचायत में पंच चुने गये। १२ पंच लेने थे, उनमें से ६ पंच तो तीन-चौथाई मेजोरिटी से आ गये और ६ को तीन-चौथाई मेजोरिटी वोट नहीं मिले। तो ऐसी हालत में ६ पंचों का चुनाव चीफ पंचायत ऑफिसर करेगा और किस व्यक्ति को चुनेगा यह तो वही चीफ पंचायत ऑफिसर उनके भाग्य का निर्णायक होगा और वह उनको किस तारीख को और किस तरीके से मुकर्रर करेगा यह उसकी इच्छा पर निर्भर होगा। आप यह चाहते हैं कि पंचायतें चलें, उनका नाम रहे और उनका सारा केवल खोखा ही रहे और सब काम आपके हाथ में रहे। मैं समझता हूं कि यह डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन के नाम पर एक कलंक रख रहे हैं और यह कार्य सारा इसकी मूलभावना के प्रतिकूल है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि यह क्लॉज सबसे अधिक घातक है। अगर इस क्लॉज़ को विधान सभा में पास कर दिया तो मैं समझता हूं कि सरकार ने जो राजस्थान में डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन कायम किया है और दूसरी सरकारें भी इसके लिये कदम उठा रही हैं, व राजस्थान सरकार ने इसमें जो ख्याति प्राप्त की है और सरकार की इसमें जितनी प्रशंसा हुई है, लोग जिसकी नकल करने जा रहे हैं, उन सब के सारे विचार एक साथ बदल जावेंगे। आप एक तरफ तो पंचायतों को एस्टेब्लिश करने के लिये उनको अधिकार दे रहे हैं और दूसरी तरफ उनके अधिकारों पर एन्क्रोचमेंट करना चाहते हैं। इसका तो यही तात्पर्य हुआ कि आपने उनको जो अधिकार दिये हैं उनको छीन कर उन अधिकारों को कुए में डालने की कोशिश कर रहे हैं; अगर ऐसा कहें तो कोई अत्योक्ति नहीं होगी। तो मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहूंगा कि इस प्रकार का कलंक इस क्लॉज़ के पास करने से समूचे राजस्थान पर आनेवाला है, उसको वे स्वयं न लें; सदन की जो भावना है उसका आदर करें। यह प्रजातन्त्र की मूल भावनाओं के प्रतिकूल होने के नाते सदन की भावना का आदर करते हुए इसमें संशोधन करें और अगर उनकी संशोधन नहीं करने की इच्छा है तो इसको ड्रोप कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। यह कन्ट्रोवर्शियल और कॉम्पलीकेटेड है। इसके पास होने से हमारी बदनामी होगी। इन सारी चीजों को देखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज को सदन बिल्कुल पारित न करे।

**श्री हरिभाऊ उपध्याय** : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर काफी बहस हो चुकी है....

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं यह जानना चाहूंगा कि आप इसको डेफर कर रहे हैं या नहीं ?

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, डेफर करने के बाद फिर डिबेट का मौका नहीं रहेगा।

# Page No.88



**श्री उपाध्यक्ष** : मैं मौका देने में गुरेज नहीं करता हूँ। अगर डेफर करते हैं तो whether he would like to assert the right or not? अगर डेफर नहीं करते हैं तो अलग बात है।

**श्री लच्छूराम** ( मंडावा ) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने जो यह प्रावधान रखा गया है यह बिल्कुल ही अप्रजातान्त्रिक है। इस प्रकार का प्रावधान अन्य मंत्री महोदय कर सकते हैं परन्तु हमारे माननीय वित्त मंत्री जो गांधीवादी विचारधारा के मंत्री हैं वे इस प्रजातन्त्र के युग में इस प्रकार का कोई भी क्लॉज रखते हैं तो यह उनके लिये शोभनीय नहीं है। जैसा कि सारे सदन ने इस क्लॉज के प्रति विरोध किया है उससे मालूम होता है कि यह धारा उचित नहीं है। आप जानते हैं कि गांवों में कम से कम २० या ३० पर्सेन्ट ऐसे लोग रहते हैं जो शासन के समय में राजाओं के साथ थे और जागीरदारों के समय में जागीरदारों के साथ थे और अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों के साथ थे। उनको गांव के प्रति किसी प्रकार का प्रेम नहीं रहता। वे लोग हर प्रकार के कार्य में, पंचायतों के चुनाव में और विकास आदि कार्यों में देश के प्रति बाधक सिद्ध होते हैं। अगर हम इस क्लॉज को पास कर देते हैं तो इस प्रकार के प्रतिक्रियावादी लोग हैं जो देश की उन्नति में सदा बाधक रहे हैं उनको प्रोत्साहित करेंगे। वे लोग चुनाव नहीं होने देंगे और हमें यह मान कर चलना है कि राजस्थान की पब्लिक इतनी अशिक्षित और पिछड़ी हुई नहीं है कि वह अपने वोट के अधिकार को नहीं समझती। ग्राम पंचायतों का चुनाव तो क्या, कहीं भी छोटे से छोटा चुनाव होगा वहां पर बहुत टफ कॉन्टेस्ट होते हैं और राजस्थान में तो....

३. ५० म० प०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि ६२ पर्सेन्ट वोट पड़ते हैं। जब ६२ पर्सेन्ट वोट पड़ते हैं तो आशा नहीं कर सकते कि हर पंच को तीन-चौथाई वोट मिल जावेंगे। तो इस प्रकार से यह ३।४ रखा है इससे यह अच्छा होता कि यह कह देते कि पंचायतों में तो सरकार नोमिनेटेड नुमाइन्दों को रखेगी, जिनको वह पसन्द करेगी उनको पंच, सरपंच और न्याय पंचायतों में भी रखेगी। मंत्री महोदय से आशा करते हैं कि उन्होंने जो यह प्रगतिशील प्रावधान रखा है वे हाउस में ही यह एलान कर देंगे कि सदन की राय जानने के बाद यह महसूस किया गया है कि यह फिट नहीं होता है और बहुमत का आधार ही रखा गया है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वे हाउस में ही यह आश्वासन दे दें कि ७५ पर्सेन्ट का नहीं रख कर बहुमत का ही आधार रखा गया है। इस प्रकार का प्रावधान रखने से काफी दिक्कतें होंगी और नुकसान होगा। जैसा श्रीमाधोपुर से आये माननीय सदस्य ने कहा और अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा कि चुनाव इस प्रकार से नहीं होते हैं तो फिर उन पंचायतों का क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जावेगा या क्या होगा? इससे तो यह साफ है कि पंच-सरपंच का चुनाव इसके अनुसार सफल नहीं हुआ तो सरकार अपने ही आदमियों को वहां पर बैठा देगी। सत्तारूढ़ दल की ही बात

( श्री लच्छूराम )

नहीं ; किसी पंचायत में १२ पंच हैं। तीन पंचों का चुनाव हो गया और फिर बाद का नहीं हुआ तो क्या होगा? चीफ पंचायत ऑफिसर इसमें दखल देता रहेगा और हमेशा उसकी धांधली चलती रहेगी। सरकार ने यह जो डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन का तरीका अपनाया है उसमें भी असफल रहेगी। राजस्थान में पहला मौका है और दुनिया की नजर इस ओर लगी हुई है। इस प्रकार के प्रावधान रख देते हैं तो यह विकेन्द्रीकरण प्रणाली सफल नहीं होगी। मैं तो चाहता हूँ कि इस प्रकार का क्लॉज डेफर न हो और हाउस में ही मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि वह यह ऐलान कर दें कि बहुमत से ही चुनाव सफल हुआ माना जायेगा।

**श्री सभापति** : श्री डूंगरसीदास।

**श्री डूंगरसीदास** (जमुआ रामगढ़) : चेयरमैन महोदय, क्लॉज़ चार में जो संशोधन आया है मैं उसका विरोध करता हूँ। हाउस में बैठ कर सुनते हुए मुझे तीन साल हो गये हैं। किसानों पर आपने टैक्स लगाया, उनको किसानों ने काफी गौर से देखा है। उनसे इतना घातक नुकसान उन पर नहीं हुआ है जितना इस क्लॉज से होने वाला है। यह क्लॉज़ ४ आ गया है तो सरकार की ओर से देहात की जनता के लिए प्लेग छोड़ा जा रहा है जैसा कि संवत् '७६ में प्लेग आया था। हम यह चाहते थे कि विकेन्द्रीकरण सत्ता का कर रहे हैं तो हम उन्नतिशील होंगे और गरीबी मिटावेंगे। चुनाव प्रणाली में पंचायतों के लिए ही ७५ पर्सेन्ट रखा है उसके बजाय तो पंचायतों को खतम ही कर दिया जावे और पुराने राजाओं का जैसे राज्य चलता था वैसा ही चलायें। इसका कई माननीय सदस्यों ने काफी विरोध किया है। अलग २ तरीके भी सुझाये हैं। अगर यह धारा 'हां' करके पास कर दी गई तो जनता के लिए बड़ी भारी परेशानी हो जावेगी और यह हानिकारक होकर, आपस में विद्रोह होकर, सरकार की मान्यता न होकर उसकी मान्यता भी घटेगी। मैं तो देहाती आदमी हूं, कानून तो आपका जानता नहीं हूँ। लेकिन जब जनता यह देखेगी कि ऐसा पास हो गया तो कहेगी कि हमारा गला घुट गया है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इसको 'हां' करके पास न करें। इस संशोधन को ही हटा लें तो अच्छा होगा। विकेन्द्रीकरण की ओर हिन्दुस्तान के अन्य प्रान्तों और विदेशों की निगाह है, वह यह धारा ही खतम कर देगी। रखेंगे तो पास तो वह होगा लेकिन जनता खुश नहीं होगी और कहेगी कि जनता के लिए तलवार खड़ी कर दी है। मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि इस संशोधन को हटा लें, इससे जनता का हित होगा और आपकी तारीफ।

**श्री सभापति** : श्री सम्पतराज जैन।

**श्री सम्पतराज जैन** (अकलेरा) : सभापति महोदय, इस पर कई माननीय सदस्य चर्चा कर चुके हैं। पंचायतों के पास विकास के काम हैं, निर्माण के काम हैं, उनका चुनाव वह सर्व सम्मति से करा सकती है। जहां सरपंच और पंच शान्ति से सर्व, सम्मति से जाते हैं वहां शान्ति रहती है और काम भी अधिक अच्छा होता है। उनका समय लड़ाई झगड़ों में नहीं गुजरता और निर्माण के कामों में गुजरता है। यह सब होते हुए

( श्री सम्पतराज जैन )

भी, आवश्यक होते हुए भी हमारी पंचायतों के चुनाव जिनके पास सार्वजनिक निर्माण, विकास आदि कार्य होंगे, यदि उनका चुनाव सर्व सम्मति से होता है तो हम सर्वोदय की ओर कदम बढ़ाते हैं, विनोबाजी के पथ की ओर। लेकिन आज की परिस्थितियों में संभव नहीं होता कि चुनाव ७५ प्रतिशत और सर्व सम्मति से हो जावें। सिद्धान्ततः यह बात अच्छी है, ७५ प्रतिशत या सर्व सम्मति से चुनाव हो। लेकिन सर्वसम्मति से होना नहीं है और एक्ट में भी आगे कोई प्रावधान नहीं है कि ७५ प्रतिशत से चुनाव न हों, कोई ७५ प्रतिशत मत प्राप्त न कर सके फिर आगे क्या होगा? ऐसी स्थिति में वहां पर नोमिनेशन्स होंगे, या सरकार की ओर से एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त होंगे। यदि सब ही जगह नोमिनेशन होते हैं तो जनतन्त्र को ही नीचे से खतम कर रहे हैं। पंचायतों में नोमिनेशन हो जाते हैं तो जनतन्त्र रहता ही नहीं है। जब प्रशासन की नीचे की इकाई में ही जनतन्त्र नहीं रहता है तो आगे क्या होगा। सिद्धान्ततः यह ठीक होते हुए भी इस धारा को कार्यान्वित रूप में ला सकेंगे और चुनाव सम्पन्न करा सकेंगे, इसमें काफी शंका है। इसलिए मेरा भी स्पष्ट मत है कि बहुमत से चुनाव कराने की प्रणाली रखी जाय जिससे कि ठीक रहे।

एक बात और निवेदन करना चाहूँगा चुनावों में काम मतदाताओं का होता है। चाहे मतदाताओं को प्रलोभन दे सकें, प्रभाव डाल सकें, उनको प्रेरित कर सकें किसी अन्य तरीकों से कि जिनसे वे मजबूर होकर सर्व सम्मति से या ७५ प्रतिशत से पंच और सरपंच को चुनें तो अच्छा है। जो मतदाता सर्व सम्मति से या ७५ प्रतिशत से चुनाव करते हैं पंच या सरपंच का उनको कोई इनाम मिलेगा, कोई शील्ड मिलेगी, उन पंचायतों को अनुदान मिलेगा; यह घोषित कर दें तो यह बहुत अच्छा हो सकता है। ७५ प्रतिशत के बजाय तो बहुमत रखें लेकिन साथ ही साथ यह रखें कि जो पंचायतें सर्वसम्मति से या ७५ प्रतिशत से पंच और सरपंच को चुनेंगी उनको दो तीन हजार का अनुदान मिलेगा, अमुक शील्ड मिलेगी, अधिक अधिकार मिलेंगे और जो केवल बहुमत से चुनेगीं उनको कम अधिकार दिये जावेंगे तो उससे मतदाताओं में एक उत्साह पैदा होगा। वे आपस में मिल कर बैठेंगे और सोचेंगे कि हम सर्व सम्मति से चुन लें, हमारी पंचायत को हजार दो हजार का अनुदान मिलता है, शील्ड मिलती है। इस लालच से और मजबूर होकर वे 'सर्व सम्मति से सद्भावना से एक जगह इकट्ठा होकर उनको चुनेंगे।

तो मैं निवेदन करूंगा कि बजाय इस क्लॉज़ को इसी तरह कायम रखा जाय उसकी जगह बहुमत के आधार पर पंचों का निर्वाचन किया जाय। इसके साथ साथ मतदाताओं को इस तरफ आकर्षित करने के लिये सर्व सम्मति से जहां चुनाव होते हों उनको प्रोत्साहन देने के लिये कुछ अनुदान के रूप में रकम रखी जाय और वह रकम उन पंचायतों को दी जाय, जहां सर्व सम्मति से चुनाव होते हैं और उनको अधिकार भी प्रदान किये जायं, यही मेरा निवेदन है।

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : ( पंचायत मंत्री ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन सदन के सम्मुख उपस्थित है उस

( श्री हरिभाऊ उपाध्याय )

पर दोनों पक्षों की ओर से काफी चर्चा हुई है। संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर भी जो अलोचना हुई, जो सुझाव आये उन पर विचार करने की आवश्यकता है। इसलिये फिलहाल मैं यही निवेदन करूंगा कि आज इस पर अन्तिम निर्णय नहीं किया जाय इसको अगले समय के लिए रखा जाय। यह निवेदन करते हुए आज इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना उपयुक्त समझता हूं। जो कुछ हाउस का ट्रेन्ड मैंने देखा उससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जहां तक चुनाव एक मत से या बहुमत से या मेजोरिटी से तय होने का सवाल है बहुत विरोध इस विचार का नहीं है। जो विरोध हुआ है वह इस बात का है कि आज की हालात में अगर इस नियम को लागू कर दिया जाय तो संभव है बहुत से चुनाव बहुत सी जगह नहीं हो सकें और पंचायतें खाली रह जायं। जहां इस प्रकार की आशंका हो वहां विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन इस सम्बन्ध में जो दलील दी गई वह मुझे उपयुक्त प्रतीत नहीं होती। इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो कहा गया कि यह तो आदर्शवाद है, ठीक है; लेकिन हमें व्यवहारिकता पर भी ध्यान देना चाहिये। विधान मंडल है, प्रशासन के लिए यहां आये हैं। पंचायतों में प्रशासन और विकास दोनों प्रकार का काम है। हम लोग काम करने वाले को हवा में उड़ाने वाले नहीं। जो बात नहीं चल सकती उसको जबरदस्ती लागू करना, यह प्रजातंत्र की भावना नहीं है। यह बात जरूर है कि किसी आदर्श को मान्यता नहीं दें, आदर्श को सामने नहीं रखें और उसके अनुसार चलने का प्रयत्न नहीं करते हैं तो वह टिक नहीं सकेगा। अगर इस बात के आदर्श का बहुमत अच्छी चीज है तो हमें उसी के आधार पर विधान और वातावरण का और देश का निर्माण करना चाहिये। अच्छी चीज को चलाने का प्रयत्न न करते हुए यह कहना कि यह कदम नहीं चल सकता तो यह ठीक नहीं है। हमें पचास कदम चल कर उसको हजम करने की ताकत और शक्ति बढ़ानी होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि श्री फोर्थ आपको हजम नहीं होता है तो बेअर मेजोरिटी हो जाय। हजम इतना ही होने वाला है तो इतना ही रखें किन्तु साथ साथ हमें हाजमे को तीव्र बनाने की चेष्टा तो करनी चाहिये। इसमें मैं आदर्शवाद की बात नहीं कहता। आज देश में इस प्रकार का मत बनता जा रहा है कि जो बहुमत की चुनाव प्रणाली है वह सही इसलिये मानी गई है कि दूसरे देशों में भी इसी प्रकार की प्रणाली प्रचलित है। किसी भी राज्य ने इससे भिन्न प्रणाली को अपनाया नहीं। दूसरी जगह नहीं है तो यहां भी हम नहीं करें, यह कोई उचित नहीं जंचता राजस्थान को इसके लिये गौरव क्यों नहीं होना चाहिये? इस प्रकार के आदर्श की ओर कदम बढाता है तो उसको गौरव होना चाहिये। जो प्रथा चली आ रही है बेअर मेजोरिटी के आधार पर सरकारें बनती हैं उसके दुष्परिणाम देश में जगह जगह प्रगट हुए हैं। इससे गुटबन्दी पार्टीबन्दी और जोड़ तोड़ के कारनामे बढे हैं। ये बातें समाचार पत्रों में हमें पढ़ने को मिलती हैं और दूसरी दूसरी जगहों के चुनाव की हालात को देखते हैं, हमारे यहां की भी चुनाव की हालत को देखें तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यह जो बीमारी है इससे जो खराबियां पैदा हुई हैं उनको हमें दूर करना चाहिये और हमें इस दिशा में

( श्री हरिभाऊ उपाध्याय )

सोचना भी चाहिये । श्री फोर्थ का जो सुझाव रखा गया है वह हमने इस बीमारी को पकड़ा है, देखा है । इस तरह से देश में हम प्रयोग करना चाहते हैं और यदि इसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार की बीमारी में अवश्य कमी होगी । लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया अगर हमारे यहां इस प्रकार की बड़ी गोलियों के हजम करने की शक्ति नहीं है तो इस बारे में सोच लिया जायेगा । जो हजम होने लायक बात होगी वही करेंगे । जिस तरीके को हम आगे नहीं ले जा सकते तो उसमें हमें बदल करना चाहिये ।

दूसरी बात यह कही गई कि केवल पंचायतों के चुनाव ही इस आधार पर क्यों करते हैं, विधान मंडल या पार्लियमेन्ट के चुनाव में यह पद्धति क्यों नहीं रखते है ? मेरा निवेदन है कि दोनों का कार्य–क्षेत्र थोडा भिन्न है । पार्लियामेन्ट और विधान सभाओं का काम विधान बनाने का और कानून–नियम आदि बनाने का है...

**डॉ० चन्द्रकला** : और वह अपने हाथ में भी नहीं है ।

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : ( जारी ) विधान सभा जो काम करती है वह कानून और नियम आदि बनाती है । हमारे यहां का काम ज्यादातर नियम बनाने और कानून बनाने का है । अच्छे प्रस्ताव पास करे और उसके अनुसार काम हो, यही विधान मंडलों का काम है और दूसरी तरफ पंचायत समिति और पंचायतों का काम ज्यादातर पॉलिसी वर्क, विकास का काम, निर्माण कार्य, सेवा का काम आदि उनके जिम्मे होता है । जो विधि विधान योजनायें हम पास करके भेजते हैं उनको अमली रूप देने का काम उनका है । आप यह चाहें, यहां और वहां दोनों का सम्मिश्रण एक सा हो यह समुचित नहीं । चूंकि उनको निर्माण का कार्य करना है इसलिये वहां यह डर रखने की जरूरत है नहीं कि पार्टी पोलिटिक्स के आधार पर वहां काम हो । इसलिये तो न्याय पंचायतों का अलग गठन करने का प्रावधान रखा है । जब तक पंचायतों के अधीन दोनों काम, विकास का काम और न्याय का काम दोनों काम थे तो उसमें कुछ गड़बड़ी होने की संभावना थी और अब तक जरूर कुछ गड़बड़ थी ।

इसीलिये इसको अलग करने का सोचा गया । अलग करने का विधान ऐसा बनाया है कि जहां तक संभव हो पोलिटिक्स उसमें घुसने न पाये । और विकास के काम के लिये चुनाव होता है, पंच और सरपंच खड़े होते हैं वहां क्यों नहीं श्री फोर्थ मतों का बहुमत होना चाहिये ? विधान सभा में जहां बहुत बड़ी सत्ता हाथ में है, इसमें राजनैतिक पार्टियां भाग लेती हैं, इसमें चोटी की पार्टियां भी आती हैं, इसमें तो पार्टी बेसिस पर चुनाव होते हैं । जैसा हमारे यहां हुआ है पार्टियां है और पार्टी बेसिस पर लोग आये हैं । जहां पार्टी बेसिस नहीं होता है वहां हमने यह सोचा कि देश में जहां नीचे के क्षेत्र में निर्माण कार्य एवं विकास के कार्य होते हैं वहां राजनीति का झगड़ा नहीं होना चाहिये । उसके बिना हम आगे बढ़ते हैं तो वह कार्य अच्छे ढंग से और स्थायी हो सकता है और इसी ख्याल से हमने सोचा कि बहुमत से हम घबरा गये इसलिये श्री फोर्थ मतों से यहां चुनाव होना चाहिये । अभी आगे क्या स्वीकार होता है,

( श्री हरिभाऊ उपाध्याय )

क्या विचार होता है, यह तो अपन आगे देख लेंगे। जैसा कि मैंने निवेदन किया इस देश में; तो मैं समझता हूँ अगर साहस के साथ, बिना भय और आशंका के साहस के साथ कोई कदम उठाते हैं तो हम राजस्थान को आगे बढ़ा सकते हैं। यह सुझाव मेरा नहीं था लेकिन मुझे खुशी है कि इस प्रकार का सुझाव मेरे द्वारा यहां आया। अभिमान की तो बात नहीं करता, भारतवर्ष में पहला व्यक्ति तो नहीं, लेकिन उन व्यक्तियों में से तो हूं जिन्होंने पहले पहल इस प्रकार की आवाज उठाई कि वर्त्तमान प्रजातंत्र प्रणाली, रूल ऑफ मेजोरिटी जो मानी जाती है, के अनुसार शासन हो, जो इस देश में है। तो वह सही प्रणाली यह है। तो मुझे खुशी यह हुई कि बिना मेरे प्रयास के यह महकमा मेरे पास आया। राजस्थान सरकार ने महसूस किया कि इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है।

(हंसी)

**श्री उपाध्यक्ष** : उस वक्त आप (वित्त मन्त्री) व्यक्तिगत रूप में थे।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आपके बहुरूप हैं क्या ?

(हंसी)

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : इसका जिक्र भी मैंने क्यों किया, यह भी बता दूं। इसलिये कि सफाई हो जाय। उधर से सदस्यों को शक था कि दांव पैंच का यह मामला है या षड्यन्त्र है कि कहीं सरकार का नोमिनेशन ज्यादा हो और अपना आदमी उसमें डाल दे। हो गया होगा, ऐसा कहीं एक, दो केस में, मैं नहीं कहता, नहीं हुआ। पर यह कह देना कि यह सब मन्त्री ही करते हैं, मैं निवेदन कर दूं कि यह पॉवर मन्त्री के हाथ में नहीं है, यह तो प्रावधान किया हुआ है कानून में पहले से। इसमें ८ वीं धारा में प्रावधान है और यह प्रावधान ५३ का है, नया नहीं है और अगर मान लीजिये किसी कारण से यह ३।४ बहुमत नहीं आकर पंच-सरपंच नहीं आते हैं सामने तो भी एक ग्रुप नहीं रहेगा। नामजदगी की यहां व्यवस्था है और वह पहले की है। कोई नई नहीं है और वह नामजदगी करने वाला भी कौन है, अभी आपको पढ़ कर सुनाया है। वह पंचायत अफसर होगा।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : वह भी आपकी सलाह से करेगा, मिनिस्टर से सलाह लेकर करेगा।

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : तो मिनिस्टर हैं तब तक तो फिर हर तरह से आप कह सकते हैं, वह हर तरह से अपने प्रभाव का प्रयोग कर सकता है। पर जब एक सरकारी अधिकारी के हाथ में देते हैं तो आप ऐसा नहीं कह सकते। आप यह तो कह सकते हैं कि यह प्रजातन्त्र की पद्धति के विरुद्ध है, पर यह गवर्नमेंट के ऊपर आक्षेप नहीं कर सकते कि वे कोई इस तरह से मिनिस्टर की सलाह में आकर गड़बड़ी करते हैं। यों तो आज भी मैं मानता हूं कि कोई भी हो, कितने ही निष्पक्ष हम रहें, आज पंडित जवाहरलाल जी हैं वे बिल्कुल निष्पक्ष माने जाते हैं, तो आज भी जहां पार्टी का सवाल आता है आप उनके लिये भी कह सकते हैं कि वे एक पार्टी को

# Page No.94



( श्री हरिभाऊ उपाध्याय )

बिलोंग करते हैं। पर सर्विस क्लास के लिये आप कहते हैं तो मैं कहूंगा कि वह निष्पक्ष रही है। उसने ईमानदारी से अपना काम किया है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : सर्विस क्लास ने तो आपको चुनाव जिताया है, आपकी हर तरह से मदद की है चुनाव में। उसका तो सुबूत मौजूद है। कागज़ पकड़े गये हैं।

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : तो मेरा अभिप्राय है, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें सही दिशा में समझना चाहिये। आप कहते हैं, बात तो सही है पर चलेगी नहीं। आप चलावेंगे तो चलेगी क्यों नहीं ?

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : पोल चलेगी पोल। जयपुर में पोल बहुत है।

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** ( डीग ) : जयपुर की पोल मशहूर है।

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : करने की बात मैं कह रहा हूँ। छूआछूत मिटाने का बापू ने अगर प्रयास नहीं किया होता तो संविधान में आसानी से इसे स्थान नहीं मिलता। तो आप अगर करेंगे, आप अगर चलावेंगे तो चलेगी। इस तरह से पंचायतों के चुनाव में एकता का, शान्ति का, सद्भावना का वातावरण आपको लाना है। पोलिटिक्स का इसमें लेन देन कुछ नहीं, इन विचारों को आप हम सब मानते हैं। अब इसके लिये अगर वातावरण का निर्माण नहीं करेंगे तो चलेगी कैसे ? आप अगर यही कहते रहे कि यह तो अव्यवहारिक है तो नहीं चलेगी, चलावेंगे, कुछ काम करेंगे तो होगा। तो इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इसमें हमें घबराना नहीं चाहिये, वातावरण के निर्माण में हमें जुट जाना चाहिये। मान लीजिये ३१४ से आप परेशान हैं तो और कोई फॉर्मूला मन्जूर कर लीजिये। पर मैं चाहता हूं कि आप यहीं रूकिये नहीं, जहां आप हैं वहां से आगे बढ़िये और इतने आगे बढ़ें कि आपको पसीना आ जाय।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आपसे ज्यादा हो गया है यहां तो।

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : तो यहां बैठ कर या घर में बैठ कर हम सोचें कि यह अव्यवहारिक है, नहीं चल सकती, तो यह वे सोच सकते हैं जो कुछ काम नहीं करना चाहते। जो बातें कही गई हैं वे बिना ज्यादा गहराई से विचार किये कही गई हैं। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि इन बातों पर ज्यादा विचार करने की यहां आवश्यकता नहीं है। और भी कई अवान्तर बातें कही गई हैं। तो मैं समझता हूं....

**डॉ० चन्द्रकला** : कह दीजियेगा न वे अवान्तर भी।

**श्री उपाध्यक्ष** : फरमा दीजिये।

(हंसी)

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : बाकी जो बहुमत, मेजोरिटी से हम फैसला करते हैं उसका एक दुष्परिणाम यह भी देखते हैं और अनुभव भी करते हैं उसको कि एक मत को ही

( श्री हरिभाऊ उपाध्याय )

बहुमत है, पर परिणाम यह आता है कि सौ में से ५१ एक तरफ हैं तो उनकी बात चलेगी, ४९ की प्राय: अवहेलना ही हुई। तो यह व्यवहार में हो रहा है। पर . मेजोरिटी के प्रिन्सिपल की और बात करें और उसे अगर मानें तो यह है कि बहुमत अल्पमत की भावनाओं की कद्र करे। एक बात और; अल्प मत बहुमत के फैसलों में सहयोग दे। तब तो यह बेअर मेजोरिटी वाली बात ठीक चलती है, नहीं तो नहीं चलेगी। इससे काम में बाधा नहीं पड़ेगी और थोड़े से लोगों की भावनाओं को भी सन्तोष देने में ज्यादा दिक्कत पेश नहीं आवेगी; और इसलिये बेअर मेजोरिटी वाली बात पर जोर देने से यह नतीजा नहीं आवेगा, जैसा कहा जाता है। अब अगर विपरीत चलते हैं, तो जिनके पास बहुमत है तो अब वह तो है अल्पमत उन पर आक्षेप भी करता है, ठीक है करेगा। अल्पमत यह फील करता है कि हमारी भावनाओं की कद्र नहीं की जाती और बहुमत यह फील करता है कि यह अल्पमत तो उसके कामों में रोड़े अटकाता है। अब इस तरह दोनों पक्षों में एक प्रकार की तनातनी और तनाव हो जाता है। यहां भी सदन में यह एक्सप्रेस होता है। यह कब मिटेगा ? भगवान् जाने। पर अब पंचायतों में तो यह नहीं होना चाहिये। यहां भले न मिटे, बना रहे और वहां यह तभी होगा जब हम इस बात पर जोर देंगे कि ज्यादा से ज्यादा बहुमत से लोग वहां चुन कर आवें। ज्यादा से ज्यादा वोटों से, ज्यादा से ज्यादा शक्ति से लोग चुन कर वहां आवें। अब यह अलग बात है कि उस पर भी अच्छा आदमी आए या बुरा आवे। अच्छे और बुरे की यह तब भी कसौटी नहीं है, यह सही है। पर जो भी मेजोरिटी से चुन कर आवेगा तो यह तो मानना पड़ेगा कि जो चीज़ वह करेगा वह अधिक लोगों को पसन्द आवेगी, उन के हित की होगी।

**रावल श्री नरेन्द्रसिंह** ( डूंडू ) : उसे तो राजा या डिक्टेटर ही चला सकते हैं।

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : इसलिये यह जरूर है ;(मान लीजिये घड़ी भर के लिये कि ऐसा बुरा आदमी भी आ गया। तो आप हटा नहीं सकते उसे। पर मैं समझता हूं कि ऐसे एक-दो ही आ सकते हैं और वे भी एक बार आ गये तो दुबारा नहीं आ सकेंगे। आज तो तिकड़म का बोलबाला है। किसी तरह से एक, दो वोट भी ज्यादा कर लिये ....

**श्री उपाध्यक्ष** : इसकी परिभाषा क्या है, तिकड़म की, दा साहब....

( हंसी )

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : नमूना खुद खड़े है सामने। He himself is the symbol of himself here...

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : तो मैं तो बात कह रहा हूं जिसे हम आज सचमुच देश में देख रहे हैं। अगर इससे बचना है और दर असल में जो काम करने वाले हैं, जो सेवा करते हैं, भले ही योग्यता के मापदण्ड से वे योग्य कम हैं या ज्यादा हैं यह छोड़ दीजिये, पर कम से कम जो काम करते हैं जनता में पोपुलर हैं अगर उनको आगे लाना चाहते हैं, उनसे काम लेना

( श्री हरिभाऊ उपाध्याय )

चाहते हैं, उनको काम करने का अवसर देना चाहते हैं तब तो यह करना पड़ेगा जिस तरह से कि मैंने सुझाव दिया है। नहीं तो इसके सिवाय दूसरा रास्ता इस समय तो दृष्टिगोचर हो नहीं रहा है।

तो इसमें एक जगह कहीं दूसरे राष्ट्रों की बात कही गई थी। जैसे मैंने हरिजनों का उदाहरण दिया, मैं और पंचायत का उदाहरण देता हूं। पांच वर्ष पहले जब कि शान्ति की बात, पंचशील की बात की गई थी तो सब लोग उसकी मजाक उड़ाते थे पर आज बड़े से बड़ा राष्ट्र...

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : उसी का आज कारण है कि एवरेस्ट का क्लेम कर रहा है चीन।

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : वह तो एक छोटा सा उदाहरण दिया है आपने। पर मेरा जो मुद्दा है वह यह है....

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : यह जवाब हो रहा है कि गांधी जयन्ती पर भाषण हो रहा है ?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : पंचशील तो उदाहरण है तथ्य को समझाने के लिये।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : पंचायत से पंचशील पर पहुँच गये !

**श्री उपाध्यक्ष** : दोनों में 'पंच' शब्द कॉमन है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : तब तो जवाब नहीं है आपके जवाब का।

( हंसी )

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : मैं समझता हूँ कि एक वक्त यह बात कही गई कि मेजोरिटी यह प्रजातन्त्र का मूल सिद्धान्त है और उससे आगे जाना और एक मत की बात करना गलत है। मैं कहता हूं, इसमें प्रजातन्त्र की और मेजोरिटी की भावना को समझने में गलती की है। प्रजातन्त्र का मतलब, प्रजा की राय से लोकमत से राज हो, राज का काम हो। तो लोकमत के माने मेजोरिटी नहीं है, प्रजातन्त्र के माने मेजोरिटी नहीं है बल्कि सब प्रजा है, सब लोग है। सब की राय से काम होना चाहिये। अब चूंकि ऐसा नहीं होता है और इस सिद्धान्त से काम नहीं चलता है व्यवहार में क्योंकि सब एक मत के लोग नहीं हैं, एक मत से व्यवहार में चलते नहीं हैं तो यह हुआ कि अच्छी बात है भाई कुछ लोग अगर किसी काम के, किसी बात के करने के खिलाफ हैं और ज्यादा लोग उनको चाहते हैं तो वे ज्यादा लोग क्यों सफर करें ? उनका काम क्यों रुके ? तो इस तरह से जहां एक मत से काम हो वह तो हुई पहले दर्जे की बात। पर जहां ऐसा सम्भव न हो वहां बहुमत वालों का काम हो, उनका काम थोड़े लोगों की असहमति के कारण रुके नहीं तो यह बदर्जे दूसरे दर्जे की बात है। इसलिये मुझे माफ करें, जो कहते हैं कि प्रिन्सिपल की बात है यह, या कि प्रणाली की बात है; सही प्रणाली तो वह है जो एक मत से काम करने की हो।

अब उसमें दो बातें और हैं कि चुनाव और निर्णयों के बारे में क्या हो ? जैसा मैंने

( श्री हरिभाऊ उपाध्याय )

कहा कि जहां आम चुनाव होते हैं वहां एक मत से काम करना बड़ा मुश्किल होता है। जहां कमेटी या कोई बोर्ड होता है तो उसमें मतों की संख्या थोड़ी होती है वहां यह सुगम हो जाता है। लेकिन आम चुनाव जो जनता में होते हैं वहां एक मत से काम करना कठिन होता है। लेकिन जहां कमेटी आदि में कार्य और निर्णय का सम्बन्ध है तो वहां अगर एक की भी मेजोरिटी होगी तो वह भी काफी है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह मनोवृत्ति बनानी चाहिए कि जहां कमेटी आदि में मेजोरिटी हो तो उससे काम चलना चाहिए। मेजोरिटी बनाने से मतलब यह है कि आपके कार्य की उपयोगिता आपको समझा कर राज्य करना पड़ेगा। इससे आपको शक्ति भी मिलेगी और समझाने की आपकी शक्ति भी बढ़ेगी। जब आपका साथ लेने की कोशिश करेंगे तो कुछ उनके विचारों को भी बदलना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो वह मेहनत करना भी जरूरी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह जो सुझाव है कि ३।४ या २।३ मेजोरिटी हो तो यह महत्वपूर्ण होते हुए भी गौण है। असल चीज यह है कि उस दिशा की ओर हमारा प्रयास होना चाहिए। उसके लिए मैं ऐसा कहता हूं कि माननीय सदस्यों का सहयोग होना चाहिए। मैं फिर आप से निवेदन करता हूं कि आज के इस प्रश्न का निर्णय अभी डेफर करने की अनुमति दी जाये।

**श्री उपाध्यक्ष** : So, clause 4 is deferred.

( विराम )

क्लॉज़ ५

( विराम )

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५ विधेयक का अंग बने।

( स्वीकृत )

क्लॉज़ ५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

( विराम )

क्लॉज़ ६

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** ( जौहरी बाजार, जयपुर ) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ६ में मेरा एक संशोधन है। क्लॉज़ ६ में एक नया सेक्शन ७ (ए) जोड़ने की व्यवस्था की गई है।

"After Section 7 of the Principal Act, the following new Section shall be inserted, namely:—

'7A. Continuance in Office until new elections : Notwithstanding anything contained in section 7, the Sar-Panch and Panchas of a Panchayat of which the term of Office has expired, shall continue to hold Office till the day immediately preceding the date of the first meeting of the Panchayat as a result of the periodical general election :......'

यह जो नया सेक्शन जोड़ने के बारे में क्लॉज़ ६ है इस क्लॉज़ के स्थान पर मैंने

( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

एक दूसरी व्यवस्था के बारे में संशोधन रखा है और मैं चाहता हूं कि इस क्लॉज़ के स्थान पर इसकी भाषा इस प्रकार से होनी चाहिए: "Not withstanding anything contained in Section 7, the Sarpanch and Panchas of a Panchayat shall continue to hold office till the date immeeiately preceding the date of the first meeting of the new Panchayat, which shall not be later than the 31st October, 1960 in any case." उपाध्यक्ष महोदय, यह जो क्लॉज़ है और जिस व्यक्ति ने यह क्लॉज़ बनाया है और जिसने इसको ड्राफ्ट किया है मैं उसकी इन्टेलीजेन्स को क्रेडिट दिए बिना नहीं रह सकता । इसके अन्दर यह व्यवस्था की है कि जब तक पंच, सरपंच और पंचायतों का टर्म ऑफ ऑफिस समाप्त होगा यानी जिसका कार्य काल समाप्त हो गया है, वे सारे पंच, सरपंच और पंचायतें तब तक काम करती रहेंगी जब तक कि जनरल इलेक्शन्स के बाद पहली मीटिंग की पहली तारीख तक यानी चुनाव होंगे । पंचायतों जो के चुनाव करवाये जायेंगे राजस्थान में और उन पंचायतों के चुनावों के बाद जो उनकी पहली मीटिंग होगी उन नव निर्वाचित पंचायतों की प्रथम बैठक के प्रथम दिन तक इन सभी पंच, सरपंच और पंचायतों का, जिनका कार्य काल समाप्त हो जायेगा उनका कार्य काल बढ़ा हुआ माना जायेगा । इसके स्थान पर, उपाध्यक्ष महोदय, इस अनिश्चितता को समाप्त करने के लिए कि यह पीरियोडिकल जनरल इलेक्शन्स जब तक होंगे और लोगों में यह अनिश्चितता न रहे और राजस्थान की जनता को यह निश्चित रूप से मालूम हो जाये कि ये चुनाव जो पंचायतों के होने वाले हैं ये एक निश्चित अवधि में हो जायेंगे; इसलिए मैंने अपना संशोधन रखा है और उसके द्वारा यह व्यवस्था की है कि यह तारीख निश्चित होकर ३१ अक्टूबर, १९६० होगी यानि मैंने अपने संशोधन के द्वारा यह चाहा है कि राज्य सरकार सदन में यह आश्वासन दे दे कि ३१ अक्टूबर, १९६० के बाद कोई भी चुनावों का सवाल खड़ा नहीं होगा । लेकिन समस्त चुनावों की जितनी भी कार्य पद्धति है, चुनावों का जितना भी काम है, नई पंचायतों का जितना भी सिलसिला है यह सारा सिलसिला ३१ अक्टूबर, १९६० से पहले पहले खतम हो जायेगा । उससे पहले सभी पंचायतों, पंच और सरपंचों का चुनाव हो जायेगा । पंचायतों का गठन हो जायेगा और उनकी बैठक की तिथि ३१ अक्टूबर, १९६० से पहले तय हो जायेगी । यह समय जो भी रखा है मैं समझता हूं कि लगभग ५-६ महीने का जो समय है वह काफी है । मैं यह नहीं समझता कि जिन पंचायतों का कार्य-काल अभी मई या अप्रैल में समाप्त होने जा रहा है सदन को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो सकती है । राज्य सरकार को इतना समय देने में कि इन सब के चुनाव ३१ अक्टूबर से पहले कर दे और इस समय तक समस्त पंचायतों का कार्य काल बढ़ा हुआ मान लिया जाये । लेकिन संशोधन के अभाव में जो मूल धारा है और उसमें जो व्यवस्था की गई है, उपाध्यक्ष महोदय, उसके द्वारा ऐसा लगता है कि यह सरकार यह चाहती है कि चुनावों का कोई समय तय नहीं किया जाये और सरकार यह व्यवस्था करती है कि राजस्थान सरकार को अनिश्चितता में रखा जाये और जिस

( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

जिस प्रकार से सहूलियत हो और राजस्थान के मंत्रियों का दौरों का कार्य क्रम ठीक बैठ सके और वह पंचायतों के चुनावों में अपने प्रभाव को काम में लाने की स्थिति में हों क्योंकि मन्त्री थोड़े हैं और निर्वाचन क्षेत्र ज्यादा हैं और इस कारण एक ही दिन वे सभी स्थानों पर नहीं जा सकेंगे और जिस प्रकार से सुविधा प्राप्त होगी उस प्रकार से चुनावों के क्षेत्रों में जा सकेंगे और अपने उम्मीदवारों को जो उनके दल के होंगे उनको जिता सकेंगे। इसलिए सरकार ने निश्चित तिथि स्वीकार नहीं की है। जब तक पीरियोडिकल जनरल इलेक्शन नहीं होते और उनके परिणाम स्वरूप जब तक नई बैठक नहीं हो जाती तब तक समस्त पंचायतों का कार्य काल बढ़ा हुआ समझा जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो चाहता हूँ कि आज के इस युग में जो कानून बनते हैं सबसे बड़े दुख की बात यह है और आश्चर्य की बात यह है कि आज कानूनों में अनिश्चितता है और जब तक यह अनिश्चितता रहेगी लोग इस असमन्जस में रहेंगे कि कब और क्या होने वाला है। आज पता नहीं अनेक नगरपालिकाएं ऐसी हैं कि जिनका कार्य-काल समाप्त हो गया, अनेक पंचायतें ऐसी हैं कि जिनका कार्य-काल समाप्त हो गया। राज्य सरकार ने भदेसर की पंचायत को कर रखा है और भदेसर की पंचायत के कार्य-काल को इतने दिन हो गए लेकिन सरकार कभी चुनावों के कराने के बारे में विचार नहीं करती। उदाहरण के तौर पर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर नगरपालिका का उदाहरण रखूंगा। अगस्त, ५८ की बात है और अगस्त, ६० आ रहा है; आज दो साल हो गये हैं। कोई गबन का मामला नहीं था, कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं था, कोई धन के दुरुपयोग का मामला नहीं था, कोई सरकारी पैसे के एम्बेज़लमेंट या मिसएप्रोप्रियेशन का मामला नहीं था, कोई अपने कर्तव्य या उत्तरदायित्व से हटने का मामला नहीं था, और किसी भी प्रकार से अपने फर्ज से गिरने का सवाल नहीं था। उस नगरपालिका के सदस्यों ने अपनी इच्छा से जनता की भावना का आदर करने की दृष्टि से हाई कोर्ट के आन्दोलन में, हाई कोर्ट की एक बेंच जयपुर में रखने के बारे में विरोध स्वरूप कुछ लोगों ने इस्तिफे दे दिये थे। उन सारी बातों से राज्य सरकार के सामने सवाल खड़ा हुआ था। यह बात सही है कि राज्य सरकार टेम्पोरेरिली एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति करती। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, माननीय मन्त्री महोदय बतायेंगे कि जयपुर नगरपालिका में किसी प्रकार धन का दुरुपयोन नहीं हुआ था, उन पर कोई चार्ज नहीं था, म्युनिसिपैलिटीज़ को सुपरसीड या डिज़ोल्व नहीं किया गया था उन चार्जेज़ के कारण। निरी एक कॉन्टिन्जेन्सी पैदा हो गई थी उसको मीट-आउट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया था। आज उसको दो साल हो गये। राजस्थान की राजधानी में यहां चुनाव हुए दो साल हो गये और उस सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाया गया चुनाव के लिए। दरअसल में जो कदम उठाया है, उपाध्यक्ष महोदय, वह हमारे सामने आया है। इसके लिए मैंने प्रश्न उठाया था कि राजस्थान की राजधानी में जब ऐसा हो सकता है, जहां पर लोकतंत्र का गला घोटा जा सकता है, जनता के माथे पर एडमिनिस्ट्रेटर थोपा जा सकता है। आज इस प्रकार से सारे अनडेमोक्रेटिक

( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

एडमिनिस्ट्रेशन ने जयपुर की जनता का जन–जीवन खराब कर दिया है, जयपुर के जन–जीवन के साथ में खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। चुनाव नहीं करवा रहे हैं। मन्त्रीजी से पूछा गया तो बताया कि जुलाई और अगस्त में चुनाव करायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब यहां सदन में पूछा जाता है तो उस तरह से कह देते हैं, आश्वासन दे देते हैं कि जुलाई में चुनाव करायेंगे। यह बात इसलिए कह रहा हूं कि इस संशोधन के उत्तर में माननीय पंचायत मन्त्रीजी यह कहेंगे कि जल्दी से जल्दी चुनाव करायेंगे। मैं समझता हूं कि अक्टूबर में चुनाव करायेंगे, माननीय सदस्यों को शंका और संदेह नहीं रखना चाहिए। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, संदेह और शंका इसलिए होती है कि इनका पिछला व्यवहार इस तरह का है ; मैं निवेदन कर रहा था कि मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया, उन्होंने स्वीकार किया कि जयपुर नगरपालिका के चुनाव जून में करा देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, जून तक चुनाव धरे रहेंगे। अप्रेल आ गया और अभी तक इलेक्टर रोल्स नहीं बने, वार्ड नहीं बने, वार्ड का डिविज़न हुआ नहीं है। कई सारी चीजें निकालनी हैं। नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। सीमा का मामला फाइनल तय नहीं हुआ है। कोई भी बात तय नहीं हुई। मैं निश्चित रूप से अधिकारपूर्वक इसीलिए कह सकता हूं कि चन्द दिन हुए रिटर्निंग ऑफिसर राज्य सरकार ने नियुक्त किया है। एक काम जरूर कर दिया है जनता की भावना को ठंडा करने की दृष्टि से कि कोई आवाज नहीं उठा सके, कोई आन्दोलन नहीं कर सके, बारबार सदन में सवाल खड़ा नहीं हो, अखबारों में प्रचार नहीं हो, इसलिए एक बात की है कि नोटिफिकेशन निकाल दिया, ऑर्डर निकाल दिया, रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त कर दिया। रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करके दरअसल वे समझते हैं कि हमारे कर्त्तव्य की इतिश्री हो गई। रिटर्निंग ऑफिसर महोदय को कुछ पता नहीं ! वार्ड का पता नहीं, सीमाओं का पता नहीं, इलेक्शन की डेट का पता नहीं। उनको कुछ भी नहीं मालूम है। यह बात मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से, उनसे भेंट लेने के बाद सदन के सामने कह रहा हूँ। ऐसी परिस्थिति में, उपाध्यक्ष महोदय, कैसे माना जाय कि राज्य सरकार जून तक इलेक्शन करवा लेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज और शायद सदन को जान कर ताज्जुब होगा........

**श्री जयसिंह राणावत (आसिन्द):** यह इर्रिलेवेन्ट कैसे बोल रहे हैं ?

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** इसलिए कह रहा हूं कि संशोधन में चुनाव कराने की बात कही है।

**श्री उपाध्यक्ष :** Hon'ble Member please, I can easily admit a passing reference, but not a full discussion on the present municipality.

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** इस पर फुल डिस्कशन नहीं करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा सम्माननीय सदस्यों को इम्प्रेस करने के लिए, विशेष रूप से मेवाड़ से जो माननीय सदस्य आये हैं और उनको जानकारी नहीं है और उनके मन में किसी

( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

प्रकार की शंका नहीं हो और खड़े होकर मेरे संशोधन का समर्थन करें, इसलिए कह रहा हूं। सरकम्स्टान्सेज़ क्या हैं ? एक तरफ आश्वासन देते हैं सदन में कि जून में चुनाव करायेंगे, एक तरफ रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करते हैं, दूसरी तरफ दूसरा नोटिफिकेशन इस प्रकार का निकालते हैं कि आस-पास के १०-२० मील के एरिया में जो गांव आते हैं उनको भी म्युनिसिपल एरिया में इन्क्लूड करना चाहते हैं, जिस किसी को ऑब्जेक्शन हो वे दो महीने में पेश करें। २५ मार्च को नोटिफिकेशन निकला। २५ मई तक आपत्तियां आयेंगी और २५ जून तक आपत्तियों का फैसला होगा और २५ जून को कहेंगे कि आपत्तियां स्वीकार की जाती हैं या अस्वीकार की जाती हैं। तो जून के अंत में जाकर यह तय होगा कि म्युनिसिपल सीमा यह है। जून के अंत में सीमा तय होगी। सीमा तय होने के बाद यह तय होगा कि वार्ड कैसे बनाये जायं। फिर वार्ड बनेंगे, लिस्टें बनेंगी, लिस्टों पर आपत्तियां ली जायंगी। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि मैं समझता हूं कि यह पीरियड किसी भी हालत में जनवरी १९६१, फरवरी १९६१ या जितना समय सरकार अधिक से अधिक बढ़ा सकती है बढ़ायेगी और बढ़ा कर रहेगी। इसलिए मैंने संशोधन रखा है कि तारीख तय कर दी जाय कि ३१ अक्तूबर, ६० से पहले पहले राजस्थान की समस्त पंचायतों का पुन-र्गठन हो जायगा और इससे पहले, ६ महीने का समय भी कम नहीं होता है राज्य सरकार के लिए, जिन जिन पंचायतों का समय खतम हो गया है वे उस समय तक कार्य करती रहेंगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह व्यवस्था कर दी जाती कि सारी पंचायतों का कार्य-काल उस समय तक बढ़ा हुआ रहेगा और सब पुनर्गठन होने के बाद ३१ अक्तूबर से नवनिर्वाचित, नवगठित इस प्रकार की पंचायतें राजस्थान में होंगी। उनसे राजस्थान की जनता को निश्चिन्तता प्राप्त हो सकेगी। ऐसी मैंने, इस प्रकार की भावना अपने इस संशोधन में रखी है।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस प्रकार की जो व्यवस्था इसमें रखी गई है वह व्यवस्था सब के लिए रखी जाती तो मैं समझ लेता कि शायद कुछ सद्भावना के साथ है। लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि राज्य सरकार या उनके किसी के भी जिन्होंने उनके इशारे पर कोई ड्राफ्ट किया है या उनकी भावनाओं को अन्तर्भूत किया है तो उन्होंने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा। इससे सब का कार्य-काल बढ़ जायेगा, इससे सब की जिन्दगी बढ़ जायगी। जो कांग्रेस की पंचायतें हैं उनकी जिन्दगी बढ़ जायगी और जो जनसंघ की पंचायतें हैं उनकी भी जिन्दगी बढ़ जायगी या दूसरे दलों से प्रभावित, डोमीनेटेड पंचायतें हैं उनकी भी जिन्दगी बढ़ जायगी। इसलिए बड़ी इन्टेलीजेन्टली एक प्रोविज़ो जोड़ा है, मैं मिस्चीवियसली तो नहीं कहता। लेकिन मैंने इन्टेलीजेन्टली प्रोविज़ो जोड़ा है। वह आगे जोड़ा है कि यह प्रोविज़न जब एप्लाई करेगा तो जिन्दगी किसकी बढ़ेगी, उम्र किसको मिलेगी ? उम्र उसको मिलेगी—

"Provided that the provision contained in this section shall not apply if no steps shall have been taken, before the expiry of the term of Office of a Panchayat, for holding fresh general elections." अगर कोई कदम

( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

नहीं उठाया गया है चुनाव कराने का उस पीरियड में तो वे खत्म होंगी, उनकी जिन्दगी नहीं बढ़ेगी। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, एक तरीके से उनको मार दिया है। जो विरोधी दलों से डोमीनेटेड पंचायतें हैं उनमें कदम मत उठाइये चुनाव कराने का। क्या जरूरत है कदम उठाने की ? आप कदम नहीं उठायेंगे तो अपने आप मर जाएंगी। उनका पीरियड या टर्म एक्सपायर हो जायगा समस्त विरोधी दलों द्वारा डोमीनेटेड जो पंचायतें हैं उनका। यह हो सकता है कि मंत्रीजी जवाब देंगे और कह देंगे कि विरोधी दल और कांग्रेस दल का सवाल नहीं है। वे निर्दलीय आधार पर बनी हैं, और जैसा कि स्वयं ने स्वीकार किया है कि पार्टी के आधार पर नहीं जाते हैं तो उसी आधार पर मैं कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि उसकी आवश्यकता क्या है ? इस प्रोविजो के द्वारा पहले प्रोवीजो से आप सब को अमृत देते हैं, सब को जिन्दगी और उम्र बख्शते हैं। उससे राजस्थान की जितनी भी पंचायतें हैं जिनका कार्य-काल समाप्त हो गया है उनको उम्र बख्शते हैं और जब तक नया इलेक्शन नहीं होगा सब की उम्र बढ़ जायेगी। अब राज्य सरकार कहती है कि नहीं ; इससे विरोधी पंचायतें भी जीवित होंगी, उनको भी अमृत मिलेगा। उनकी भी उमर बढेगी। इसलिए राज्य सरकार ने सोचा और मंत्रीजी ने सोचा कि जो दूसरे दलों की हैं उनकी हत्या करना जरूरी है, उनको खत्म करना जरूरी है तो वे कह सकते हैं और स्वयं ने कहा भी है कि जब तक कोई स्पष्ट इलेक्शन के बारे में नहीं लिखा जायगा यह प्रोविजन एप्लाई नहीं करेगा। तो स्पष्ट कौन लिखेगा ? चुनाव के लिए कदम कौन उठायेगा ? मैं नहीं करने वाला हूं। मेरे हाथ में शक्ति नहीं है कि मैं नोटिफिकेशन निकालूं। मेरे हाथ में ताकत होती तो मैं दूसरा ही नोटिफिकेशन निकालता। आप आॅर्डर देंगे, आप हुक्म देंगे, आपकी सरकार हुक्म देगी। फिर इलेक्शन तो के बारे में नोटिफिकेशन निकालना है। इलेक्शन की डेट तय करना है, नोमीनेशन की डेट तय करना है। यह सारे इलेक्शन के लिए आवश्यक है। इलेक्शन की ये सारी बातें जो बेसिक हैं उसके लिए कदम, उपाध्यक्ष महोदय, यह आपकी सरकार के अधिकारी उठायेंगे। आप कौन वाले हैं इसलिए आप क्या करेंगे कि जितनी भी इस तरह की पंचायतें हैं उनके लिए कदम नहीं उठायेंगे। अगर कदम नहीं उठायेंगे तो अपने आप में खतम हो जायेगी। आपकी पंचायतों के लिए कदम उठायेंगे। उनके लिए नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। आप अपनी पंचायतों को अमृत देकर दूसरी पंचायतें को खत्म कर देंगे विष देकर, क्योंकि वे विरोधी दल की पंचायतें हैं। उनसे आपका मेल नहीं है। खास तौर से यह भावना आपके दिल में है। राज्य में एक प्रकार की जो इन्स्टीट्यूशन्स हैं जिनको आप डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स कहते हैं, जिनको आप बड़े घमण्ड के साथ लोकतन्त्र की आधारशिला मानते हैं उनमें एक के लिए आप हुक्म देंगे और एक के लिए हुक्म नहीं देंगे। उन पंचायतों को आप लोकतन्त्र की आधारशिला कहते हैं लेकिन एक को आप जहर पिलाना चाहते हैं और एक को अमृत पिलाना चाहते हैं। एक को आप जिन्दगी बख्शना चाहते हैं और एक को आप कब्र में गाड़ना चाहते हैं। यह आपका प्रोविजो है जिसको मैंने इन्टेलिजेन्ट कहा है, लेकिन

( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

आपने मिस्वीवियसली रखा है । मैं समझता हूं, मंत्रीजी जबाब देंगे। उसको एन्टिसिपेट करके दो मिनट में कहना चाहता हूं क्योंकि बाद में मुझे अवसर नहीं मिलेगा। वे कहेंगे कि आपको शक नहीं करना चाहिये । सरकारी अधिकारी प्रभाव मुक्त होकर काम करेंगे। वे आज्ञा देंगे । मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता कि आपके सरकारी अधिकारी कैसी आज्ञा देते हैं और किसके प्रभाव में आते हैं। सदन को आश्चर्य होगा, हमने जब पंचायत समिति और जिला परिषद् का अध्यादेश बनाया था तब यह प्रावधान किया था कि किसी भी म्युनिसिपल क्षेत्र को पंचायत क्षेत्र में बदला जा सकता है और यह कहा था कि जिसको सरकार उचित, न्यायोचित या प्रोपर समझेगी उन सब नगरपालिकाओं को पंचायत में बदल सकेंगे। मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा कि आपका पंचायत विभाग किस तरह से काम करता है ? एक म्युनिसिपैलिटी थी जिसमें कांग्रेस दल की हार हुई और विरोधी दल के लोगों की जीत हुई, तब सोचा गया कि क्या किया जाय ? पुरानी म्युनिसिपैलिटी का समय समाप्त हुए १॥ साल खत्म हो गया था। उसके लिये यह किया गया कि जब तक नया कानून लागू होगा तब तक वही म्युनिसिपैलिटी काम चालू रखेगी। इसलिये उसने नयी चुनी हुई म्युनिसिपैलिटी को चार्ज दिया नहीं, शपथ ग्रहण नहीं कराई और पुरानी म्युनिसिपैलिटी को कन्वर्ट कर दिया पंचायत में। १४ नवम्बर तक उसका कार्यकाल बढ़ाया और आज्ञा जारी कर दी २४ नवम्बर को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से; १४ नवम्बर तक उसका कार्य काल बढ़ा दिया और १४ नवम्बर को कानून लागू होने के बाद उस म्युनिसिपैलिटी को पंचायत में कन्वर्ट कर दिया और वही मालपुरा की पुरानी म्युनिसिपैलिटी जिसका कार्यकाल १॥ साल पहले खत्म हो गया था और जिसका कन्वर्शन कर दिया था। उसी म्युनिसिपैलिटी के वे ही पुराने सदस्य आज भी पंचायत के सदस्यों की तरह से काम कर रहे हैं। नई चुनी हुई म्युनिसिपैलिटी के सदस्य आपके ऑफिसरों के पास जाकर दरख्वास्त देते हैं कि हमको शपथ दिलाओ, ६,६ लैटर्स डाइरेक्टर के कलेक्टर के पास जाते हैं कि शपथ दिलाओ लेकिन रेवेन्यू मिनिस्टर साहब का टेलीफोन कलेक्टर के पास जाता है कि शपथ मत दिलाओ। आप इस तरह से मजबूर करते हैं लोगों को कि वे हाई कोर्ट में जावें। इसलिये मैं अर्ज कर रहा था वित्त मंत्रीजी से कि आप ऐसा मत समझिये कि सरकारी अधिकारी प्रभाव से मुक्त रहते हैं। मैं कहता हूं कि वे आप लोगों के जबर्दस्त प्रभाव में हैं। आप तो स्वयं भुक्तभोगी हैं। आपने खुद ने सदन में स्वीकार किया है, आप इलेक्शन में सरकारी अधिकारियों से काम लेने के दोषी हैं। इलेक्शन के लिये यह एक डिस्क्वालिफिकेशन है कि कोई सरकारी अधिकारी किसी के लिये काम नहीं कर सकता, लेकिन सरकारी अधिकारी ने आपके लिए चुनाव में काम किया....

**श्री उपाध्यक्ष** : Order Please ! This is not relevent and I treat it as irrelevant and I would request Mr. Agrawal to please confine to the question iself.

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : यह प्रश्न इसलिये खड़ा हुआ कि मन्त्रीजी कहते हैं कि सरकारी अधिकारियों पर संदेह नहीं करना चाहिये ।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैंने व्यवस्था दे दी है, आप उसको ध्यान में रख कर बोलेंगे ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आपकी व्यवस्था सिर-माथे पर है, लेकिन मन्त्रीजी के बारे में कोई फैक्ट रखता हूं तो उसको रोकने का अधिकार आसन को नहीं है। मैं फैक्ट रख रहा हूं, उन्होंने इसे माना है, चिट्ठी लिखी है इलेक्शन में मदद करने के लिए....

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर! ऑर्डर प्लीज़ !! मैंने इसको अप्रसांगिक मान कर व्यवस्था दी कि क्लॉज ६ पर आप बोल रहे हैं, इससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में ऐसे उदाहरण का उल्लेख नहीं करेंगे ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था का समादर करता हुआ इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि ये बातें सदन के सामने आ गई हैं और जनता भी इस सम्बन्ध में जानकार है, मन्त्रीजी स्वयं जानते हैं; वे इस बात से इन्कार नहीं कर सकते । मैंने इस बात को यहां पर इसलिए कहा था कि वे बार बार यह कहते हैं कि सरकारी अधिकारी किसी के प्रभाव में नहीं आयेंगे, बिना प्रभाव के काम करेंगे । इस सम्बन्ध में मैं निवेदन कर रहा था कि आप स्वयं इसके एक्यूज्ड हैं, आपके चुनाव में सरकारी अधिकारियों ने काम किया है....

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ !!

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : इलेक्शन के लिए यह डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है....

**श्री उपाध्यक्ष** : You have concluded your speech, I presume.

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : मैंने अपने संशोधन द्वारा इस प्रकार का जो सुझाव रखा है, निश्चित रूप से यह प्रोविज़ो जोड़ा है जिसके कारण डिस्क्रिमिनेशन होगा । या तो आप इक्वीवोकल टर्म में यह करें कि हम इमिजियेटली जनरल सक्यूलर हर एक पंचायत के बारे में निकाल देंगे, जिन पंचायतों का कार्य काल समाप्त हो गया है जो बात प्रोविजो से मीट नहीं होती है उसके लिए जो संशोधन क्लॉज़ ६ में रखा है । मैं आशा करता हूं, मन्त्रीजी उसे स्वीकार करेंगे और यह नहीं देखेंगे कि उन पर व्यक्तिगत आक्षेप किया गया है सदन में । वैसे मैं व्यक्तिशः उनकी इज्जत करता हूँ लेकिन इस प्रकार की घटनाएँ घटती हैं जिनके कारण व्यक्तिगत आक्षेप भी हों तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से, यद्यपि वे स्पोर्ट्समैन हैं नहीं, फिर भी वे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे। यदि वे इसे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे गम्भीरता और गहराई के साथ सोच कर इसका समर्थन करेंगे' उसको पारित करेगा । इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री पी. के. चौधरी ।

( अनुपस्थित )

ऑनरेबल मिनिस्टर....

**श्री महेन्द्रसिंह पंवार** : श्रीमान्, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बोलना चाहते हैं, बोलिये।

**श्री महेन्द्रसिंह पंवार** (अजमेर-पूर्व) : श्रीमान्, प्रस्तुत क्लॉज को देखते हुए कुछ मुझे भी अटपटासा जरूर लगा। नियम, विधि बनाने की परम्पराओं की दृष्टि से जब मैंने अभी अभी पढ़ा तो मुझे ऐसा कुछ लगा सीधी-सीधी वैधानिक कार्यवाही नहीं मानी है, कुछ जिसे आर्टिफिशियलनेस अंग्रेजी में कहते हैं, बाहरी रूप कुछ और अन्दर का कुछ मालूम होता है। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो अभी अभी माननीय सदस्य ने कहा, उसके पीछे छिपी हुई शरारत है, उनकी ऐसी धारणा है। मैं समझता हूं, इसमें सीधी-सादी ना-समझी है, शरारत नहीं है तो यह अर्थ निकाला जा सकता है। श्रीमान्, जहां तक मैं समझता हूं, जनतांत्रिक परिपाटी में जनतन्त्र उत्पन्न करने के पीछे भावना है। राजतन्त्र को हटाने का दुनिया भर में नारा लगाया, हिन्दुस्तान ने ही नहीं, जगत प्रसिद्ध रिवोल्युशन है। डेमोक्रेसी सब जगह आई। एक व्यक्ति या गुट के हाथ में अधिक समय तक सत्ता रहने से दुरूपयोग का कारण होता है। इसलिए एक कुटुम्ब या एक गुट के हाथ में शक्ति नहीं रहनी चाहिये। उसको बदलने का तरीका होना चाहिए। पिछले जमाने में तलवार, तोप का प्रयोग होता था उससे मानव जाति की शक्तियों का दुरूपयोग होता था, लहू बहता था। शक्ति एक ही गुट या व्यक्ति के हाथ में न रहे, राजतन्त्र को हटाने के पीछे यही दलील थी और कोई दलील नहीं थी।

आप कहेंगे कि जनता के मतों से एक बार परिवर्तन करना काफी था बार बार क्यों हटाया जाता है। बार बार हटाने के पीछे यही सिद्धान्त था कि जो लोग राज्य करते हैं वे सत्ता का दुरूपयोग नहीं करें। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार अधिक समय तक रहे तो वह भी दुरूपयोग करती है और कुछ समय बाद जनमत भी बदलता रहता है। कुछ समय पहले जो चीज चाही गई थी वह आज नहीं चाही जा रही है। इसलिए बुनियादी चीज जनतन्त्र में यह है कि चुनी हुई सरकार रहे और अवधि विशेष तक रहे। फिर दुबारा जनमत लिया जाय, यह आवश्यक बन गया है। इसलिए जनता जानती है; संस्थाएं जानती हैं, विधान सभा हो, पार्लियामेंट हो चाहे चुनी हुई पंचायत, म्युनिसिपैलिटी या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो, कोई भी संस्था होगी उसका कार्यकाल या अवधि रहेगी, निश्चित समय तक रहेगी, उसके बाद फिर चुनाव होगा।

इसके अनुसार हमने पंचायतों के जीवन काल की अवधि नियत की है। अब सीधी सी बात है कि पुराने कानून में कमी थी, शंका थी, नई सूरत में भी चुनाव नहीं करावे। मान लीजिये विधान सभा का ६२ में कार्यकाल खत्म होता है। यदि इलेक्शन कमीशन समय पर चुनाव नहीं करावे तो देश में क्या स्थिति होगी?

तो कानून में ऐसी बात रखी जाती है कि किसी संस्था के कार्य-काल की अवधि समाप्त होने पर दूसरे चुनाव करने की योजना

( श्री महेन्द्रसिंह पंवार )

आवश्यक रूप से बनाई जाय। यह आवश्यक अंग है जनतंत्रीय कानून का। वैसी मशीनरी इसमें प्रोवाइड की जाती तो मुझे खुशी होती, लेकिन वैसी मशीनरी प्रोवाइड न करके सेविंग क्लाज इसमें बनाया है कि दो दिन, पांच दिन, दस दिन की देरी हो जाय चुनाव करने में तो उसके लिए प्रावधान किया है कि जो पिछली संस्था है, जो पिछली पंचायत है, उसके कार्य काल की अवधि उस समय तक के लिए बढ़ाई जाय जब तक नये चुनाव ऐसे कारणों से, जिन पर हमारा वश न हो, समय पर नहीं हो सकें, तो मजबूरी की हालत में उस समय तक कार्य–काल बढ़ाया जाय। ऐसा प्रावधान करीब करीब हर कॉन्स्टीट्यूशनल लॉ में होता है। इसी तरह विधान सभा के लिए जो कानून है, हमारे संविधान में ऐसा है कि जब तक नये चुनाव नहीं होते तब तक पुरानी विधान सभा कार्य भार संभालती रहे। लेकिन इसमें एक विचित्र प्रावधान रखा है और वह विचित्र प्रावधान यह है कि जिन पंचायतों के कार्य काल की अवधि समाप्त हो गई हो और उनके दुबारा चुनाव कराने के लिए सरकार ने कदम उठा लिया हो तो उसका कार्य काल बढ़ाया जाय जब तक कि नई चुनी हुई संस्था नहीं आती है। मगर जिनके कार्य-काल की अवधि समाप्त हो गई है, मगर सरकार ने जान बूझ कर या गल्ती से कोई कदम नहीं उठाया है तो उसकी कार्य काल की अवधि नहीं बढ़ाई जाय। यह सिद्धान्त मेरी समझ में नहीं आता। अगर इसके विपरीत बातें लिख देते तो समझ में आ जाती कि जिस संस्था के कार्य काल की अवधि समाप्त हो गई या होने वाली है और दुबारा चुनाव के लिए कोई कदम उठाया गया है और जो दो दिन, तीन दिन, चार दिन में हो जायेगा तो उस संस्था के कार्य काल की अवधि नहीं बढ़ाते तो भी डेड लॉक की स्थिति नहीं आती। लेकिन जिन संस्थाओं के कार्यकाल की अवधि समाप्त हो गई है और सरकार ने दुबारा चुनाव करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है तो उसके कार्य–काल की अवधि बढ़ाना आवश्यक है। यह जनतन्त्रीय परिपाटी है। इस कानून में भी ऐसी चीज रखी जाती कि पंचायत के कार्य–काल की अवधि समाप्त होने वाली है या हो रही है और सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है नये चुनाव कराने के लिए तो उस पंचायत की अवधि बढ़ाई जाय। इसके साथ ही ऐसा प्रावधान रखा जाता कि जिन अधिकारियों को चुनाव कराना है, वे मजबूर हों चुनाव के लिए, कदम उठाने के लिए। बजाय यह प्रावधान करने के एक विचित्र प्रावधान रखा गया है। मैं समझता हूं कि सरकार के समक्ष एक शंका है। लेकिन वह सरकार ने शंका कैसे की कि जिनके कार्य काल की अवधि समाप्त हो रही है उनके दुबारा चुनाव कराने के लिए कहीं सरकार कदम उठायेगी और कहीं नहीं उठायेगी? ऐसी शंका क्यों हुई, यह शंका किन कारणों से हो सकती है? मैं समझता हूं यह देखने के बाद पंचायत के कार्य काल की अवधि कुछ समय के लिए बढ़ाने का जो प्रावधान रखा है उसके स्थान पर किन किन कारणों से चुनाव स्थगित हो सकते हैं, उनके लिए प्रावधान करना चाहिए था। ऐसा प्रावधान हर कॉन्स्टीट्यूशनल लॉज़ में होता है। मगर इसमें विचित्र प्रावधान है। मेरी समझ में नहीं आता,

( श्री महेन्द्रसिंह पंवार )

इसमें तथ्य क्या है, अगर यह ड्राफ्टिंग की खूबी है, ड्राफ्टर कुछ कहना चाहते थे और कुछ कह गये, या फिर जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि जानबूझ कर इसका दुरूपयोग करने की बात है, तो इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता, माननीय मन्त्री के लिए तो विशेष रूप से नहीं कह सकता, क्योंकि मैं कोई ज्योतिषी हूं नहीं और फिर किसी व्यक्ति के मन की बात बताना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहां तो सरकार की, ब्यूरोक्रेसी के मन की बात है ! कैसे बता दूं ? मेरे लिए बताना कठिन है। सरकार इसको देखे, क्या बात है, गलती से आया है या दुरूपयोग करने की इच्छा से रखा गया है ? अगर दुरूपयोग करने की इच्छा से रखा गया है, तो जैसा संशोधन रखने वाले माननीय सदस्य ने कहा उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता और उस पर कुछ कहना शब्दों को बेकार नष्ट करना है। और अगर गल्ती से हुआ है और गल्ती से असैद्धान्तिक बात लिख दी है, यह गल्ती से लिख दी है तो जिसकी कार्य काल की अवधि समाप्त हो रही है और उसके दुबारा चुनाव कराने के लिए कदम उठाया जा रहा है तो कार्य काल की अवधि बढ़ायें, यह जरूरी नहीं है क्योंकि नये चुनाव हो जायेंगे, चुनाव कराने के लिए कदम उठा लिया है। लेकिन जहां पर पंचायत के कार्य काल की अवधि समाप्त हो रही है और नये चुनाव कराने के लिए कदम नहीं उठाया है, वह कदम उठाने के लिए मशीनरी प्रोवाइड नहीं की है, और उस स्थिति में उस पंचायत के कार्य काल की अवधि न बढ़े और नये चुनाव कराने के लिए मशीनरी प्रोवाइड न करें, तो वह किसी भी वैधानिक नियम के अनुसार नहीं चल सकती। इसको मैं जनतन्त्र की परिपाटी के विरुद्ध मानता हूं, जो कि क्लॉज ७ ए में है। मैं चाहूँगा कि जिस तरह आप क्लॉज चार के ऊपर गौर से विचार कर रहे थे, उससे कहीं ज्यादा गौर से देखने की यह चीज है। इसमें जो प्रावधान है यह निकम्मा लिखा हुआ है। इस पर आप विचार करें। मुझे कानून सिखाने वाले गुरू ने बताया है कि कानून को समझने के लिए कोई कमेन्टरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं है, जो मूल कानून है उसको उठाओ और दो बार, तीन बार, पांच बार पढ़ जाओ, जब तक वह समझ में न आये। उसी प्रकार आप इसे दो बार, चार बार, छः बार पढ़ लेंगे, वैसे कानून की भाषा जटिल होती है, कई सेमी कोलन आते हैं, कोमाज़ आते हैं लेकिन इसे ध्यान में रखते हुए आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे....

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** ( जौहरी बाजार, जयपुर ) : योग्य चेले के लक्षण हैं।

**श्री महेन्द्रसिंह पंवार** : कि इसको पास करने से सदन की प्रतिष्ठा बढ़ने वाली नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे। यही मेरा निवेदन है।

**श्री सोहनलाल भटनागर** ( सलूम्बर ) : I wish to speak...

**श्री उपाध्यक्ष** : Is it a chance for the 11th now ?

**श्री सोहनलाल भटनागर** : For two minutes only. माननीय उपाध्यक्ष महो—

( श्री सोहनलाल भटनागर )

दय. जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है, मैं उसका विरोध करता हूं। सब से ज्यादा इस बिना पर कि आपका संशोधन है वह यह सरकमसक्राइब करता है कि जो एग्ज़िस्टिंग पंचायत हैं उनके चुनाव अक्टूबर, १६६० में हो जायं, तो एग्ज़िस्टिंग पंचायतों के लिए इसमें प्रोविजन रखा है कि १६६०–६१ के बाद जब ऐसी परिस्थिति हो कि टर्म समाप्त हो जायगी और चुनाव के लिए कार्यवाही न हो तो क्या होगा। अगर ३, ४, १० दिन की देरी रह जाती है, तो टेक–ओवर करने से पहले वे कन्टीन्यू करेंगे। अगर माननीय सदस्य का संशोधन मान लिया जाता है तो जो कुछ भी परिस्थिति होगी वह पंचायतों के ऊपर लागू नहीं होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमने कुछ दिन पूर्व राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद् विधेयक, १६५६ पास किया और उसके अन्दर एग्ज़िस्टिंग पंचायतों की अवधि निश्चित कर दी। उसमें लिखा था....

"Notwithstanding anything contained in sub-section (1) the term of Panchayats as existing on the date of the passing of the Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads Act, 1959, shall, with a view to enabling the State Government simultaneously to reconstitute such Panchayats and to constitute Panchayat Samitis under that Act, extend upto the 31st day of January, 1961". एक्ट में निश्चित किया हुआ है कि उन पंचायतों की जिनकी टर्म समाप्त हो गई है, ३१ जनवरी, १६६१ से आगे नहीं बढ़ेगी...

(कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ !!

We now adjourn to meet on 11th at 11 a. m.

[ तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५ बजे, दिनांक ११ अप्रैल, १६६० के ११ बजे म. पू. तक स्थगित हुई ]

## संक्षिप्त-विवरण

( शुक्रवार, ८ अप्रैल, १९६० )

स्तम्भ स्तम्भ

**तारांकित प्रश्नों के शीर्षक** ६६३१

राजस्थान प्रशासनिक सेवा आदि की परीक्षाओं में हिन्दी का अनिवार्य प्रश्न–पत्र।

पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट श्री रामचन्द्र भाटिया के विरुद्ध कार्यवाही।

नायलन फैक्ट्री, कोटा।

खानों से वार्षिक आमदनी।

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की सिफारिश का परिणाम।

आइवरी के कोटे का वितरण।

महाराजाज़ कॉलेज जयपुर में कुर्सियों की मरम्मत हेतु दिया गया ठेका।

अस्थाई कर्मचारियों का सरकारी खर्चे पर प्रान्त से बाहर प्रशिक्षण।

पंचायत समिति गढ़ी व बागीडोरा को कृषि हेतु बैलों और सिंचाई के कुओं आदि के लिए सबसिडी।

रतनगढ़ में हाईस्कूल की मांग एवं मिडिल स्कूल भवन का विस्तार।

प्रान्त में अपेक्षित औद्योगिक संस्थान।

विभिन्न जिलों में सेवा नियोजन की सम्भावनायें।

झालावाड़ जिले के कर्मचारियों को माह अगस्त, सन् ५९ की तनख्वाह मिलने में विलम्ब।

उच्च विद्यालय चाकसू व लालसोट का उच्चतर विद्यालय में परिवर्तन।

पाठ्य पुस्तकें मिलने में देरी।

संस्कृत शिक्षा का प्रसार।

देसूरी विकास खंड के नाडोल ग्राम में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र की स्थापना।

गंगानगर में कृषि कॉलेज की मांग।

स्कम्भ स्कम्भ

आर्य माध्यमिक कन्या पाठशाला, बांदीकुई।

जिला हैडक्वार्टर पर आयोजित मन्त्रिमण्डल की बैठकें।

डाकुओं से भिड़न्त में मारे गये अथवा घायल पुलिस कर्मचारियों को सहायता।

गंग केनाल क्षेत्र में टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल की मांग।

दौलतपुरा ग्राम के राजकीय स्कूल में शिक्षकों का अभाव।

प्राथमिक शाला, सोडाला (जमनाडेरी), जयपुर।

**प्राक्कलन समिति, १९६०-६१ के एक रिक्त स्थान के लिये नामजद उम्मीदवारों की नामावली** ६६७७

प्राक्कलन समिति, १९६०—६१ के एक रिक्त स्थान के लिये नामजद सदस्यों के नाम अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषित किये गये जो निम्न प्रकार हैं :—

१. श्रीमती आनन्दीदेवी जेलिया,

२. श्री धन्नालाल हरित,

३. श्री हरिप्रसाद यादव।

**विधायी कार्य**

**राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९६०** ६९८१

उपरोक्त विधेयक पर आज खंडशः विचार आरम्भ हुआ।

**खंड २ व ३** :—बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये।

**खंड ४** :—इस खंड पर श्री रामप्रसाद लड्ढा, श्री सोहनलाल भटनागर, डॉ० चन्द्रकला एवं श्री पी. के. चौधरी द्वारा संशोधन प्रस्तुत किये गये। इन पर की गई बहस में २३ सदस्यों ने भाग लिया। मंत्री, पंचायत विभाग के उत्तर के पश्चात् खंड आस्थगित रखा गया।

**खंड ५** :—बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया।

**खंड ६** :—इस खंड पर एक

संशोधन प्रस्तुत किया गया। इस पर श्री महेन्द्रसिंह पंवार ने अपने विचार व्यक्त किये।

सोमवार दिनांक ११ अप्रेल, १९६० की कार्य सूची।

१. राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९६० (अग्रेतर खंडशः विचार विमर्श)

---

# परिशिष्ट १

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८६४ का उत्तर देखिये )

INCOME FIGURES FOR MICA MINOR MINERAL FOR LAST FIVE YEARS. (YEARWISE)

| S. N. | Name of the Mineral. | 1955-56 | 1956-57 | 1957-58 | 1958-59 | 1959-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Building Stone (including Limestone for Lime Making). | Rs. 30, 42, 969.00 | 23, 10, 220.00 | 26, 38, 940. 72 | 33, 40, 075.00 | 12, 67, 630. 00 |
| 2. | Marble | Rs. 1, 10, 771. 00 | 79, 384. 00 | 68, 461. 59 | 1, 51, 578. 00 | 3, 875. 00 |
| 3. | Fuller's Earth | Rs. 1, 17, 253. 00 | 1, 62, 478. 00 | 2, 20, 280. 87 | 1, 44, 890. 00 | 43, 400. 00 |
| 4. | Bentonite | — | — | 16, 500. 00 | 5, 500. 00 | 1, 918. 00 |
| | | Rs. 32, 70, 993.00 | 25, 52, 082. 00 | 29, 44, 183. 18 | 36, 42, 043. 00 | 13, 16, 823.00 |
| 5. | Mica | 6, 51, 764. 00 | 7, 14, 686. 00 | 5, 13, 502. 31 | 3, 81, 808. 00 | 2, 25, 540. 00 |

———

## परिशिष्ट २

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६११ उत्तर देखिये )

१. संस्कृत कॉलेजों व पाठशालाओं के भवन निर्माण में ८०,००० रु० खर्च किये जा चुके हैं और २५,००० रु० १९६०-६१ में खर्च करने की योजना है।

२. पुस्तकालयों के लिए ३०,००० रु० खर्च किये जा चुके हैं और २५,००० रु० इस वर्ष १९५९-६० में स्वीकृत किया जा चुका है।

३. फरनीचर के लिए अब तक ३५,००० रु० दिये जा चुके हैं।

४. संस्कृत की आचार्य, शास्त्री, उपाध्याय, प्रवेशिका को क्रमशः पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इन्टर, हाई स्कूल व मिडिल स्कूल के स्तर के मान लिये गये हैं।

५. निम्नलिखित संस्कृत परीक्षाओं को अंग्रेजी परीक्षाओं के बराबर समान मान्यता, वेतन व सरकारी नौकरियों के आदेश दिये जा चुके हैं :—

प्रवेशिका को मेट्रिक के बराबर
उपाध्याय या मध्यमा को इन्टर के बराबर
शास्त्री को बी. ए. के बराबर
आचार्य को एम. ए. के बराबर

६. अनुसंधान व अप्रकाशित ग्रन्थों के प्रकाशन का कार्य पुरातत्व मन्दिर, जोधपुर द्वारा किया जा रहा है।

७. राजस्थान विश्व विद्यालय में प्राच्य विद्या विभाग खोलने हेतु २०,००० रु० स्वीकृत किये जा चुके हैं।

८. तमाम स्कूल व कॉलेजों में संस्कृत शिक्षकों के पदों पर संस्कृत परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्तियों को नियुक्त करने के आदेश दिये जा चुके हैं।

९. संस्कृत शिक्षा संचालक की नियुक्ति की जा चुकी है।

१०. संस्कृत के जिन जिन छात्रों ने छात्रवृत्तियां मांगी सबको छात्रवृत्ति दे दी गई।

———

७१५५ ]

## परिशिष्ट ३

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६१५ का उत्तर देखिये )

### मंत्रि-मंडल के बैठकों की सूची

| | तारीख | स्थान |
|---|---|---|
| १. | ४. १. ६० | अजमेर |
| २. | ५. १. ६० | भीलवाड़ा |
| ३. | ६. १. ६० | चितौड़गढ़ |
| ४. | ७. १. ६० | उदयपुर |
| ५. | ८. १. ६० | डूंगरपुर |
| ६. | ९. १. ६० | |
| | १०. १ ६० | बांसवाड़ा |
| ७. | २३. १. ६० | भरतपुर |
| ८. | २४. १. ६० | अलवर |
| ९. | २५. १. ६० | |
| | २७. १. ६० | जयपुर |
| १०. | २९. १. ६० | सवाई माधोपुर |
| ११. | ३०. १. ६० | कोटा चम्बल से सम्बन्धित प्रश्नों के लिये |
| १२. | ३. २. ६० | सीकर |
| १३. | ४. २. ६० | झुंझुनूं |
| १४. | १४. २. ६० | नागोर |
| १५. | १५. २. ६० | बाड़मेर |
| १६. | १६. २. ६० | जैसलमेर |
| १७. | १७. २. ६० | जोधपुर |
| १८. | १८. २. ६० | पाली |
| १९. | १९. २. ६० | जालोर |

# परिशिष्ट ४

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६१७ का उत्तर देखिए )

STATEMENT OF PRIMARY INSTITUTIONS FOR BOYS.

| Sl. No. | Dist. | Govt. | Pan. Samiti | Muni-cipal | Private Aided | Private unaided | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Jaipur East | 171 | 379 | 5 | 18 | 9 | 582 |
| 2. | „ West | 52 | 487 | - | - | - | 539 |
| 3. | Sikar | 89 | 423 | - | 8 | 6 | 526 |
| 4. | Ajmer | 74 | 523 | - | 32 | 3 | 632 |
| 5. | Kota | 51 | 479 | - | 1 | 1 | 532 |
| 6. | Tonk | 23 | 288 | - | - | - | 311 |
| 7. | Bundi | 15 | 194 | 4 | - | - | 213 |
| 8. | Jhalawar | 7 | 286 | - | 1 | - | 294 |
| 9. | Alwar | 39 | 607 | - | 7 | - | 653 |

परिशिष्ट

७१५७ ]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Sawai Madhopur | 53 | 531 | - | 1 | 4 | 589 |
| 11. | Bharatpur | 47 | 661 | - | 10 | 14 | 732 |
| 12. | Jaisalmer | 1 | 80 | - | - | - | 81 |
| 13. | Jalore | 16 | 331 | - | - | - | 347 |
| 14. | Jodhpur | 64 | 445 | - | 18 | - | 527 |
| 15. | Nagaur | 28 | 561 | - | 3 | 4 | 596 |
| 16. | Pali | 20 | 456 | - | 2 | - | 476 |
| 17. | Barmer | 2 | 347 | - | - | - | 349 |
| 18. | Sirohi | 27 | 208 | - | 2 | - | 237 |
| 19. | Bikaner | 26 | 199 | 16 | 5 | 13 | 259 |
| 20. | Churu | 60 | 314 | 18 | 8 | 47 | 447 |
| 21. | Ganganagar | 163 | 380 | 6 | 1 | 9 | 559 |
| 22. | Jhunjhunu | 104 | 369 | - | 2 | 33 | 508 |
| 23. | Banswara | 45 | 251 | - | - | 17 | 313 |

| 1 | 2 | | 3 | | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. Bhilwara | 17 | 467 | - | 13 | - | 497 |
| 25. Chittorgarh | 34 | 381 | - | 2 | 2 | 419 |
| 26. Dungarpur | 40 | 242 | - | 30 | - | 312 |
| 27. Udaipur | 45 | 726 | - | 1 | - | 772 |
| Total :— | 1,313 | 10,613 | 49 | 165 | 162 | 12,602 |

FOR GIRLS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dy. I. G. S., Jaipur | 9 | 56 | - | 6 | 6 | 77 |
| 2. „ Ajmer | 32 | 28 | - | 15 | - | 75 |
| 3. „ Kota | 13 | 44 | - | - | - | 57 |
| 4. „ Bharatpur | 14 | 62 | - | 1 | - | 77 |
| 5. „ Jodhpnr | 10 | 64 | - | 17 | - | 91 |
| 6. „ Bikaner | 3 | 21 | 4 | 4 | 8 | 40 |

परिशिष्ट

| 1 | 2 | | 3 | | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Dy. I. G. S., Chittor | 3 | 64 | - | - | - | 67 |
| 8. „ Udaipur | 16 | 68 | - | 1 | - | 85 |
| TOTAL GIRLS | 100 | 407 | 4 | 44 | 14 | 569 |
| GRAND TOTAL BOYS & GIRLS | 1,413 | 11,020 | 53 | 209 | 176 | 12,871 |

## शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक ८ अप्रैल, १९६०)

| स्कम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्धि | शुद्धि |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| ६६३३ | ४ | प्रावधिक | प्राविधिक |
| ६६३८ | अन्तिम | खड़े होने पर अध्यक्ष महोदय | खड़े होने पर) अध्यक्ष महोदय, |
| ६६४५ | १२ | महाराजाड़ | महाराजाज़ |
| ६६५१ | ७ | भवन है वह जो | जो भवन है वह |
| ६६५४ | २० | Cammission | Commission |
| ६६५५ | १२ | वितरण विलम्ब | वितरण में विलम्ब |
| ६६६२ | अन्तिम से ४ | वह बताने | यह बताने |
| ६६६६ | ४–५ | एडमिनिस्ट्रेटिव बसों | एडमिनिस्ट्रेटिव बातों |
| ६६७१ | १७ | amouth | a month |
| ,, | अन्तिम से ३ | के गंग नाल | गंग केनाल |
| ६६७३ | १९वीं पंक्ति के नीचे | श्री अध्यक्ष : | — |
| ६६७९ | १६ | शख्त | सख्त |
| ६६८१–८२ | शीर्षक | ७ अप्रैल, ६० | ८ अप्रैल, ६० |
| ६६८२ | ६ | वियधेक | विधेयक |
| ६६८३ | ८ | होगी या | होगी यानि |
| ६६८३ | १५ | शिल्ड | शिड्युल्ड |
| ६६८४ | २७ | शिडूल्ड | शिड्युल्ड |
| ६६८८ | १ | कन्फ्यून रहता | कन्फ्यूज़न रहता |
| ६६९० | ९ | पंचायतों नीचे के | पंचायतों के नीचे |
| ६६९३ | २ | prescribeb | prescribed |
| ,, | २६ | दृष्टि | दृष्टि |
| ६९९६ | शीर्षक | विधेपक | विधेयक |
| ६९९९ | २० | सीडी | सीढ़ी |
| ,, | २१ | मैदारीना | मैदरीना |
| ७००० | १२ | Panchayt | Panchayat |
| ,, | २३ | acconnts | accounts |
| ७००७ | २० | कॉम्युलिज्म | कॉम्युनलिज्म |
| ७००८ | शीर्षक | विघेयक | विधेयक |
| ७०१० | १८ | डिस्टिक्शन | डिस्टिंक्शन |
| ७०१५ | शीर्ष | मैदरीया) | मैदरीना) |
| ७०१७ | ७ | युनेनिक्मस | यूनेनिमस |

(२)

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| ७०१६ | ४ | मजुाक | मज़ाक |
| ७०२३ | अन्तिम से४ | आकषित | आकर्षित |
| ७०२६ | २८ | व्यवस्था करना | व्यवस्था करनी |
| ७०३५ | शीर्षक | राजस्थान पंचावत | राजस्थान पंचायत |
| ,, | शीर्ष | (श्री मोग जी माई) | (श्री मोगजी भाई) |
| ७०३६ | १२ | जतता | जनता |
| ७०४० | १५ | माइनारिटी | माइनोरिटी |
| ७०४२ | ६ | करूंगा आय कि | करूंगा कि आप |
| ७०४३ | २० | पंचायत थर्ड | पंचायत व थर्ड |
| ७०४४ | ४ | डिस्क्टिंशन | डिस्टिंक्शन |
| ७०५१ | २३ | चाहें नहीं दे वह सकेगें। | चाहें वह नहीं दे सकेंगे। |
| ७०५४ | २५ | चलावेंगे कि तो यह सोचना | चलावेगें तो यह सोचना कि |
| ७०५७ | अन्तिम से५ | अया ही | आया ही |
| ७०५८ | ४ | भाषर्णों | भाषणों |
| ७०५६ | ३ | न बढ़ेंगा | न बढ़ेगा |
| ७०६० | २१ | एडमिनिस्टट्रेर | एडमिनिस्ट्रेटर |
| ७०६१ | शीर्ष | श्री शिवनाथसिंह बाटड़) | (श्री शिवनाथसिंह) |
| ७०७० | १० | डेडे लॉक | डेड लॉक |
| ७०७२ | ६ | उसका | उनका |
| ७०७६ | अन्तिम पक्ति | आॅडिनरी | आॅर्डिनरी |
| ७०८६ | १-२ | Jana Sangha | Jan Sangh |
| ७०६३ | ५ | सरवाढ़ | सरवाड़ |
| ७०६६ | अन्तिम से२ | रिज़ेर्वेशन | रिज़र्वेशन |
| ७०६७ | २२-२३ | अमेंटमेंट | अमेंडमेंट |
| ७१०८ | अन्तिम से५ | से सर्व, सम्मति | से, सर्व सम्मति |
| ७११२ | २६ | ये बाते | ये बातें |
| ७११३ | १७ | रखते हैं | रखते हैं |
| ७११५ | १५ | तो मुर्फे | तो मुझे |
| ७१२० | २० | खड़े है सामने | खड़े हैं सामने |
| ७१२२ | ८ | भावना। को | भावना को |
| ७१२५ | ७ | immeeiatelv | immediately |
| ,, | २२-२३ | पंचायतों जो के | पंचायतों के जो |
| ७१२४ | ६ | फिर इलेक्शन तो के | तो फिर इलेक्शन के |
| ७१३५ | १ | मिस्चीवियसली | मिस्चीवियसली |
| ७१३६ | १० | के कलेक्टर | के, कलेक्टर |

(३)

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| ७१३६ | २८ | relevent | relevant |
| ७१३८ | अन्तिम सेद | करेंगे उसको | करेंगे और सदन उसको |
| ७१४२ | ८ | करने के | कराने के |
| ,, | १६ | लिए। बजाय | लिये बजाय |
| ७१४७ | १८वीं पंक्ति के नीचे | — | त्रुण ।<br>ग्राम-जन शक्ति का उपयोग |